C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXXII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 5, Tuesday, July 24, 2018/Shravana 2, 1940 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCE	12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 81 to 85	13-67
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 86 to 100	68-124
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	125-706

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
Function to mark completion of three years
of Speaker's Research Initiative 707

PAPERS LAID ON THE TABLE 709-722

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE 722
Minutes

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
28th Report 723

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
37th and 38th Reports 723

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
55th Report 739

STATEMENTS BY MINISTER
(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 204th Report of the Standing Committee on Home Affairs 724

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 195th Report of the Standing Committee on Home Affairs

Shri Kiren Rijiju 725

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries

Sadhvi Niranjan Jyoti 725

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Mob lynching incidents in different parts of the country 728-739

(ii) Re: Reported disclosure by Tata Institute of Social Science (TISS) on alleged sexual abuse of minor girls in Government children home in Muzaffarpur, Bihar 740-743

(iii) Re: Need to address the problems of EPF pensioners 765-769

MATTERS UNDER RULE 377 790-827

(i) Regarding crash of private plane in the residential area of Mumbai

Dr. Kirit Somaiya 791

(ii) Need to undertake construction of link roads Inter-connecting National Highways and State Higways particularly in Bihar and Jharkhand

Shri Sushil Kumar Singh 792

(iii) Need to ensure payment of pension to old -aged, widows, differently-abled etc. at their place of residence and also enhance the pension amount

Shri Prahlad Singh Patel 793

(iv) Need to provide funds for Jaisalmer -Barmer-Bhabhar railway line project in Rajasthan

Col. (Retd.) Sona Ram Choudhary 794-796

(v) Need to undertake fresh Socio - Economic Caste Census

Shri Ravindra Kumar Pandey 797-798

(vi) Need to facilitate free treatment of people belonging to economically weaker section and residing outside Delhi in hospitals of Delhi

Shri Raghav Lakhanpal 799-800

(vii) Need to allocate funds for 'Rashtriya Janjati Sangrahalaya' at Mangarh Dham in Banswara district, Rajasthan

Shri Arjun Lal Meena 801

(viii) Regarding reopening of two paper mills in Assam

Shri Rameshwar Teli 802

(ix) Need to run train no. 14021/22 between Sikar and Delhi on daily basis

Shri Sumedhanand Saraswati 803

(x) Regarding CBI inquiry into gang rape and murder of an engineering student in Ranchi, Jharkhand

Shri Ram Tahal Choudhary 804-805

(xi) Regarding 'Sugamya Pustakalaya' and differently -abled friendly airport facilities in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Ganesh Singh 806

(xii) Need to check release of untreated water by urban and semi -urban local bodies into rivers

Shri Sharad Tripathi 807

(xiii) Need to resume operation of Korba-Raipur Intercity Express

Dr. Banshilal Mahato 808

(xiv) Need to increase the frequency of Bikaner -Dadar Superfast train

Shri Devji M. Patel 809

(xv) Need to provide basic needs to 24 Tribal colonies of Chamarajanagar district, Karnataka

Shri R. Dhruvanarayana 810-811

(xvi) Regarding release of pending funds to Tamil Nadu relating to education sector

Shri C. Gopalakrishnan 812-813

(xvii) Regarding inclusion of fishermen community of Tamil Nadu in the list of Scheduled Tribes

Dr. J. Jayavardhan 814

(xviii) Regarding unemployment situation in the country

Prof. Saugata Roy 815-816

(xix) Need for relaxation of norms under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

Shrimati Pratyusha Rajeshwari Singh 817-818

(xx) Need to continue existing arrangement of catering system on railway platforms

Shri Arvind Sawant 819-820

(xxi) Regarding construction work along Indo - Bangladesh border

Shri Md. Badaruddoza Khan 821

(xxii) Regarding reversal of reservation roster for recruitment in Universities and Colleges

Shri Rajesh Ranjan 822-823

(xxiii) Need to make Punjabi language as an official language of Chandigarh

Shri Dharam Vira Gandhi 824

(xxiv) Need to review the order of ESIC regarding Super Speciality Medical treatment

Shri N. K. Premachandran 825

(xxv) Need to construct subway at Mudicade and a vehicular underpass of Mullakkara Centre-Mulayam Road Junction on National Highway-47

Shri C. N. Jayadevan 826-827

PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL, 2018 828-971

Motion to Consider 828

Dr. Jitendra Singh	828-832, 957-968
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	834-842
Shri Pralhad Joshi	843-858
Shri S. Selvakumara Chinnaiyan	859-861
Shrimati Aparupa Poddar	862-866
Shri Tathagata Satpathy	867-874
Shri N.K. Premachandran	875-883
Shri Arvind Sawant	884-891
Shri N. Kristappa	892-896
Shri A.P. Jithender Reddy	897-904
Shri Md. Badaruddoza Khan	905-909
Shrimati Geetha Kothapalli	910-914
Shri Rajesh Ranjan	915-919
Shri Parvesh Sahib Singh Verma	920-926
Shri Prem Singh Chandumajra	927-929
Shri Bhagwant Mann	930-934
Shri E. T. Mohammed Basheer	937-940
Shri Boora Narsaiah Goud	941
Shrimati Poonam Mahajan	942-947
Prof. K.V. Thomas	948-950
Shri Ram Kumar Sharma	952-953

Shri Kaushalendra Kumar 954-955

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank 956

Clauses 2 to 19 and 1 970

Motion to pass 970

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 972

Member-wise Index to Unstarred Questions 973-979

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 980

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 981

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 24, 2018/Shravana 2, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को प्रख्यात कवि और गीतकार श्री गोपाल दास 'नीरज' के निधन के बारे में सूचित करना है।

उनकी मुख्य रचनाओं में प्राणगीत, विभावरी, अंतर्ध्वनि और संघर्ष शामिल हैं। उन्होंने लोकप्रिय हिन्दी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे, जिनको आज भी सराहा और गाया जाता है। श्री 'नीरज' जी को वर्ष 1991 में पद्मश्री और वर्ष 2007 में पद्मभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1970 से 1972 के दौरान लगातार तीन फिल्म फेयर पुरस्कार जीते।

श्री गोपाल दास 'नीरज' का निधन दिल्ली में 19 जुलाई, 2018 को 94 वर्ष की आयु में हुआ। उनके निधन से देश ने एक जीवंत लेखक और गीतकार खो दिया है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को आने वाले समय में संगीत प्रेमियों द्वारा याद किया जाए और साहित्यकार एवं अन्य सभी उनको याद करेंगे।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

11 01 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं। आप लोग बैठ जाइए।

प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 81, डॉ. किरिट पी. सोलंकी

11 02 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 81, डॉ. किरिट पी. सोलंकी

(Q. 81)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे, खासकर के गरीबों के लिए यह प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी को प्रश्न काल के बाद बोलने का समय दूंगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद समय दे दूंगी। अभी आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के चार साल पूरे हुए हैं … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, प्रश्न काल के बाद समय दे दूंगी। अभी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम, मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि मैं गरीबों की बात यहां उठा रहा हूं, इसलिए मुझे बोलने दीजिए ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए ।

… (व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। … (व्यवधान) जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का सवाल है, मैं खुद भी डाक्टर हूं और स्वास्थ्य क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने बहुत से निर्णय लिए हैं। … (व्यवधान) जन औषधि स्टोर्स की मदद से मरीजों को करीब 60 से 80 प्रतिशत कम मूल्य पर दवाई मिल जाती है।… (व्यवधान) मैं मोदी सरकार का एवं हमारे दोनों मंत्रियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत

विस्तृत जवाब दिया है। ... (व्यवधान) कार्डिएक स्टेंट का दाम घटाकर करीब 30 हजार रुपये से कम कि या गया है। जहां तक ज्वांइट रिप्लेसमेंट का सवाल है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में भी बहुत कमी हुई है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 'नमो केयर' अर्थात 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम शुरू कि या है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जन औषधि केन्द्र खोलने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से गरीबों को कम मूल्य पर दवाई मिल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जैसे आज पूरे देश में करीबन 3800 से ज्यादा स्टोर्स हैं, तो क्या सरकार इन स्टोर्स का दायरा बढ़ाएगी? सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में, जो 111 बैकवर्ड जिले हैं, क्या सरकार वहां उसका दायरा बढ़ाएगी और कितने समय में बढ़ाएगी?

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जेनरिक मेडिसिन का उपयोग बढ़े,. ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: After the Question Hour I will allow one person.

... (*Interruptions*)

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेडिसिन्स का खर्च कम हो, इसीलिए सारे देश में प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा था कि मेरे देश में किसी मरीज को दवाई नहीं मिलने से उसके मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात को पूरा करने के लिए जेनरिक मेडिसिन्स की पोपुलेरिटी सारे देश में बढ़े, इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या है? जेनरिक मेडिसिन और ब्रान्डेड मेडिसिन में फर्क इतना ही है कि जैसे एक गिलास में पानी है, लेकिन यदि आप उसे बिसलेरी में भर देते हैं तो बिसलेरी उसका ब्रान्ड नेम हो गया। यदि एक्वाफिना नाम से बेचा गया तो एक्वाफिना हो गया और इसीलिए उसका प्राइस कई गुना बढ़ जाता है। जो पानी है, उसका दाम कम होता है, या तो नहीं होता है, उसका खर्च कम होता है। उसी तरह से जेनरिक मेडिसिन यानी मेडिसिन का शॉर्ट नेम है और शॉर्ट नेम से मेडिसिन बिकने से उसका प्राइस कम हो जाता है। मुझे यह सूचित करना आवश्यक लगता है कि आज देश में 56 लाख परिवार हर साल

अपनी दवाइयों का खर्च ज्यादा हो जाने से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए सारे देश में हमने जन औषधि केन्द्र खोले हैं। आज देश में 3866 जन औषधि केन्द्र ओपन हो चुके हैं। 600 जिलों में जन औषधि केन्द्र ओपन हो चुके हैं। माननीय सदस्य जी ने जैसे बताया, हम अगले दिनों में सारे देश में सभी जिलों में आगे बढ़कर सभी स्तर पर जन औषधि केन्द्र ओपन करके देश के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए कार्यरत रहेंगे।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि पैरासिटामॉल जो ब्रान्डेड है, वे 30 रुपये में 10 टैबलेट्स मिलती हैं, जबकि वही जन औषधि केन्द्र में महज 4 रुपये में मिलती हैं। यह गरीब लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जन औषधि और उनकी गुणवत्ता के बारे में कई लोग सवाल उठाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि दस प्रतिशत जन औषधि की गुणवत्ता कुछ हल्की पाई जाती है। मैं सरकार से गुहार करता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाएगी जिसकी वजह से गुणवत्ता युक्त मेडिसिन्स मिल सकें? क्या सरकार कोई कानून लाएगी क्योंकि इसमें मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। अगर इसमें कोई फेक मेडिसिन देता है तो क्या हम उनके खिलाफ कोई कानून ला सकते हैं ?

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मरीज से इतना नहीं बोलता है, आप कितना ज्यादा बोलते हैं?

… (*Interruptions*)

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में किसी भी स्थान पर न केवल जन औषधि के लिए बल्कि मार्केट में भी, फार्मेसी से भी क्वॉलिटी मेडिसिन्स मिले, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। इसके लिए आज जन औषधि केन्द्र में मार्केट से 120 से ज्यादा कंपनीज से हम मेडिसिन्स प्रोक्योर करते हैं। जब हम मेडिसिन्स प्रोक्योर करते हैं, तब जहा प्रोडक्शन होता है, वहां पर भी उसका लैब टैस्टिंग होता है। बाद में वे हमारे वेयरहाउसेज में आती हैं। हमारे वेयरहाउसेज में एन.ए.बी.एल. लैब जो हमने सलेक्ट की है, वहां उसका टैस्टिंग होता है। उसके बाद ही वे फील्ड में जाती हैं। आज 1 करोड़ रुपये लागत की प्रतिदिन जन औषधि स्टोर से हमारी दवाइयां बिक रही हैं

और आज तक न केवल जन औषधि स्टोर्स के लिए, क्योंकि हर राज्य में हमारे जन औषधि केन्द्र हैं, बल्कि वहां के ड्रग्स इंसपैक्टर्स भी उनका सैम्पल लेते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जन औषधि स्टोर्स में 100 प्रतिशत क्वॉलिटी मेडिसिन्स मिल रही हैं। आज तक सारे देश में हमारे जन औषधि स्टोर का एक भी सैम्पल फेल नहीं हुआ है। जब हम मेडिसिन्स प्रोक्योर करते हैं तो हमारे यहां एक प्लांट है और जो फैक्टरी है, हम उससे प्रोक्योर करते हैं और जो डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. एप्रूव्ड प्लांट है, उससे ही हम प्रोक्योर करते हैं।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN : Madam, thank you for giving me the opportunity.

Madam, despite the fact that a prescription is mandatory to buy a medicine in chemist shops, still violations take place, especially in the rural areas. Some branded companies, through advertisements, are misleading the public to cure common diseases. Will the Government control such misleading advertisements?

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में जेनरिक मेडिसिन का उपयोग बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जेनरिक मेडिसिन्स का उपयोग करें, ताकि सस्ती दर में उनका इलाज हो सके, उसके लिए हम सारे देश में जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट कर रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट करने के लिए ही हमने जन औषधि स्टोर खोलने शुरू किये हैं। जन औषधि स्टोर्स शुरू करने से सस्ती दवा भी मिलती है और क्वॉलिटी मेडिसिन्स भी मिलती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज विश्व में 6 टैबलेट्स जो विश्व के लोग खाते हैं, उसमें से 1 टैबलेट इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन है। अमेरिका में जो 5 टैबलेट्स लेते हैं, उसमें से 1 टैबलेट इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन है। हम यहां ब्रान्डेड मेडिसिन का यूज करके लोगों का खर्च बढ़ा रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन्स पोपुलर हो, पिछले चार साल में, हमारे मंत्रालय ने जो इनीशिएटिव लिया है और माननीय अनन्त कुमार जी ने हमको बार-बार प्रोत्साहित किया है कि उसको आगे बढ़ाओ। मुझे

खुशी है कि आज 7 प्रतिशत जेनरिक मेडिसिन का मार्केट हिन्दुस्तान में बन चुका है और आगे बढ़ रहा है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, we are happy that the Minister has professed that they are encouraging generic medicines. But in reality, what I see even in my constituency, Dhenkanal, Angul and in other places of my State of Odisha, is that every DHH, District Headquarters Hospital, has a generic medicine outlet within the premises. Normally, chemists and pharmacists open their shops outside the premises but inside the premises, we have seen, there was a Jan Aushadhi outlet. When I was there, just before this Session started, I had gone to visit the hospital. Now what we notice is that the outlets are there. There is probably no staff or if there is staff, there are no medicines. So, on the one hand we are talking about coercing doctors.

Madam, the House will be dealing with the Prevention of Corruption Act (PoCA) later on. We know this is also a corruption in some ways because the doctors are induced not only by money but also in very many ways to prescribe a particular big multinational company's medicines, whenever possible. So, Jan Aushadhi has no father and no mother. It is an orphan. To blame the Government that the Government should do everything is, in my opinion, incorrect because the Government cannot do it. This has to be a social movement.

HON. SPEAKER: Then, what do you want to convey?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : To create a social movement, my question is, first, will there be enough production of Jan Aushadhi medicines, the

generic medicines? Second, does the Government, the Ministry of Chemicals and Fertilizers, plan to carry out a general awareness campaign through all media, outdoor, print, television, Internet, to make people aware, both doctors and patients, that they should opt for generic medicines? It is because they are as good as the other medicines. What happens is, when people see the names and they do not know the chemical composition, they do not know what medicines they are taking. So, is the Government planning to carry out a public awareness campaign and increase production? Unless they do these two things, there is no point in blaming the Government or the doctors.

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए मेन भूमिका हमारी सरकार ने ही अदा की है और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार ही किया है। जहां तक जेनरिक मेडिसिन्स के स्टोर का सवाल है, तो जेनरिक मेडिसिन्स के स्टोर प्राइवेट लोग भी खोल सकते हैं और सरकार ने भी हमारे साथ एम.ओ.यू. किया है। आज हमारे पास 3800 से ज्यादा जेनरिक स्टोर्स हैं। उनमें से 3000 जन औषधि स्टोर्स प्राइवेट लोगों ने खोले हैं। उनको हम 20 प्रतिशत प्रॉफिट देते हैं। यदि उनको प्रॉफिट नहीं मिलता और यदि उनके यहां सेल नहीं होती है तो कई प्राइवेट लोग जन औषधि स्टोर नहीं चलाते।

दूसरे, यू.पी. सरकार ने हमारे साथ एम.ओ.यू. किया है। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हमारे साथ एम.ओ.यू. किया है। एम.ओ.यू. के माध्यम से वे अपने यहां स्टोर्स ओपन कर रही हैं। हम उनमें 700 से ज्यादा मेडिसिन्स उपलब्ध करवा रहे हैं।

जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले जेनरिक औषधियों का शेयर तीन प्रतिशत से कम था, लेकिन आज सात प्रतिशत तक जेनरिक औषधियां प्रमोट हुई हैं। जेनरिक औषधियों के संबंध में लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए मेरी मिनिस्ट्री ने एक एप लॉंच किया है। अगर आप उस एप पर किसी मेडिसिन का नाम डालेंगे तो उसका सॉल्ट नेम और एक्चुअल प्राइस की जानकारी

पता लग जाती है। समझ लीजिए कि किसी ने कालपोल लिखा। दस कालपोल टैबलेट्स की कीमत दस रुपये है, लेकिन उसका जेनरिक नेम पेरासिटामोल है और पेरासिटामोल का प्राइस दो रुपये है। अगर आप मेडिकल स्टोर पर कहेंगे कि मुझे पेरासिटामोल दो, जेनरिक वर्जन दो तो वहां उसका जेनरिक वर्जन मिल सकता है। हम ने यह व्यवस्था की है। इसलिए आज जन-औषधि स्टोर आगे बढ़ रहा है और जेनरिक औषधियां ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 82, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी।

…(व्यवधान)

(Q. 82)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में हर मंत्रालय ने देश के लिए जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता है, वह किया है। कृषि क्षेत्र में एमएसपी की बात बहुत लंबे अर्से से चल रही थी। बहुत वर्षों से किसान उसके लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं देश के प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अभी 04 जुलाई, 2018 को जो निर्णय लिया गया, उसके आधार पर पूर देश में कृषि में जो लागत आती है, उस लागत के आधार पर मानव श्रम, बैल, भूमि का किराया, बीज, खाद, सिंचाई, मशीनों के खर्च, कार्यशील पूंजी, पंपिंग सेट में लगने वाले डीजल, बिजली की लागत और जो पारिवारिक श्रम होता है, उन सभी खर्चे को जोड़कर, उस औसत के आधार पर कृषि उत्पाद का मूल्य डेढ़ गुना करने का काम किया है। उसके लिए देश के सभी किसान प्रधान मंत्री जी और सरकार का आभार प्रकट करना चाहते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। सभी लोग भाषण दे रहे हैं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से चुन कर आया हूं।

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है लेकिन आपका प्रश्न क्या है?

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मेरे यहां कृषि क्षेत्र में दिक्कत है। मैं कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे रेट्स बढ़ाए हैं। ज्वार पर 50.09 प्रतिशत, मूंग पर 50.01 प्रतिशत, उड़द पर 62.89 प्रतिशत, मूंगफली पर 50 प्रतिशत, लागत मूल्य का डेढ़ गुना, सूरजमुखी और रागी सभी की कीमत बढ़ाई है। अब सरकार खरीफ की फसल को क्रय करेगी। मेरे क्षेत्र में किसान क्रय केन्द्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब क्रय केन्द्र पर अनाज खरीदा जाएगा तो उस समय बिचौलिए इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसानों को मंडियों में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, 10-10 दिन तक उनको वहां रुकना पड़ता है। क्या सरकार प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था

बना रही है, प्रदेश सरकारों को निर्देशित कर रही है, ताकि वहां पर किसानों को लाइन न लगानी पड़े और उनका अनाज वहां पर अच्छी तरह से बिक सके।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष, महोदया, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार के इस प्रयास की सराहना इस सदन में की है। खरीद की जो प्रक्रिया है, भारत सरकार प्राइस स्टैब्लाइजेशन स्कीम के माध्यम से जो खरीद करती है, वह भारत सरकार राज्य एजेंसीज के माध्यम से क्रय करती है। यहां यह संज्ञान में आया है कि भारत सरकार जिन राज्यों के माध्यम से जिन फसलों की खरीद करती है, राज्यों में जिस तरह का तंत्र उपलब्ध है, उसके अनुरूप कुछ राज्यों से इस तरह के विषय संज्ञान में आए हैं कि वहां किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने बजट की घोषणा की थी कि हम देश में सारे नोटिफाइड क्रॉप्स की लागत का डेढ़ गुना मूल्य, लाभकारी मूल्य किसानों को प्रदान करेंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ ही साथ नीति आयोग को इस बात का मेनडेट दिया गया था कि वह प्रोक्योरमेंट के लिए रोबस्ट मैकेनिज्म तैयार करे ताकि किसानों को जो असुविधाएं हो रही हैं, उनसे निजात पाया जा सके। इसी क्रम में 09 मार्च को नीति आयोग ने राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकारियों और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की है।

इसके बारे में लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है। नीति आयोग के मार्गदर्शन में हम शीघ्र ही इसके लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म तैयार करेंगे। एम.ए.एस. (मार्केट एश्योरेंस स्कीम) के माध्यम से विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श हुआ है। निजी क्षेत्र के माध्यम से भी प्रोक्योरमेंट के लिए विचार किया गया है।

मध्य प्रदेश ने 'भावांतर भुगतान योजना' का प्रयोग करके देखा था, उसके माध्यम से या समग्र रूप से हम इस रोबस्ट मैकेनिज्म को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस ओर कार्य किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय

प्रधान मंत्री जी ने किसानों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया है। इसका लाभ अधिकतम किसानों को मिल सके, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

श्री गणेश सिंह : आपने जो एम.एस.पी. बढ़ाया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : माननीय मंत्री जी ने बताया कि अनाजों की खरीद के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए तीन विकल्पों के रूप में बाजार आश्वासन योजना, भावांतर खरीद योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना के बारे में बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि पिछली बार रबी की फसल में लगभग 40 लाख लोगों से गेहूँ खरीदा गया, लगभग 16 लाख लोगों ने दलहन बेचा और लगभग चार लाख लोगों ने तिलहन बेचा। मैं विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आमदनी का कोई जरिया नहीं है। वहाँ पलायन एक गंभीर समस्या है। जो किसान खेती कर रहे हैं, वे किसी भी प्रकार से अच्छे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। उनको खरीद में दिक्कत होती है। मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बुंदेलखंड के लिए कोई विशेष मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि बुंदेलखंड के किसानों का शत-प्रतिशत अनाज उनके दरजवाजे से क्रय किया जा सके और उसमें कोई बिचौलिया या मण्डी के लोग इंवॉल्व न हो सकें?

माननीय अध्यक्ष : किसानों के दरवाजे से कैसे हो सकता है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने पूर्व में उत्तर देते हुए भी कहा था कि इसका मैनडेट नीति आयोग को दिया गया है। नीति आयोग के माध्यम से इन सभी विषयों पर विचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का जो मैकेनिज्म है, उसे भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से करती है। राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि अपने यहाँ क्रय-केन्द्रों की व्यवस्था को अधिक सुगम कैसे बना सकते हैं ताकि किसानों के अनाज का प्रोक्योरमेंट मिनिमम समस्या के साथ हो सके।

जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि गत् सरकार के पिछले पाँच वर्षों की तुलना में वर्तमान सरकार ने दलहन में 34 गुना

प्रोक्योरमेंट किया है और तिलहन तथा कपास में भी किसानों से चार गुना प्रोक्योरमेंट किया है। किसानों को अधिकतम लाभकारी मूल्य मिल सके, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।

11 24 hrs

(At this stage, Shri Dharam Vira Gandhi left the House.)

SHRI ANANDRAO ADSUL : Hon. Speaker Madam, first of all, I congratulate the Government and the Krishi Mantri.

The hike in the MSP is very much in line with the expectations, but if the increase in market price is more than the MSP, then it might lead to an inflationary situation. I would like to know from the hon. Minister what steps are proposed by the Government to ensure that the recently announced hike in the MSP actually translates into higher realisation for the farmers, without an increase in the prices for the end-consumers.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की चिन्ता कुछ हद तक ठीक हो सकती है कि कृषि जिंसों के भाव बढ़ने से महँगाई में फर्क पड़ सकता है। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था हमने की है, उसमें हम निर्णायक व्यवस्था करेंगे कि इस तरह का इंफ्लेशन रेज़ न हो। जब कभी भी किसानों की फसलों को एमएसपी के माध्यम से खरीदा गया है, तो एक लेवल पर स्टैबिलाइजेशन आने के बाद मार्केट अपने आप उन चीजों को करेक्ट करता है। इसलिए इस विषय में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है।

SHRI P. KARUNAKARAN : At the time of the UPA Government, in order to study the problems of the agricultural sector, especially the farmers, a Commission was appointed, known as the Swaminathan Commission. The Commission has submitted its Report a few years back.

I would like to know whether the Government has studied the Report and whether the Government is ready to implement the recommendations of the Commission. The most important recommendations were about reducing the rate of interest on crop loans to four per cent and the waiving of the loan. But in the answer given by the hon. Minister these issues have not been touched. So, I would like to know whether the Government is ready to implement the recommendations of the Swaminathan Commission in its entirety.

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। उनके ध्यान में भी होगा कि वर्ष 2004 में किसान आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था - कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार और उसके साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि। उसकी रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी। इसी आधार पर वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनी। वर्ष 2004 से वर्ष 2006 के बीच में भी रिफॉर्म्स की बातें सरकार के अंदर आती रहीं। वर्ष 2005 में, इसी किसान आयोग से रिलेटिड, देश भर के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले। इसके लिए एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए। इस संबंध में सात प्रकार के सुझाव दिए गए। यह वर्ष 2005 में हुआ था।

वर्ष 2006 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई, उसके बाद वर्ष 2007 में जो पॉलिसी बनी, उसमें भी इसका उल्लेख हुआ। लेकिन वर्ष 2010 में एक बैठक हुई। वर्ष 2005 से वर्ष 2014 के बीच या वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के बीच एक बैठक अप्रैल, 2010 में हुई थी, मुझे याद है। इसके बाद इसकी चिंता हुई। अब वर्ष 2014 के बाद सब से पहले जो किसान आयोग के सुझाव थे, जो डिजिटल पॉलिसी बनी थी, उसके आधार पर ई-मंडी बनाने के लिए राज्यों से तीन प्रकार के सुधारों के लिए आग्रह किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2015-16 आते-आते अधिकतर राज्यों ने तीन प्रकार के सुधार किए। वर्ष 2017 में हम लोगों ने नया कृषि उपज और पशुधन विपणन

अधिनियम, 2017 उसी किसान आयोग के सुझाव के मुताबिक राज्यों को जारी किया। इसके तहत कई राज्य अपने नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी आयोग के सुझावों के मुताबिक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एण्ड सर्विसिज़ एक्ट, 2018 जारी किया गया। यह एक तरीका है, ताकि अच्छा मार्केट मिले।

किसान आयोग द्वारा किसानों की आमदनी और अच्छे मूल्य के लिए एक सुझाव और था, जो समर्थन मूल्य का था। यह सुझाव भी आयोग ने दिया था और आयोग के इस सुझाव के अंदर, जो कि वर्ष 2006 में आया था, बहुत साफ लिखा था कि भुगतान की गई लागतें, जिसमें किराया, मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, भूमि में पट्टे के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद आदि जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर नगद या सामान्य रूप से किया गया व्यय, सिंचाई प्रभार उपक्रमों और फर्म भवनों का मूल्य, ह्रास काल से पूंजी का ब्याज, पंप सेट्स आदि के प्रसारण के लिए डीजल, बिजली का व्यय, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम के रोपित मूल्य जैसे कई सुझाव, समर्थन मूल्य की दृष्टि से थे। वर्ष 2007 में जब उस समय की सरकार ने राष्ट्रीय नीति स्वीकार की, तो उसने इसको माना ही नहीं। उसने कहा कि ये संभव नहीं है। अब हमारी सरकार ने इसी आधार पर जिन-जिन उत्पादों की कीमत 50 फीसदी से ज्यादा थी, उन्हें 50 फीसदी से ज्यादा किया है। कुल मिलाकर आयोग की ठंडे बस्ते में जितनी अनुशंसाएं थीं, उन सब को इन्हीं चार वर्षों के अंदर इस सरकार ने लागू किया है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में ऋण नहीं, बीज नहीं, वहां बिचौलिये किसानों की लूट कर रहे हैं। वहीं बांका सहित सम्पूर्ण बिहार में सुखाड़ की भयंकर स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, भाषण देने में बहुत देर करते हो। Do you not have any Question to ask?

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : वहां बारिश नहीं हुई है। क्या सरकार राज्य सरकार से बात करके बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहती है। वहां किसान त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार की सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को राहत देने के लिए डीजल पर सब्सिडी देना शुरू किया है और बाकी वह नियमानुसार जो भी कार्रवाई करेगी, भारत सरकार बिहार के किसानों के साथ खड़ी है।

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र हुड्डा, आप बोलिये, लेकिन शार्ट क्वैश्चन पूछिए, भाषण नहीं देना है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदया, जो उत्तर दिया गया है और मंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया है, मेरा मानना है कि वह अधूरा सत्य है। क्योंकि लागत निकालने के दो तरीके हैं। स्वामीनाथन कमीशन में भी दो तरीके माने गए हैं। सरकार भी सीएसीपी दो तरीके से लागत निकालती है। एक सी-टू फार्मूला है और दूसरा ए-टू प्लस एफएल फार्मूला है। ए-टू प्लस एफ.एल. फार्मूला में हर तरह की लागत शामिल नहीं है। सी-टू फार्मूले में चाहे जमीन से जुड़ी हुई कॉस्ट हो, लैंड कॉस्ट तथा सिंचाई से जुड़े हुए कई इस तरह के खर्चे हैं। स्वामीनाथन कमीशन में कहा गया था कि सी-टू के ऊपर पचास परसैंट दिया जाएगा। अब सरकार कह रही है कि हमने लागू कर दिया, लेकिन इस सरकार के बयान की सबसे ज्यादा तकलीफ स्वयं स्वामीनाथन जी को है, जिन्होंने कहा कि केवल पैडी में देखें, उनका बयान आया कि मेरा नाम ऐसे खराब न किया जाए। अगर पैडी में सरकार स्वामीनाथन कमीशन लागू करेगी तो 2340 रुपये पैडी का डिक्लेयर होना चाहिए, जबकि सरकार ने 1750 रुपये डिक्लेयर किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने ए-टू प्लस एफएल पर पचास परसैंट कहकर उसे जो ऐतिहासिक बताया है, यूपीए के समय दस वर्ष में हमेशा हर वर्ष औसतन 67 प्रतिशत बढ़ाया गया। इस लागत के ऊपर दस में से नौ वर्ष पचास परसैंट से ज्यादा मुनाफा दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपने पांच साल में औसत 38 प्रतिशत दिया और पहली बार आपने पचास परसैंट दिया है। आप स्वामीनाथन कमीशन कब लागू करेंगे?…(व्यवधान) किसान की आवाज सदन में दबाई नहीं जा सकती। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई आवाज दबाई नहीं जा रही है।

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि 2006 में किसान आयोग ने जो रिपोर्ट दी …(व्यवधान) वर्ष 2006 में स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी, वर्ष 2007 में जब इनकी सरकार थी, तब नेशनल फार्मर्स पालिसी बनाई गई तो उसमें साफ-साफ कहा गया कि इसको हम नहीं मानेंगे और उसको पालिसी में डाला ही नहीं, उसे आप पढ़ लें। …(व्यवधान) आप उसे पढ़ें। 201 सिफारिशों में उसको नहीं माना।

दूसरा वर्ष 2013-14 में इन्हीं की सरकार थी। उस समय धान की जो न्यूनतम समर्थन लागत थी, वह 961 रुपये थी। इन्होंने उसे 1310 रुपये तय किया। यह 36 फीसदी था, 64 फीसदी नहीं था। मैं वर्ष 2013-14 की बात कर रहा हूं। …(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। आप सुनने का भी धैर्य रखिए, आप किसान हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि ज्वार की लागत उस समय 1269 रुपये लागत थी, आपने उसे 1500 घोषित किया, जो मात्र 18 फीसदी था। इस तरह से सबको पचास फीसदी किया है। जितने का भी कम था, उन सबको पचास फीसदी करने का काम किया। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not do like this.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, we should have a Short Duration Discussion on the issue of MSP. … (*Interruptions*)

(Q. 83)

SHRI RAHUL SHEWALE : Madam, this is about the fertilizers being manufactured by the Rashtriya Chemical Fertilizers. The Government has imposed a cap on fertilizers eligible for subsidy. The net result is that RCF has been incurring huge losses on account of non-availability of adequate buyers of such non-subsidized high cost fertilizers. Further, if RCF produces fertilizers below its capacity, then its energy norms will be reduced, which will make it ineligible for adequate subsidy.

So, I would like to ask this from the hon. Minister. What steps have been taken by the Government to make good the losses of RCF, and to encourage it to produce fertilizers in its full capacity? Thank you, Madam.

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, इंडिविजुअल फर्टीलाइज़र का लॉस मेकिंग का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। लेकिन यह ज़रूर है कि यूरिया के ऊपर जितनी भी सब्सिडी दी जाती है, पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से वह दर्ज हो जाता है। यह जो हमारा इंटिग्रेटिड फिर्टिलाइज़र सिस्टम है, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि कितना यूरिया किस स्थान के ऊपर, किस पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से बिका और जो विक्रेता है, उसको वह पूरी की पूरी, शत प्रतिशत यूरिया की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जहां तक पोटैशियम और पीएनके की बात है, साल में एक बार निर्धारित किया जाता है कि उस फिर्टिलाइज़र के अंदर पौष्टिकता कितनी है और उसके हिसाब से एक बार सब्सिडी तय कर दी जाती है। वह तय करने के बाद उस यूनिट को यह अख्तियार है कि उसके हिसाब से वह बेचता रहे और उतनी ही सब्सिडी उसको मिलेगी, जितनी कि सरकार ने तय की है।

श्री राहुल शेवाले : मैडम, मैंने सवाल अलग पूछा और मंत्री जी ने जवाब अलग दिया है। What steps have been taken by the Government to ensure timely disbursement of

subsidy receivables to the fertilizer companies particularly M/s. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited as delay in disbursement of such receivables has adverse impact on credit profile and profitability of the said companies?

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, इन्होंने राष्ट्रीय फर्टीलाइज़र के विषय में चर्चा की है, मेरे संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में मुझे फिल्हाल पता नहीं है, मैं चैक कर के इनको बता दूंगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The Government has decided to change the contours of giving fertilizer subsidy to companies on actual sales made to farmers through point of sale, as the Minister was saying on point of sale devices. I would like to know from the hon. Minister as to what steps have been taken by the Government to make farmers aware about point of sale system and to keep a check on real demand of fertilizers and track its actual utilisation to avoid over-invoicing, diversion and other leakages and thus, to make fertilizer companies responsible for supply chain issues. This is the issue which I am told the Government is contemplating. Let us hear from the Government as to how it is making the fertilizer companies responsible for supply chain losses.

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, भारत सरकार एक टाइम पर तय करती है कि किस राज्य को कितना फिर्टिलाइज़र आवश्यक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि फर्टीलाइज़र मॉनिट्रिंग सिस्टम के माध्यम से चैक किया जाता है कि क्या उस राज्य सरकार को यह फर्टीलाइज़र उपलब्ध हो गया है। एक बार राज्य सरकार के पास यह फर्टीलाइज़र चला जाता है तो मॉनिट्रिंग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से फर्टीलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत वह कर सकती है। जो कंपनी अगर अपने फर्टीलाइज़र को ठीक ढंग से विक्रेता तक नहीं पहुंचा पा रही है, उसके खिलाफ असेंशिएल कमोडिटीज़ एक्ट के माध्यम से कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जो मंशा या सोच है

कि फर्टीलाइज़र पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि सन् 2015-16 के अंदर स्मगलिंग के केसेज़ ज़ीरो थे और ब्लैक मार्केटिंग के केसेज़ केवल आठ थे। सन् 2016-17 के अंदर स्मगलिंग के केसेज़ ज़ीरो थे और ब्लैक मार्केटिंग के ज़ीरो केसेज़ थे। सन् 2017-18 में स्मगलिंग का एक केस था और ब्लैक मार्केटिंग के दो ही केस थे। अगर इससे पुराने वाले तीन साल के साथ इसकी तुलना की जाए तो सन् 2012-13 में स्मगलिंग के 40 केसेज़ थे और ब्लैक मार्केटिंग के 136 केसेज़ थे। सन् 2013-14 में स्मगलिंग के दस केसेज़ थे और ब्लैक मार्केटिंग के 118 केसेज़ थे। जिस साल हमने कार्यभार संभाला था, यानि सन् 2014-15 में स्मगलिंग के 18 केसेज़ थे और ब्लैक मार्केटिंग के 348 केस थे। महोदया, हमारी सरकार आने के पहले के जो तीन साल थे, तब तो स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के बहुत ही ज्यादा केसेज़ थे। हमारी सरकार आने के बाद कुल मिला कर 11 केसेज़ ही तीन साल के अंदर दर्ज हुए हैं। इस हिसाब से तो फर्टीलाइज़र पूरे तौर पर विक्रेता के पास पहुंच रहा है और उसके माध्यम से लोगों के पास भी पहुंच रहा है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is making the fertilizer company accountable. I would like to understand as to what steps the Government has taken to make the fertilizer companies accountable. How many of those fertilizer companies have been made accountable?

राव इंद्रजीत सिंह : फर्टिलाइजर कंपनी को तो तब अकाउन्टेबल ठहरायेंगे जब हमारे पास इस किस्म की कोई शिकायत आएगी। अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो ये कोई एक पर्टिकुलर केस बतायें, हम जाँच करवा लेंगे। मैंने अभी आपको और सारे सदन को बताया है कि वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में फर्टिलाइजर की बिक्री के अंदर जो कालाबाजारी/तस्करी हुई है, ऐसे कुल मिलाकर 11 केसेज हैं। अगर कोई कालाबाजारी/तस्करी हुआ भी करती थी तो नीम कोटिंग की वजह से वह आज एकदम से खत्म हो गई है।

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH : Thank you Madam Speaker. This is in the context of part 'B' of the question. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that apart from cases of black-marketeering and smuggling, the availability of railway rakes also plays a vital role in the timely supply of fertilizers throughout the country. From there, it is an onward transmission to the various points of sale in all blocks of the districts. Due to the shortage of railway rakes or the fact that a lot of them are pending upgradation, the supply of fertilizers to these points of sale is not sufficient during the peak demand time. Now, this has an adverse effect on the crops and also on the agricultural production in the country. I would like to know from the hon. Minister about the number of requests pending before the Ministry for the opening of new rakes especially by the Government of UP. I would also like to know whether the Ministry proposes to develop new rake points locations which have feasibility constraints.

RAO INDERJIT SINGH: Madam Speaker, there is a system in place whereby every month there is a meeting of the Railways with the Department of Agriculture and the Department of Fertilizers. They evaluate as to how many rakes are required for which State. If there is some place where the rakes have not reached in time, it is to be brought to our notice. This year we have given additional 628 rakes compared to 2017. We have supplied nearly 20 lakh metric tonnes extra *via* these initiatives of the Government.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, the main problem is the non-availability and the timely supply of these subsidised fertilizers. The main

reason is that the domestic production is not adequate to meet the requirement. There are a number of proposals before the Ministry of Fertilizers because the Indian agriculture is mainly dependent on rain. So, the demand is coming at one time immediately after the rain. Hon. Minister of Fertilizers is well aware about the urea plant in FACT. In 2003, the urea plant in FACT was stopped. There is also a proposal to initiate a urea plant as well as the phosphatic fertilizers or the NPK or the composite fertilizer in FACT, which is one of the biggest and premier fertilizer manufacturing units in the country. There is also a proposal to do the capacity augmentation of FACT regarding the complex fertilizers also. I would like to know whether these proposals are under active consideration of the Government. What is the response of the Government?

RAO INDERJIT SINGH: Madam Speaker, I will just read out the requirements of last year for both urea and NPK fertilizers. The requirement was assessed at 298.52 lakh metric tonnes. The availability of urea was 317.06 metric tonnes and the sales were 303.06 lakh metric tonnes. So, the sales were much less than the availability. Similarly, for NPK fertilizers, the requirement was assessed at 229.47 lakh metric tonnes. The availability was 226.17 lakh metric tonnes and the sales were 212.34 lakh metric tonnes. Obviously, it was less than the total requirement and the availability.

The Government is fully aware of the situation. We are making both the fertilizers, NPK and Urea, immediately available to the farmers, whenever they require it. I think, in the last three or four years, there has been no shortage of fertilizers.

(Q.84)

SHRI PREM DAS RAI : Madam, the hon. Minister has given a fairly detailed reply. I would just like to submit my first question as 2(b). In this, there are eighteen major milk producing States which NDP-1 has covered. But NDP-1 does not cover the Northeastern States. If you look at the value under the National Programme for Dairy Development, the amount received by the Northeastern States is just 3 per cent of the total amount expended in the dairy sector.

In States like Sikkim and hilly States, we need localised production of milk rather than getting milk from other parts of the country. I would like to understand from the hon. Minister whether there is any move on their part as a policy to make localised milk available through National Programme for Dairy Development in the Northeastern States including Sikkim.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, नेशनल डेयरी प्लान वर्ष 2010-11 में प्रारंभ हुआ था। पहले यह देश के 14 राज्यों में, जहां 80 प्रतिशत दूध का उत्पादन होता है या दुधारू पशु हैं, वहां प्रारंभ हुआ। फिर जो चार नए राज्य बने, उन्हें मिलाकर कुल 18 राज्यों में यह योजना चलती है। लेकिन, शेष सभी राज्यों के लिए अलग-से एक योजना चलती है, जिसका नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.) है। उसके अन्तर्गत हमने पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 71 करोड़ रुपये की राशि दी है और नई परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है।

सिक्किम राज्य के अंदर आज जैविक दूध का भी उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए हम यह निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि सिक्किम के अन्दर व्यवस्था और अच्छी हो।

SHRI PREM DAS RAI : Madam, I am so happy that the hon. Minister has referred to my second question regarding how much percentage of dairy

farming in India is organic in nature. Regarding organic feed, zero chemicals, zero hormones and antibiotic free milk, has the Government made any plans for the promotion of and gradual shift to organic farming methods over the next ten years?

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए। आपके एक और नए मिनिस्टर पैदा हो गए हैं।

…(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, पूरे देश के अन्दर सभी राज्य सरकारें पहले से भी 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' की मद में जो राशि जाती थी, उससे जैविक खेती को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन, पहली बार वर्ष 2015-16 में जैविक खेती के विकास के लिए पूरे देश में परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई और इसके लिए अभी तक लगभग एक हजार करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए हैं। लेकिन, इससे अलग हट कर उसी समय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला की एक नयी योजना चली। पूर्वोत्तर के राज्यों को इसका काफी लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से सिक्किम राज्य भी इसका लाभ ले रहा है।

हमारी सरकार बनने के एक साल बाद मैं खुद वहां गया था और प्रधान मंत्री जी भी वहां रात में रूके थे और गांव में भी गए थे। उस राज्य को 'जैविक स्टेट' घोषित किया गया था। उसे देखने के बाद कई पहाड़ी राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। देश के कई राज्य अपने यहां कुछ जिलों को 'जैविक डिस्ट्रिक्ट' घोषित कर रहे हैं। इसलिए बड़ी तेजी से जैविक खेती का विकास हो रहा है। अभी 23 लाख बिलियन हैक्टर्स में जैविक खेती हो रही है, यह बहुत अच्छी बात है। सतत कृषि विकास के लिए और सॉयल हेल्थ के लिए जैविक खेती आज राष्ट्रीय आवश्यकता है, किसान की आवश्यकता है।

श्री गणेश सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी ने 18 राज्यों को एनडीपी फर्स्ट के तहत कवर किया है, उसी में हमारे मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, जिसके चलते यह योजना शुरू

हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए आपने जो एक एनडीपी योजना शुरू की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों को शामिल किया है और आगे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य क्या है?

श्री राधा मोहन सिंह: देखिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी मेरे पहले प्रश्न में यह सवाल उठा था कि किसान आयोग ने क्या-क्या सिफारिश की है? किसान आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि इस देश के अंदर गाँव में जो नॉन-नोटिफाइड दुधारू पशु हैं, वे 80 से 85 प्रतिशत हैं और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसान आयोग ने सिफारिश की थी। जब किसान नीति बनी तो उसमें भी इसको लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि इस दिशा में हमने कोई प्रभावी प्रयत्न नहीं किया। मेरी सरकार आने के तुरंत बाद हमने 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' शुरू किया। आप दुनिया के कई देशों में देखेंगे कि उस देश के अंदर जो नस्ल हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है, लेकिन यह हिन्दुस्तान के अंदर नहीं है। पहली बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसकी चिंता की और देश के अंदर दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर खोले गए। अन्य देशों में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर हैं, लेकिन हमने उसमें कामधेनु शब्द जोड़ा है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक सेंटर का निर्माण लगभग हो चुका है और मध्य प्रदेश का निर्माणाधीन है।

इसके अलावा, देश में गोकुल ग्राम की भी स्थापना हुई है। लगभग 14 राज्यों में 20 गोकुल ग्रामों की स्थापना हुई हैं और जो फ्रोजन सीमन स्टेशंस थे, मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ तीन लाख डोजेज का उत्पादन होता था। अभी वहाँ पर पूर्वी राज्यों के लिए, जो पूर्णिया जिला है, उसके अंदर एक स्टेशन का शिलान्यास किया गया है और लगता है कि वह एक साल में बनकर तैयार होगा। 28 प्रकार के स्टेशनों को मजबूत बनाने के लिए देश में काम शुरू हुआ है। उनकी उत्पादकता बढ़े और आप उसी का परिणाम देखेंगे कि बड़ी तेजी से देश के अंदर उत्पादकता बढ़ रही है। देश में प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है, वह आज 373 ग्राम प्रतिदिन है। जबकि आप देखेंगे कि वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 299 ग्राम प्रतिदिन थी। दूध उत्पादन में भी वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के बीच में वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत थी और वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक वार्षिक

वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत है, जो विश्व का मात्र दो प्रतिशत था, अब तो उससे भी कम हुआ है। इसलिए उत्पादन के मामले में और उत्पादकता के मामले में भी बड़ी तेजी से हम आगे बढ़े रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मगर थोड़ा शॉर्ट उत्तर तथा छोटा प्रश्न होना चाहिए।

श्री गौरव गोगोई : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, यह सवाल दूध उत्पादन के साथ है, लेकिन दूध उत्पादन के साथ इसके निर्यात का भी एक संपर्क है। आज ही मीडिया रिपोर्ट में आया है कि जो स्कीम्ड मिल्क पाउडर है, उसमें पिछले कुछ सालों में बहुत गिरावट हुई है। अगर आप वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक देखें तो स्कीम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात में लगभग 90 प्रतिशत ड्रॉप हुआ है। जहाँ वर्ष 2013 में लगभग 2,700 करोड़ रुपये का स्कीम्ड मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट होता था, आज लगभग 2,019 करोड़ रुपये तक आ गया है। यह गिरावट क्यों हुई है? उत्पादकों की संख्या तथा उनकी आमदनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आज दूध उत्पादकों की बीच में एक भय का वातावरण है। जब वे बाजार से दुग्ध उत्पादन करते हुए गाय को लाते हैं तो रास्ते में उनको कोई मारता है, कोई उनको पीटता है। आज जो भय का वातावरण है, क्या आपने इस चीज को अपने संज्ञान में लिया है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। निश्चित रूप से देश में उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, तो देश के अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी ज्यादा उपलब्ध हुए हैं। हमने 13 जुलाई को कॉमर्स मिनिस्ट्री को लिखा था कि एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन दें, तो उनको 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देना तय कयिा है। हमने रिकमेंडेशन की थी, तो उन्होंने 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि तय की है। इसके अलावा राज्यों को भी हमने लिखा था कि इसका और प्रकार से उपयोग हो, तो कई राज्यों ने जैसे कर्नाटक, बिहार, राजस्थान ने आईसीडीएस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी के अंदर देना शुरू किया है। इसी तरह से राजस्थान ने मिड-डे-मील योजना के अंदर देना शुरू किया है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार ने अलग से, आप जिस पाउडर की चर्चा कर रहे हैं, मिल्क पाउडर के लिए 50 रुपये प्रति कि लो

राज्य सरकार की ओर से देना शुरू किया है। अब हमने वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन के लिए 300 करोड़ रुपये के फंड के लिए भी एनडीडीबी के साथ मिलकर एक प्रस्ताव बनाया है। हम पूरी तरह से निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं और जो बाहर से आयात होता था, उसके आयात शुल्क को बढ़ाया है, ताकि वह बाहर से न आए। इसके लिए हमने प्रोत्साहन दिया है। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं में इसका उपयोग कर रही हैं। यहां तक कि रेलवे ने अपनी एक मीटिंग की कि रेलवे में कैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का उपयोग हो। जिस प्रकार से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ रही है, उसी तरह से सरकार भी इस दिशा में प्रयत्न कर रही है।

(Q. 85)

श्री लल्लू सिंह : महोदया, शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में, स्लम बस्तियों में रहने वाले जो गरीब थे, प्रदेश सरकार उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं करती थी। वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी जब इस देश के प्रधान मंत्री हुए, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी सबको आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या आवास के साथ-साथ पेयजल, सीवर, शौचालय, बिजली, पानी की भी व्यवस्था उन स्लम बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में करने की कोई योजना है और क्या इस योजना की कोई समय-सीमा तय है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker Madam, even though land is a State subject, each of the Prime Minister's flagship programmes- AMRUT, which deals with water tap connection and sewage treatment, the Swachh Bharat Mission, the Pradhan Mantri Awas Yojana- all these programmatic interventions have specific provisions for ameliorating the lives of those of our citizens who live in conditions which could be described as slum-like. Let me give you a few examples. Under the Swachh Bharat Mission, we had a target in the urban areas of constructing 67 lakhs individual household toilets and about five lakhs community toilets. Even though the precise data is available with the State Governments and Union Territories, because it is difficult to describe as to which particular area is a slum or otherwise, it is my belief that a large per centage of the individual household toilets are constructed for people who are living in slum conditions. Equally, almost all the community toilets are

being constructed where they are required and these are all slum conditions. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, we have a coverage under four vectors. One of these relates to *in situ* slum rehabilitation and again these are specifically to provide decent accommodation, green accommodation where hitherto slums prevailed.

12 00 hrs

In AMRUT also the different focus areas include those which are providing water tap connections and sewage treatment for areas which would generally be regarded as slums.

श्री लल्लू सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में लगातार झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हो रहा है। क्या इस प्रकार की कोई योजना है, जिससे भविष्य में झुग्गी-झोपड़ी और स्लम बस्तियों का विस्तार न हो?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam, land and colonisation under the Seventh Schedule is a State Subject. So, responsibility is primarily that of the State Governments but we supplement the efforts of the State Governments through our flagship programmes and programmatic interventions.

The hon. Member mentioned about slum conditions increasing. This is a larger phenomenon on account of the fact that there are demographic shifts of population taking place from rural areas and increasing number of people are coming into cities. So, all these programmatic interventions that I mentioned are designed to produce better living conditions for people who are otherwise living in slum conditions.

---

12 01 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Function to mark completion of three years of Speaker's Research Initiative

HON. SPEAKER: Hon. Members, I wish to inform you that the Speaker's Research Initiative which was inaugurated by the Prime Minister on the 23rd July, 2015 has completed three years.

A function is being organized today in the Main Committee Room of Parliament House Annexe at 4.30 p.m. to mark the occasion. Hon. President of India has agreed to be the Chief Guest at this function.

I invite all the Members for today's function. जिनकी यहां जरूरत है, वे यहीं बैठेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है।

12 02 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है।

12 03 hrs

At this stage, Shri Jai Prakash Narayan Yadav came and stood on the floor near the Table.

____

12 03 ½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) का.आ. 1460 (अ) जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं.का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ii) का.आ. 3171 (अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं.का.आ. 371 (अ) कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9315/16/18]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-

(1) S.O.859(E) published in Gazette of India dated 28th February, 2018, making certain modifications in the Unified Building Bye-Laws for Delhi 2016.

(2) S.O.1502(E) published in Gazette of India dated 11th May, 2017, containing corrigendum to the Notification No. S.O.1053(E) dated 5th April, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9316/16/18]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, on behalf of Shri Hansraj Gangaram Ahir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9317/16/18]

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9318/16/18]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 6 of the Anand Marriage Act, 1909:-

(i)The Andaman and Nicobar Islands Anand Marriages Registration Rules, 2017 published in Notification No. 266/2017/F.No.27-4/2014-Rev. in Andaman and Nicobar Gazette dated 6th November, 2017.

(ii) The Dadra and Nagar Haveli Anand Marriages Registration Rules, 2017 published in Notification No. ADM/LAW/29/2017/1747 in Dadra and Nagar Haveli Gazette dated 7th September, 2017.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9319/16/18]

HON. SPEAKER: Please go back to your seats; otherwise, I will not allow anybody to speak.

… (*Interruptions*)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2018- 2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9320/16/18]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9321/16/18]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9322/16/18]

(ग) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9323/16/18]

(घ) (एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9324/16/18]

(4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9325/16/18]

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1370 (अ) जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों से नेशनल एक्रेडिऐशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीस से संबद्ध, उसमें उल्लिखित, संगठनों की प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए कीटनाशी आयात की छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9326/16/18]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आर्टिफिशल्स लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9327/16/18]

(2) (एक) नेशनल एसोशिएशन फार द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोशिएशन फार द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9328/16/18]

(4) (एक) डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर एसोशिएशन आफ द ब्लाइंड, नलगोंडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर एसोशिएशन आफ द ब्लाइंड, नलगोंडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9329/16/18]

(6) (एक) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी,हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9330/16/18]

(8) (एक) शांतिनिकेतन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिकेतन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9331/16/18]

(10) (एक) स्नेहा सोसायटी फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 से 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9332/16/18]

(12) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनःशक्तता से ग्रसितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनःशक्तता से ग्रसितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9333/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Land Ports Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Land Ports Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9334/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the Constitution:-

(i) The National Fire Service College, Nagpur (Laboratory Technician Grade-I) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.78 in Gazette of India dated 9th March, 2018.

(ii) The National Fire Service College, Nagpur Hostel Warden (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.79 in Gazette of India dated 13th March, 2018.

(iii) The National Fire Service College, Nagpur, Deputy Director (Group ‘A’ post) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.80 in Gazette of India dated 13th March, 2018.

(iv) The National Fire Service College, Nagpur, Chief Instructor (Group ‘B’ post) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.90 in weekly Gazette of India dated 31st March, 2018.

(v) The National Fire Service College, Junior Demonstrator (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.91 in weekly Gazette of India dated 31st March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9335/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Foreigners Order, 1948 and Rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950:-

(i) S.O.2389(E) and S.O.2390(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2018, declaring kannur Airport of Kerala State as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India and appointment of Superintendent of Police, Kannur, Kerala as the “Civil Authority”.

(ii) S.O.2391(E) and S.O.2392(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2018, declaring Moreh Land Check Post of Manipur State as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India and appointment of Superintendent of Police, Tengnoupal District, Manipur as the "Civil Authority".

(iii) S.O.2393(E) and S.O.2394(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2018, declaring Surat Airport of Gujarat State as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India and appointment of Commissioner of Police, Surat, Gujarat as the "Civil Authority".

[Placed in Library, See No. LT 9336/16/18]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hajipur, for the years 2012-2013 to 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(2) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9337/16/18]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Central Warehousing Corporation and the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9338/16/18]

(ii) Memorandum of Understanding between the Central Warehousing Corporation and the Central Railside Warehouse Company Limited for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9339/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 40 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(i) The Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BS/11/11/2018 in Gazette of India dated 4th June, 2018.

(ii) The Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BS/11/04/2018 in Gazette of India dated 7th June, 2018.

(iii) The Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BS/11/05/2018 in Gazette of India dated 14th June, 2018.

(iv) The Bureau of Indian Standards Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.584(E) in Gazette of India dated 25th June, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9340/16/18]

(3) A copy of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.251(E) in Gazette of India dated 21st March, 2018 under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 9341/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

(i) G.S.R.149(E) published in Gazette of India dated 8th February, 2018, directing that no producer of sugar shall hold sugar stocks less than the quantity at the end of the month, mentioned therein.

(ii) G.S.R.195(E) published in Gazette of India dated 28th February, 2018, fixing the price specified, in column(s), of the Schedule hereto annexed as the fair and remunerative price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified, mentioned therein, of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 2014-2015 ending with the 30th September, 2015 subject to the rebate payable there for under clause (3A) of the said order.

(iii) The Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2018 published in Notification No. S.O.2414(E) in Gazette of India dated 13th June, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9342/16/18]

(5) A copy of the Notification No. S.O.3127(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th June, 2018, making certain amendments in Notification No. S.O.3577(E) dated 29th November, 2016 under sub-section (2) of Section 37 of the National Food Security Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 9343/16/18]

… (*Interruptions*)

<u>12 04 hrs</u>

At this stage, Shri Idris Ali and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

…(Interruptions)… *

---

* Not recorded

12 04 ½ hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD):Madam, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the Eleventh sitting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held on 3 April, 2018.

… (*Interruptions*)

12 05 hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
28th Report

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 28वां प्रतिवदेन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी जगह पर चले जाइए।

…(व्यवधान)

12 05 ¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
37st and 38th Reports

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

1. 'ईपीएफओ से छूट प्राप्त संगठन/न्यास/प्रतिष्ठान: कार्यनिष्पादन, मुद्दे और चुनौतियां' के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन में (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।
2. 'उपकर निधियां और कामगारों के कल्याण के लिए उनका उपयोग' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन में (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।…(व्यवधान)

---

12 05 ½ hrs

At this stage, Shri Malikarjun Kharge, Shri Idris Ali, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and some other hon. Members went back to their seats.

12 06 hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 204th Report of the Standing Committee on Home Affairs *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, on behalf of Shri Hansraj Gangaram Ahir, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 204th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep Administration, pertaining to the Ministry of Home Affairs.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9344/16/18.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 195th Report of the Standing Committee on Home Affairs *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 195th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Devastation caused by Natural Disaster, Hudhud Cyclone in Andhra Pradesh and Odisha', pertaining to the Ministry of Home Affairs.

<u>12 07 hrs</u>

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष जी, मैं खाद्य प्रस्संकरण उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।...(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9345/16/18 and 9346/16/18 respectively.

HON. SPEAKER: The House shall now take up 'Zero Hour.'

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Will it go like this?

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठिए। क्या ऐसे ही होगा? आप अपनी जगह पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बोलने का मौका दे रही हूं, आप बैठिए। अगर सबको एक साथ चिल्लाना है तो मैं चुप रहती हूं, फिर कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, श्री जय प्रकाश, श्री सुदीप बंदोपाध्याय और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुझे समझ में नहीं आता है जबकि मैंने शुरु में ही सबको बोला था कि जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगी, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इस तरह से सदन में चिल्लाएंगे?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You should not do like this.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जिस तरह से आपकी पार्टी के मैम्बर मेरे ऊपर यहां आकर चिल्लाते हैं, आपको एज़ ए लीडर यह सब देखना होगा जबकि मैं आपको अलाऊ कर रही हूं। मैंने आपको एश्योर किया था कि मैं आपको बोलने का मौका दूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मत चिल्लाइए, मैं समर्थ हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ तो समझ रखिए। जब मैं नियम से चला रही हूं और मैंने सबका नाम लेकर बोला था, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला था कि मैं जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगी। आप इतना तो पेशंस रखिए। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आप शांति से बोल रहे हैं, पहले तो खड़े होकर चिल्ला रहे थे। ऐसे मत कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने अडसुल जी से भी कहा है, उनको भी बोलने का मौका दूंगी। मैंने सबको बोला है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मेरी भी बात सुनो, मुझे भी समस्या होती है। सामान्य सांसद जीरो आवर का नोटिस देते हैं और आप उनसे पहले का समय ले जाते हैं। साधारण सांसद, जो नेता नहीं हैं, वे मुझे आकर बोलते हैं कि उनका समय क्या सबसे आखिर में ही आएगा। यह उन पर अन्याय है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कंसिडर कर रही हूं कि दोनों को मिलाकर समय दूं। This should not be like that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले की एजर्नमेंट मोशन के बारे में कह दिया था, फिर भी आप हर चीज पर उठेंगे। ऐसे नहीं चलेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन चलाना है या नहीं चलाना है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

12 08 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Mob lynching incidents in different parts of the country

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I want to draw your attention regarding mob lynching. Mob lynching is creating an alarming situation in different parts of the country. All sensible persons are in a mood to condemn this incident.

Madam, it is a heinous, inhuman and brutal crime. But, a few ugly motivated people are taking advantage of it and are trying to create disturbance in the country. We demand an exemplary punishment to those who are creating this mischief and are creating a very uncertain situation. Our parliamentary democratic system is under threat. … (*Interruptions*) What I would say is that the Government should not keep mum and should not allow such things to happen. … (*Interruptions*)

Madam, we are for a united India. We want to stop lynching. We want that the Government of India, if necessary, should give directions to the State. The hon. Minister, Shri Rajnath Singh Ji, always tells us that it is a State subject. Even if it is a State subject, the Government of India should take some

initiative. So, I would request the hon. Minister of Home Affairs to say a few words on this issue of lynching. We all wholeheartedly condemn such types of incidents happening in the country.

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री सुदीप बन्दोपाध्याय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग यह समझ लीजिए कि रोज-रोज ऐसा नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर नेता को नहीं बोलना चाहिए। कल शाम को राजनाथ सिंह जी ने यहां स्टेटमेंट दिया था। कल शाम को हमारे होम मिनिस्टर ने यहां स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने कुछ कमेटी का भी गठन कि या है। हरेक को यह विषय उठाना सही नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। हर चीज को पोलिटिसाइज मत करो। मैं बोल रही हूं। कल शाम को माननीय होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था, फिर भी अगर आप दोबारा स्टेटमेंट चाहते हैं तो मैं होम मिनिस्टर जी को कहूंगी कि वह इस बारे में कहें। अगर हर नेता उसी बात को बार-बार बोलना चाहता है तो आज एक बार चर्चा हो जाए, सभी नेता आज इसी पर बोलिए , मगर रोज-रोज ऐसा नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हो रहा है तो क्या करें? यहां से कुछ तो हो रहा है। जितना कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सजा दो, तो यह कोर्ट का काम है। होम मिनिस्टर ने कल भी बताया था, अभी भी बताने को तैयार हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : करण सिंह जी, आपको कल मैंने यह विषय उठाने का समय दिया था। अभी आप अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (**गुलबर्गा**) **:** मैडम स्पीकर, आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए , कोई बात नहीं । आपका भी पेट भरिए ।

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह दे रहे हैं ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : He wants to say same thing.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए । आप क्या चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी बोलेंगे, लेकि न अन्य लोग भी बोलना चाहते हैं। आपके बोलने से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। He wants to say the same thing.

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, आज मॉब लिंचिंग पर चिन्ता जताई जा रही है, लेकिन सड़क पर हालात वही हैं। राजस्थान के अलवर में गो-तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोलने दीजिए । एक बार जितना बोलना चाहते हैं, बोल लेने दीजिए ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मृतक का नाम रकबर खान है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम वगैरह पेपर्स में आ चुका है। आप उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, यह महत्वपूर्ण है और वहां पर डायरेक्ट पुलिस इसमें इनवाल्व्ड है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। Nobody knows as to what is happening exactly.

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, वे लोग डेयरी फार्म के लिए अपनी गाय लेकर जा रहे थे, उनके ऊपर गोरक्षकों ने हमला कि या और वे गोरक्षक वहां के ...* के शिष्य हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे आरोप यहां पर पेपर में पढ़कर लगाए जाते हैं तो मैं उनको रिकॉर्ड में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जिसकी इनवेस्टीगेशन होनी है, वह इनवेस्टीगेशन होने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, I am sorry. क्या आप वहां पर मौजूद थे?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, यह सच्चाई है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, I am sorry. आप बैठिए। इनवेस्टिगेशन होने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह बोलिए कि कार्रवाई होने दो।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, अगर सरकार के लोग ही उसका सपोर्ट करने लगें और मरने वालों को यहां पर रखकर, गाय के लिए ऐसा करते हैं। सरकार वहां पर इस पर रिस्पांस नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि यहां पर होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनाने की बजाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बना है, उनको करने दीजिए, लेकि न मैं साथ ही डिमाण्ड करता हूं कि सिटिंग

---

* Not recorded

सुप्रीम कोर्ट जज से इन घटनाओं की इनक्वायरी की जाए और रिपोर्ट आने दीजिए और जो अपराधी हो उसे शिक्षा दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री राजीव सातव और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए। आपकी डिमाण्ड आ गयी है।

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, संसद में मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम के बारे में चर्चा करना भी हमारी मर्यादा के लिए शोभा नहीं देती है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, चर्चा नहीं है। आप अपनी बात कहिए।

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सड़कों पर, गांवों में ऐसी घटनाएं, चाहे वे कि सी अफवाह के आधार पर हो, चाहे वह गोरक्षा के नाम पर हो, चाहे वह चाइल्ड-लिफ्टर के नाम पर हो, यह जो स्ट्रीट जस्टिस मॉब के द्वारा हो रहा है, इस पर चर्चा करना हमारे लिए भी बहुत मर्यादित नहीं होता है।…(व्यवधान) लेकि न पिछले कई वर्षों से…(व्यवधान) मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि इस सरकार में हो रहा है। …(व्यवधान) हमने पहले भी जब चर्चा की थी, पिछले दस-बारह सालों में ऐसी स्थिति देश में बन रही है और बिगड़ रही है।…(व्यवधान) इसको मानना चाहिए। हमने वर्ष 2015 में सदन में चर्चा की थी। …(व्यवधान) जब अखलाक की मौत हुई थी, पहलू खान और रकबर खान का मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, ये मीडिया में हैं। उस समय हमारे देश के लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ने पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो आपके गृह मंत्रालय से दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, …(व्यवधान) वे सब अवार्ड्स वापस हो रहे थे। …(व्यवधान) उस समय आपको मानना चाहिएए था। …(व्यवधान)

तभी समझना चाहिएए था …(व्यवधान) न कि सुप्रीम कोर्ट यह बोले, फिर आप कमेटी बनाएं और दिल्ली के नजदीक यह हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह फैल रहा है, जो खतरनाक है। …(व्यवधान) यह सिर्फ हिन्दू-मुसलमान का मामला नहीं है, यह गाय का मामला भी नहीं है। स्वामी अग्निवेश के ऊपर भी हमला हो रहा है। …(व्यवधान) हम अगर हत्यारे को माला पहनाएंगे, बचाएंगे, …(व्यवधान) जो बंगाल में और त्रिपुरा में कभी नहीं होता था, त्रिपुरा में चार लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है। …(व्यवधान) बंगाल में छ: लोगों का हुआ है। …(व्यवधान) यह नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। …(व्यवधान) मैं कि सी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं।…(व्यवधान) यह मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है। …(व्यवधान) यह हेट क्राइम इन पॉलिटिक्स है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I can understand.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, अमेरिका में काली चमड़ी के लोगों की 100 साल पहले व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पर हत्या की जाती थी। …(व्यवधान) वह मानवाधिकार के ऊपर लांछन था। …(व्यवधान) उसके लिए जो मेजॉरिटैरियनिज्म की पॉलिटिक्स है, वह हाथ बढ़ाती है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉसम्पत .ए ., श्री इन्नोसेन्ट, श्री पीबिजू .के . और श्री एमराजेश .बी . को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Nothing will go on record.

*…(Interruptions)…**

HON. SPEAKER: Thambidurai Ji, you start. Nothing else would go on record.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, we know that so many incidents of lynching are taking place throughout the country. It is not confined

* Not recorded

to one State. So, we are very much concerned about the issue of lynching. Why is it happening? Even though law and order is a State subject, now-a-days, the States want the support of the Centre to modernize the police system. Without modernisation, we cannot find out the places where such things are happening. We have to see where it originates and how it originates. We have to study the root cause of this problem. For example, child trafficking is also taking place. In Tamil Nadu also so many things have happened. I want to highlight those things also. People are moving suspiciously in villages, with the result, some news and some stories spread. Afterwards, what happens is that people come together and beat up the person who is moving suspiciously. He may be innocent or he might have committed some crime. We do not know that. But mobs come and beat such persons. Why is it happening? What the intelligence is doing? So, it is very important to strengthen intelligence to stop such incidents.

We have been elected to serve the people. Earlier so many kings ruled the country. Even though people are kings and masters, they have sent us like kings. They cannot come here. They have sent us here. Therefore, our first priority should be law and order. All the States have to maintain law and order. If they are not able to do it, what is the role of the Centre? You have to provide intelligence input to them. We have to develop technologies throughout the country to find out criminals.

I would like to know whether we are able to use modern technologies to identify these kinds of criminals. Therefore, through you, I would like to request

the hon. Minister that the Central Government should come forward to stop these kinds of incidents of mob lynching. That is what we expect from the Central Government.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Dr. M. Thambidurai.

गृह मंत्री जी, आपने कल स्टेटमेंट दिया था, मगर मैं दोबारा आप से निवेदन कर रही हूं।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तो आपको और विशेष कुछ बोलना है।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, लिंचिंग …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कल बोला था, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, नथिंग।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, आपके लीडर ने बोला है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लिंचिंग की घटनाओं को लेकर चिंतित ही नहीं हैं, बल्कि इसे भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। लिंचिंग की घटनाएं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि केवल चार-पांच वर्षों से यह प्रारंभ नहीं हुई है, बल्कि वर्षों से इस देश में लिंचिंग की घटनाएं चल रही हैं। …(व्यवधान) नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी लिंचिंग की घटना इस देश में घटित हुई है तो वर्ष 1984 में घटित हुई

है।...(व्यवधान) मेरा यह कहना है कि भारत सरकार ने इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है।...(व्यवधान) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : अब आप भी बार-बार बोलेंगे, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, कल ही अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम सेक्रेट्री, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। जिसमें सेक्रेट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सेक्रेट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सेक्रेट्री, लैजिस्लेचर डिपार्टमेंट और सेक्रेट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सदस्य होंगे। चार सप्ताह के अंदर यह हाई लेवल कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनस्टिर्स, जो हमारी चेयरमैशिप में बना है। मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज, मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य होंगे, जो कि हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेंशंस पर विचार करने के बाद यह अपना फैसला करेंगे कि लिंचिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाना चाहिए। ...(व्यवधान) उसके लिए जो भी प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाने को तैयार हैं। यदि उसके लिए कानून बनाने की जरूरत होगी तो हम कानून भी बनाने को तैयार हैं।

---

12 23 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
55th Report

माननीय अध्यक्ष : आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ले करिए।

…(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : अध्यक्ष महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

12 24 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS... Contd

(ii)Re: Reported disclosure by Tata Institute of Social Science (TISS) on alleged sexual abuse of minor girls in Government children home in Muzaffarpur,Bihar

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, बिहार मुजफ्फरपुर के बाल गृह में दुष्कर्म के शर्मनाक और दिल दहला देने वाली राष्ट्रीय शर्म की घटना घटी है। चौदह वर्ष से तीस वर्ष की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया और यहां तक की मार देने की घटना भी सामने आई है।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी यह मामला कल सदन में उठा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : ऐसी घटना मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर में घटी है। जो सत्ता संरक्षित रसूखदार लोगों का इसको संरक्षण प्राप्त है और आज बाल गृह में दुष्कर्म हो रहे हैं। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। एक तरफ बेटी बचाने का अभियान चल रहा है तो बेटी की अस्मत कैसे बचाएं? यह बिहार में हो रहा है। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : आज बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। वे स्कूल नहीं जाना चाहती हैं। बिहार में काला शासन है। एक निर्भया कांड नहीं बल्कि आज सैंकड़ो निर्भया कांड बिहार, मुजफ्फरपुर और पूरे देश में हो रहा है। इस पर माननीय गृह मंत्री जी संज्ञान लेंगे और बिहार सरकार का काला शासन है। वहां आज लड़कियां बाहर नहीं निकल रही हैं, मुजफ्फरपुर घटना शर्मसार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री पी. करुणाकरन, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ. ए.सम्पत एवं एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीत रंजन जी, पहले मेरी बात सुनिए। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। एक महिला के नाते मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही संयमित भाषा में इसे रखेंगी। गंभीरता से बातों को रख जाता है, चिल्लाकर बात नहीं रखी जाती है। बहुत ही संयमित भाषा में आप अपनी बात रखें।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदया, आपने बच्चियों की उस फीलिंग को समझा, मैं भी उसी फीलिंग के आधार पर कहना चाहती हूँ कि मुज़फ्फरपुर के एक बालिका सुधार गृह में यह घटना घटी है। कहने को यह था कि 48 लड़कियों की मेडिकल जाँच हुई, जिसमें 41 लड़कियों की रिपोर्ट आई। पुलिस की जो जाँच रिपोर्ट है, उसमें 29 लड़कियों के साथ कई बार रेप होने की बात है तथा उनके शरीर पर जख्म मिलने की बात भी कही गई है। इसमें एक सात साल की बच्ची भी है, जो अब बोल भी नहीं पा रही है। बहुत-सी बच्चियाँ ऐब्नॉर्मल थीं, जिनके साथ भी बार-बार रेप हुआ।

ऐसी 13 संस्थाएँ हैं, उनके नाम मैं आपको दे दूँगी, हर संस्था पर शक की निगाह है और सभी संस्थाओं पर यह एलिगेशन लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ बालिकाएँ ही नहीं, बल्कि सुधार गृह में जो बालक जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उनको पोर्न मूवीज़ दिखाए जा रहे हैं, उनकी काउंसिलिंग होती है। प्रत्येक मंगलवार को काउंसिलिंग के नाम पर बच्चियों को सफ़ेदपोशों के समक्ष बिठाया जाता है। उन बच्चियों की यह गवाही है। वे सफ़ेदपोश कौन हैं, यह मुझे नहीं मालूम है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरिएंस बताना चाहूँगी कि पाँच-छह साल पहले जब मैं सांसद नहीं थी, तो मैंने कस्तूरबा गांधी स्कूल का विजिट किया था, मुझे किसी ने बताया था कि 21 बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक रात में वे बीमार पड़ गईं। वहाँ के सी.एस. ने स्वीकार किया कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। कस्तूरबा

गांधी स्कूल में जेंट्स को नहीं रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जेंट्स थे। वहाँ भी रेप की घटना हुई। रात के ढाई बजे तक मैं वहाँ पर थी, वहाँ समाज के डर से कोई नहीं आया। मैंने एक प्रभुत्व मीडिया पर्सन से कहा कि इस घटना को हाइलाइट कीजिए। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्टल हो, बालिका सुधार गृह हो, इनको वेश्यावृत्ति का अड्डा बनाया गया है क्योंकि वे गरीब हैं, उनके आगे-पीछे कोई नहीं है। बहुत-से ऐसे बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनको शेल्टर में रखा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए उनका इस्तेमाल होता है, उनको सफ़ेदपोशों के लिए यूज़ किया जाता है।

उनको वहाँ से निकालकर मोकामा, भागलपुर, मधुबनी और पटना में रखा गया है। जब ये हालात हैं। इसमें सब लोग मिले हुए हैं, सभी के नाम आ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर उनकी सुरक्षा की चिन्ता कौन करेगा? क्या इसकी गारंटी है कि उन बच्चियों को धमकाकर उनके बयान नहीं बदलवाए जाएंगे?

माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरी मांग है कि इस मामले में वे जवाब दें, इसकी सीबीआई जाँच कराएँ और इस पर कोर्ट की निगरानी हो। जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उन बच्चियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। इसके साथ ही, पूरे देश में बाल सुधार गृह, बालिका सुधार गृह और छोटे-छोटे कबूतर के घरों जैसे शेल्टर्स से बच्चियों के संरक्षण के नाम पर जो वेश्यावृत्ति चल रही है, इसे रोका जाए। इन सब घटनाओं के कारण आज चेन्नई में हो रहे स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में स्विट्ज़रलैंड की एक बच्ची आने से इंकार कर रही है।

इसलिए इस घटना को गंभीरता से लेकर उन बच्चियों के संरक्षण के लिए कदम उठाएं ताकि बलात्कार एक खेल न बन जाए। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस पर कुछ जवाब दें ताकि पीड़ितों को कुछ आश्वासन मिले और उन लोगों को इस बात का डर हो कि इस सदन के माध्यम से इस घटना की इंक्वायरी होगी।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जिस मुद्दे को इस सदन में उठाया है, वह निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की भी माँग की है। राज्य सरकार की रिकमेंडेशन प्राप्त होते ही, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए विचार करेंगे।

---

* SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Hon'ble Speaker Madam, kindly permit me to speak in Marathi. Madam Speaker, I want to draw Government's attention towards an Maharashtra yesterday. I am really thankful to you for allowing me to raise an important and serious issue. Maratha reservation has been a key issue in Maharashtra for the last 5 years, alongwith Dhangar and Lingayat reservation. Street processions were organized for pressing their demand for Maratha reservation in each and every district of Maharashtra and millions of people participated in this grand but peaceful processions. They observed total peace and cleanliness during these processions and there was not even a single issue of law and order situation. They demonstrated on the streets but in a complete peaceful and democratic manner and that is why every body is talking about it around the world. Hon'ble Madam, before elections they were promised to give reservation as a pre-poll promise. Even during the Atal behari Vapayee regime, Dhangars were also promised to give reservation. But there is a difference between the spelling of 'Dhangar' and 'Dhangad' and that is why it has also been stucked.

But, Government of Maharashtra is indulged in blame game and it is using the court's decision as a shield for not giving reservation to Marathas. Hon'ble Speaker, in Aurangabad district, a day before yesterday, after requesting the local administration, SP, DC and State Government, Maratha

* English translation of the speech originally delivered in Marathi

reservation protesters warned the Government about committing 'Jal-Samadhi' in writing. But the Government of Maharashtra totally ignored that warning and remained unfazed. After protesting peacefully for an hour, one person named Shinde committed suicide in Godawari river. This is very tragic.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : ये स्टेट का मुद्दा है, आप इतना लंबा भाषण मत दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री धनंजय महाडीक।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपका नाम एसोसिएट हो जाएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपका नाम बता दिया है, कि आप भी इस इश्यू में शामिल हैं।

…(व्यवधान)

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर) : मैडम, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या शॉर्ट में बोलेंगे? लंबा भाषण नहीं देना है। वह महाराष्ट्र का प्रश्न है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया। यहां इतना लंबा भाषण नहीं होता है। आपको मुद्दा उठाने के लिए समय दिया गया। एक व्यक्ति नदी में कूदता है, बाकी देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

*SHRI DHANANJAY MAHADIK : Madam Speaker, thank you very much for allowing me to speak. Maratha community have been protesting throughout Maharashtra for the last 10-15 days. Maratha youths have been fighting for reservation for the last 2-3 years, but without any positive result. Even Government is not taking their demand seriously. Hence, one youth named Kaka Saheb Shinde took 'Jal-Samadhi' by jumping into Godavari river yesterday for not taking their warning seriously. Madam, most of the Marathas are farmers and I have demanded reservation for Marathas in education and employment time and again. Government should come forward to help them and at least Rs.50 lac should be given to the family of late Kaka Saheb Shinde. Lastly, I reiterate my demand for reservation in education and employment for the Marathas.

Thank you, Madam.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री राजीव सातव को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12 34 hrs

At this stage Shri Vinayak Bhaurao Raut and some other hon. Members left the House

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Madam, kindly allow me to speak from this seat.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House, through you, that under my parliamentary constituency there is a halt station named Chandkhali in Sealdah-Canning railway line. It has not started functioning due to non-completion of one side of the platform. In the year 2014, I personally requested the then Railway Minister for completion of the said railway station platform and I submitted a letter to him.

In this context, I contacted the General Manager, Eastern Railways several times. But Madam, despite all my efforts, I always received the same reply that the work will be completed in the next dry season as waterlogging is one of the main reasons in the monsoon period. Madam, it has been more than five years now, the people in my constituency have been waiting for something that can easily be accomplished in a few months.

<u>12 36 hrs</u>

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Sir, I would like to request to the hon. Railway Minister through you that he should intervene in the matter and instruct his good officials, so that these halt railway station platforms will be completed without any further delay. Sir, thank you for giving me the opportunity to speak about my views.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Pratima Mondal.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you Sir, for giving me this opportunity. In my constituency, Shillong, Meghalaya, the State as a whole, after the banning of the coal, millions of people have been thrown out of job. So, the successive Governments through the Assembly had passed the Resolution requesting the Central Government to issue a Presidential ordinance. But up to now, nothing has been done.

Another thing is that the State Government has requested the Central Government to file an affidavit in a positive manner to help, so that the ban can be lifted. But up to now, the Central Government has not filed any affidavit. Therefore, through you Sir, I request you to instruct the Central Government to file an affidavit, so that banning of coal can be lifted and the problem of the people can be solved. Thank you Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Kulmani Samal is permitted to associate with the issue raised by Shri Vincent H. Pala.

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रसायन एंव उर्वरक मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, राजस्थान में जनजातीय व अति पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर लोग अभी भी आधार से वंचित है, वहां पर लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए क्या माध्यम है? मैं इससे संबंधित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कुछ समय पहले तक जरूरतमंदों को उर्वरक समय पर नहीं मिलता था, जिसके कारण उनको मजबूरन बिचौलियों से तय मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक खरीदना पड़ता था। यह भ्रष्टाचार के साथ एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर डाका है, लेकिन सरकार ने आधार सक्षम उर्वरक वितरण प्रणाली के जरिए इस पर काफी हद तक रोक लगाई है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है। रसोई गैस इसका सबसे सफल उदाहरण है। इसका एक मात्र उद्देश्य आम लोगों व गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसमें कोई छिपी हुई मंशा नहीं है। लाभार्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण दो मुख्य चुनौतियां हमारे सामने हैं – दोहराव और छलावे को हटाना और लाभार्थी तक बिना किसी परेशानी के हस्तांतरण को पहुंचाना। देश में आधार के सिवा और कोई पहचान प्रणाली नहीं है, जो विशिष्टता को सुनिश्चित कर सके। इन चुनौतियों का समाधान कर सकने वाली प्रणाली एक मात्र पहचान आधार है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर (राजस्थान) के जनजातीय व अति पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर लोग अभी भी आधार से वंचित है, वहां लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए क्या माध्यम है? धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Kulmani Samal, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Manshankar Ninama.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर बोल रहा हूं, जिससे देश को सबसे ज्यादा क्षति होती है, लेकिन कभी उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है।

जिस तरह से इस देश में जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि उससे इकॉनमी पर कितना लॉस होता है और मानवाधिकार कितने प्रभावित होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देश को सर्वाधिक नुकसान जातीय भेदभाव से होता है।

दो अप्रैल को पूरे देश में दलितों ने भारत बंद किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई आंदोलन किया गया हो तो सरकार की गोली से लोग कम मरे और जो तथाकथित सवर्ण हैं, उनकी गोलियों से ज्यादा मरे हैं। उदाहरण के तौर पर दो अप्रैल को दस लोगों की हत्या हुई थी या दस लोगों की मृत्यु हुई थी। उनमें आठ लोग गैर-सरकार के द्वारा या गैर-पुलिस के द्वारा मारे गए थे। यह पहला ऐसा आंदोलन है, इसलिए कि तथाकथित सवर्णों को यह लगा कि भारत बंद करने की इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 20 मार्च को हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को जो एडवर्सली अफैक्ट करता है और एक्ट को खत्म करता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा जजमेंट था, जो शिक्षण संस्थानों में रोस्टर पॉइंट्स बदले गए थे, उनको ले कर दलितों का गुस्सा फूटा हुआ था। आज दलितों में इस बात की भी तकलीफ सबसे ज्यादा है कि जो जज श्री ए.के. गोयल, दोनों जजमेंट में रहे हैं, उनको एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया है, इसका बड़ा विरोध है। दो अप्रैल के बाद तमाम दलितों को जेल में डाल दिया गया है, कैथल में आठ लोग अभी भी जेल में बंद हैं, मेरठ में लगभग 150 लोग बंद हैं और उनमें बच्चे भी शामिल हैं, नाबालिग भी हैं। मेरा कहना है कि जब अन्य समुदायों के लोग आंदोलन करते हैं तो इस तरह से उनके साथ अन्याय नहीं होता है। …* ने बड़ा अन्याय किया है कि बार-बार डेट देते रहे, जिसकी वजह से उनकी जमानत नहीं हो पाई है तो हम आपके माध्यम से भारत सरकार और तमाम प्रदेशों

---

* Not recorded

की सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उन लोगों को रिहा किया जाए और उनका मुकदमा वापस किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, भीम आर्मी के चीफ चन्द्रशेखर को कई महीनों से जेल में रखा गया है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, जिसका लोगों में बड़ा रोष है। मैं मांग करता हूँ कि भीम आर्मी के चीफ चन्द्रशेखर को रिहा किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Dr. Udit Raj.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Jitendra Chaudhury.

Law and order is a State subject. You should avoid making allegations.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY(TRIPURA EAST) : Sir, there are some other issues. It is our democratic right to raise such issues.

Sir, just now, we have discussed and expressed our great concern about mob lynching across the country. I think, Sir, serious things are happening in the State of Tripura as well where the democracy is being lynched. In our Constitution, in our democracy, election comes and goes; one party comes and one party goes. But in the State of Tripura, after the … * came into power…* have captured all the democratic institutions by force … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: No, this cannot go on record.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : Sir, offices of more 400 party officials have been vandalised and looted there.

---

* Not recorded

HON. DEPUTY-SPEAKER: These things, including the name of the parties, will not go on record. I have already expunged them.

… (*Interruptions*)

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : Thousands of people were physically attacked … (*Interruptions*) Sir, poor people have got killed but not a single arrest has been made. The elected bodies are not being allowed to function. There is a total paralysation of the democratic institutions, democratic rights and human rights in Tripura … (*Interruptions*)

Sir, I would like to remind the Government that during the election campaign, our Prime Minister and other stalwarts of the Ruling party went there and assured the people of Tripura to offer them *Heera*. But what kind of *Heera* is being given there? Now, starvation deaths and other problems have started there. People, in hundreds, are going to Bangladesh to collect their food etc.

So, all these kinds of things are happening. Not only that, there is one …*

HON. DEPUTY-SPEKAER: Nothing will go on record.

…(Interruptions)… *

HON. DEPUTY-SPEAKER: The names of the parties and organisations, which he mentioned in his submission, will not go on record.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran is permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Sir. The Union Minister of Petroleum and Natural Gas has ordered State-run oil companies to raise subsidized cooking gas (LPG) prices by Rs. 4 per cent cylinder every month to eliminate all the subsidies.

The Government *vide* its order dated May 30th, 2017, has again authorised OMCs to continue to increase effective price of subsidized domestic LPG by Rs. 4 per cylinder effective June 1st, 2017, per month till the reduction of Government subsidy to 'nil' or till March, 2018 or till further order, whichever is earliest. At present, every household is entitled to 12 cylinders of 14.2 kilograms each at subsidized rates in a year. Any requirement beyond that is to be purchased at market price.

Sir, this is a burning issue among the middle class and salaried class people who are the major consumer of domestic gas. This is as if breaking the backbone of their monthly budget. The Government has to rethink about this decision to hike the prices of LPG cylinders and to do away with subsidy by March, 2018.

I, therefore, urge the Union Government to withdraw the decision to hike gas prices every month and desist from the decision to cut gas subsidy available to the poor middle-class people of the country.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, DR. J. Jayavardhan, Dr. Kulmani Samal and Shrimati V. Sathyabama are permitted to associate with the issue raised by Shri S.R. Vijaya Kumar.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before this House a serious economic situation arisen in our country. The Government claims that there is a better growth rate of our economy and other indicators are favourable. But the Report from various sources, including the Morgan Stanley, has pointed out that there is a strong sign of weakness of our financial situation. It is mainly because of the declined value of Rupee against Dollar. It is still declining and the Dollar is at a better position now. It is mainly because of a large-scale withdrawal of foreign investment in last one year. Over the previous three months, abroad investor withdrew Rs. 61,000 crore. The Government claimed that the FPI and FDI are increasing. FPI is more important because it is related to investment which promotes employment and production. On the other hand, the FDI comes, where the corporate may get more and more benefits. Due to this mass-scale withdrawal, there may be reduction in employment and production and its cascading effects. The demonetisation, GST and other unfortunate incidences, that are taking places in our country, are the factors which are also contributing in this withdrawal.

Therefore, I would like to know about the preventive measures taken by the Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. In my Tiruchirappalli Parliamentary Constituency, on the National Highway No 67 between Tiruchy and Thanjavur section especially the two lane road for a stretch of 14.49 km between Old Palpannai and Thuvakkudi which is very much in the urban limit, was converted into four lane road in a hurried manner during the regime of the then DMK government in the year 2008 without having consultations with the stake holders and without building over bridges and road underpasses, keeping in view the traffic congestion. Work relating to road construction was completed on this stretch of 14.45 kms and user charges were collected without even laying the service roads. The then Leader of Opposition in the State of Tamil Nadu, Hon. Puratchithalaivi Amma, showing strong opposition to the then DMK Government, had staged a demonstration on this issue, on behalf of AIADMK party. When AIADMK came to power in Tamil Nadu in the year 2011, under the guidance of the then Chief Minister of Tamil Nadu Hon. Puratchithalaivi Amma, and on the orders of the then State Minister for Transport and the present Chief Minister of Tamil Nadu, who is the pole star of the people of Tamil Nadu and of AIADMK Party, Shri Edappadi K. Palanisamy, an amount of Rs. 84.50 Crore has been allocated in the year 2014 for acquisition of land for laying the service road on both sides on the Thuvakkudi-Old Palpannai stretch. But since then the Union Government has been lethargic on this issue. At a

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

recent meeting held in New Delhi under the Chairmanship of Hon. Union Minister for Road Transport and Highways, a decision has been taken to restrict the Right of Way for four lane road as 45 m instead of 60 m. Moreover orders have been issued to acquire land for Right of Way for 45 m instead of 60 m. As per the plan schedule received from the Project Director, NHAI, Thanjavur, a Gazette notification under 3D(1) has been published on 21.5.2014 under the National Highways Act for 60 m Right of Way. The Divisional Engineer Tiruchy has also deposited a sum of Rs.84.50 Crore with Special District Revenue Officer (Land Acquisition-National Highway) on 22.5.2014. Based on this, an amendment has been made to the G.O. MS No 57 Para-5 for laying of 5 m width of service road and to acquire land for 45m (ROW) as per site conditions or laying 7.5 m service road whichever is less to a cost of Rs. 84.50 Crore. The Project Director , NHAI, Thanjavur had stated that after the issue fo Gazette notification ,the land shall vest with the Union Government free from all encumbrances and it is impossible to reduce the width from 60 m to 45 m. Moreover an amount of Rs.196 Crore may be required for land acquisition. A Right of Way of 45 m is adequate for forming four lane road with service road on both the sides from Thuvakkudy to Old Palpannai instead of the 60 m ROW. The land acquired in such a way for 60 m Right of Way may be useful for NHAI only in future. Therefore NHAI has been requested to bear 50 percent of the land cost. Further it is apt to mention the land cost may escalate due to the provisions of the new Land Acquisition Act. I therefore urge upon the Union Government that NHAI should bear the 50

percent cost of the land that is to be acquired for execution of the said work. Moreover I urge that the laying work relating to the semi-circular road between Tuvakkudy and Jeeyapuram for a length of approximately 25 kms should be expedited. Thank you.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री और सिरीमावो भंडारनायके के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और भारतीय मूल के जो तमिल श्रीलंकाई लोग हैं, उन्हें भारत के अंडमान-निकोबार लाया गया था। उसके मुताबिक वर्ष 1976 में भारतीय मूल के तमिल श्रीलंकाई लोगों को लिटिल अंडमान तथा सोलबे में बसाया गया था। पैकेज के मुताबिक उन्हें दो हेक्टेयर्स की लैंड दी गयी थी। वर्ष 1976 में 48 लोगों के एक ग्रुप को कचाल द्वीप ले जाया गया था और उन्हें आधी एकड़ की लैंड दी गयी थी। तब से यह लड़ाई चल रही थी कि हमें बाकी सेटलर्स की तरह लैंड दी जाए। यह उनके सेटलमेंट का पैकेज है। माननीय वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के नाते अंडमान में आइलैंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी की मीटिंग में यह फैसला किया था कि 48 तमिल श्रीलंकाई रिपैट्रिएट्स को साउथ अंडमान के शैतान की खाड़ी में 1.5 हेक्टेयर्स की लैंड दी जाए। उसके पश्चात् तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर एन.एन. झा ने दिनांक 09 जुलाई, 2003 को मीटिंग करके फैसला किया और चीफ सेक्रेटरी तथा डी.सी. को डायरेक्शंस दिए कि इन्हें 1.5 हेक्टेयर्स लैंड दी जाए। इसके पश्चात् भी मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन नं. 1145, दिनांक 20 मार्च, 2012 को किया गया था। सरकार ने उसकी रिप्लाई में डायरेक्शन दिया कि वाजपेयी जी ने जो फैसला किया था, उसके मुताबिक उन्हें लैंड दी जाए। पर, आज उसके 42 साल बीत गए हैं, पर उन्हें आज तक लैंड नहीं दिया गया।

इस बारे में मैंने बहुत जगहों पर प्रेयर किया। कृपया आप सरकार, उप राज्यपाल को आदेश दें कि कचाल के 48 श्रीलंकाई तमिलियंस को वाजपेयी सरकार ने जितना लैंड देने का आदेश दिया था, पार्लियामेंट ने कहा था, उसका आदर करते हुए 15 दिनों में उन्हें साउथ अंडमान में लैंड दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Bishnu Pada Ray.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पैरामिलीट्री फोर्सेज से संबंधित एक-दो समस्याएं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। असम राइफल्स की गौरव गाथा लगभग 183 साल पुरानी है। इन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है और देश की सेवा कर रहे हैं। असम राइफल्स में 66 हजार सैनिक हैं, जिनकी देश के हर कोने से भर्ती होती है और नार्थ-ईस्ट में इनकी विशेष भूमिका रहती है।

इनकी एक बड़ी भारी समस्या है कि इन पर दोहरा नियंत्रण है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के नियंत्रण में असम राइफल काम करती है। ऑपरेशनली यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं और इनकी गिनती पैरामिलीट्री फोर्सेज में होती है। इसकी वजह से जो इनके रिटायर्ड पर्सोनेल हैं, उनकी सुविधाओं में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि सरकार इनके प्रतिनिधिमंडल से मिले और इस समस्या का समाधान करे।

दूसरी समस्या एनपीएस को लेकर है। सारे पैरामिलीट्री फोर्सेज ही नहीं, बल्कि जो तमाम सरकारी इंप्लाईज की यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी एक समस्या है कि जो 2004 की पेंशन नीति – एनपीएस, एनडीए सरकार में आई थी, उसके संबंध में सारे कर्मचारी मांग कर रहे हैं, पैरामिलीट्री फोर्सेज खासतौर पर इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले वाली पेंशन नीति दोबारा लागू हो।

वर्ष 2004 के बाद जो एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) आई है, वह लाभकारी नहीं है, पुरानी वाली पेंशन स्कीम लागू हो।

तीसरी और अंतिम बात, मैं कहना चाहूँगा कि जो शहीद का स्टेट्स हैं, शहीद-शहीद में फर्क नहीं हो, सेना में शहीदों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, पैरा मिलिट्री के जवानों को भी उतनी ही सुविधाएँ मिलें। देश की सुरक्षा के लिए कोई जान देता है तो शहीद-शहीद में फर्क नहीं होना चाहिए। सैनिक के लिए जय-जवान का नारा दिया जाता है, इसलिए जवान का उपयोग राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान भी होना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Kulmani Samal and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Deepender Kumar Hooda.

श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश की आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए अन्नदाता किसानों का बहुत बड़ा महत्व है। आज़ादी के बाद से किसानों के महत्व को जिस तरीके से समझने की जरुरत थी, वह नहीं समझा गया। जिस कारण से किसान की स्थिति दयनीय होती चली गई, लेकिन आज खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए देश के किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने की दिशा में अनेकों योजनाओं को लागू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए व्यवहार में लाई गई सभी योजनाओं के अलावा एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण योजना बनाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। यह योजना किसानों के घरों, दलानों और बथानों में ही उनकी उत्पादन क्षमतानुसार उत्पादित फसल के भंडारण हेतु सरकार के सहयोग से स्टोरेज और कूलिंग चेन (आधुनिक तकनीक वाला) की लघु ईकाई स्थापित करने की हो सकती है। ऐसी येाजना को लागू करने से देश के अन्दर भंडारण के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों-लाख टन किसानों के उत्पादित माल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। इस बचाव से भी किसानों की आमदनी में काफी वृद्धि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी माँग है कि किसानों के अन्न/उत्पादित माल के सुरक्षित भंडारण हेतु किसानों के घरों, दलानों और बथानों में ही सरकार के सहयोग से स्टोरेज और कूलिंग चेन की लघु ईकाई स्थापित करने की योजना जल्द से जल्द बनाई जाए, ताकि विपरीत मौसम में भी किसान अपने उत्पादित माल को सुरक्षित रखकर उचित समय आने पर बाजार में बिक्री कर लाभ प्राप्त कर सकें।

महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस योजना का शुभांरभ हमारे गृह प्रदेश बिहार से किया जाए, क्योंकि बिहार में बाढ़ और बरसात के मौसम में राज्य के किसानों को अन्न और उत्पादित फसल के भंडारण की समस्या सबसे अधिक झेलनी पड़ती है, जिससे उनको काफी आर्थिक नुकसान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Harish Meena, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi and Shri C.P. Joshi are permitted to associate with the issue raised by Shri Janardan Singh Sigriwal.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलवर में यू.पी.ए.-2 के समय एक ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। यह अस्पताल 800 करोड़ रुपये की लागत से बना है, जिसके साथ में एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव्स ब्लॉक, ब्वायज एंड गर्ल्स के हॉस्टल्स, नर्सेज हॉस्टल, इंटर्न्स हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स, रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के क्वार्टर्स, पेशंट के रिलेटिव्स के एकॉमडेशन, कम्युनिटी सेंटर, ऑडिटोरियम तथा इंडोर फैसिलिटिज हैं। 800 करोड़ रुपये के इस अस्पताल का काम पूरे हुए दो साल से ज्यादा समय हो गया है। वर्तमान सरकार के लेबर मिनिस्ट्री ने यह निर्णय ले लिया है कि हम इस अस्पताल को चालू नहीं करेंगे। आज 800 करोड़ रुपये के इस अस्पताल में कौवे बोल रहे हैं, चमगादड़ दौड़ रहे हैं, इतना सुंदर परिसर है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है। अगर कोई उसको देखता है तो ऐसा लगता है कि यह कोई कॉर्पोरेट अस्पताल है। पिछली सरकार का इतना पैसा इस अस्पताल में लगा है, उसके बावजूद वह अस्पताल सूना पड़ा रहे। मेरे चुनाव के समय यह बहुत बड़ा मुद्दा था। वहाँ सरकार ने 20-30 बेड्स की एक डिस्पेंसरी खोल दी है, पाँच डॉक्टर्स तथा 15 नर्सेस लगा दिए हैं। मैं इसे आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार के 800 करोड़ रुपये का पैसा वेस्टफूल एक्सपेंडिचर है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। उस पर सरकार निर्णय लें। चुनाव से पहले

माननीय मेघवाल साहब वहाँ गए थे, अलवर की जनता ने उसकी माँग भी की थी। आपने टेलिफोन करके कहा था कि इसे जल्दी करवाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करवा जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.K. Biju is permitted to associate with the issue raised by Dr. Karan Singh Yadav.

13 00 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS....Contd.

(iii) Re: Need to address the problems of EPF pensioners

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am very fortunate to have you in the Chair. You may be remembering, Sir, that I had moved a Private Members Resolution in the House and that Private Members Resolution was a matter relating to the Employees' Pension Fund pensioners.

It is a matter affecting more than 60 lakh pensioners in this country. The matter was well deliberated, discussed in this House for more than nine hours and 21 minutes. Sir, 27 Members of this House had participated in the discussion. Even the Treasury Benches, the Opposition Benches and the entire House unanimously supported the Resolution. Finally, the Government had given some assurances and on the basis of those assurances I had withdrawn the Resolution.

Sir, you may kindly see the important issues in the Employees' Pension Scheme, which is affecting more than 60 lakh pensioners in the country. The first one, which I had demanded, was to increase the minimum monthly pension up to Rs.3,000. Restoration of full pension after the realisation of the actual commuted amount was the second one. Deputy Speaker, Sir, you may be remembering that if a person has commuted an amount of Rs.48,000 from his pension at the time of retirement and after the retirement, every month an

amount is being deducted from his monthly pension. I had cited an example of one Mr. George who is in KSFE. Rs.1,78,000 has been deducted from his pension amount. The amount, which he had taken, was only Rs.48,000. It is a State-sponsored looting. I do admit that it is as per the Act but it is a State-sponsored looting. He had taken Rs.48,000 as advance and from his pension, Rs.1,78,000 has been deducted. It means it is highly unjust on the part of the Government. It is not done by this Government but as per the Act it is there also.

My point is, restoration of full pension after realisation of the commuted amount was my second demand. Implement the Supreme Court's order to avail higher pension on the basis of actual salary for which an order had been issued on 23.3.2017, and another order had been issued on 31.5.2017. My demand is to implement the order issued on 23.3.2017.

The eligibility pension criterion was 10 years. Now it has been enhanced to 3,650 days. That means, a worker has to work for 365 days, if he wants to get pension in 10 years.

Another one is relating to the welfare measure. The then hon. Labour Minister had assured in the House that ESI benefit would be extended to all the employees pensioners. Finally, I want restoration of the commutation and restoration of the RoC.

I am very thankful to the Government that the Government, on the basis of the assurance, has constituted a Committee under the Additional Labour Secretary, and the Committee's period is already over. Its time was extended

once. I request the hon. Parliamentary Affairs Minister and the Government, through you, Sir, to expedite the Committee's Report and implement the promises which have already been made. Thank you very much, Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. P.K. Biju, Shri Innocent, Shri M.B. Rajesh, Adv. Joice George and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, my dear friend and colleague is a seasoned parliamentarian. Shri Premachandran has raised a very, very valid issue. I am a witness in this House that he has been pursuing this matter for the last so many years. This matter pertains to 60 lakh employees, *mazdoors* across the country.

The NDA Government led by Narendra Bhai Modi Ji is also very much concerned about them. Therefore, we have made the minimum pension of Rs.1,000 also. In this case, as already Premachandran Ji has mentioned, there is a Committee. The Committee is yet to give the report.

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Yesterday, the same Question was there. It was not at all replied.

SHRI ANANTHKUMAR: Therefore, I will convey the message to the hon. Labour and Employment Minister that the Committee expedite the proceedings and give the recommendations forthwith.

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. At the time of formation, the University Grants Commission (UGC) was originally visualised as an autonomous body comprising of academia. The UGC was the product of post-Independent India to serve a social purpose in the field of higher education.

Of course, it is true that in the recent years that purpose has been diluted. There has been a deliberate attempt to undermine the functioning and authority of the University Grants Commission. Despite these efforts, it has played two important roles in the entire history of Indian higher education. The first role it has played is of distribution of funds and resources to higher education, that is, to Universities and colleges. Second is the regulatory role.

Sir, now the Government is going to abolish UGC and is going to set up the Higher Education Commission of India. These regulatory roles will be played by the Higher Education Commission of India and funding will be directly controlled by the Ministry. This move to abolish UGC will increase political control of higher education, academia and institutions of excellence. So, this will have disastrous consequences not only in the field of higher education but also in the fields of free thought, critical thinking, etc.

Sir, academia in the entire country is opposed to this move of abolishing the University Grants Commission. When the views of the State Governments were sought in this regard, the LDF Government of Kerala has expressed its opposition. Echoing the sentiments of academia and echoing the sentiments of the people of Kerala, the Government of Kerala has opposed the proposed

move of the Union Government to abolish UGC. This is neither in the interests of higher education nor in sync with federal principles of our country.

Therefore, Sir, I urge upon the Government of India to drop the move to abolish UGC and set up Higher Education Commission of India. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri Innocent, Dr. P.K. Biju, P.K. Shreemathi Teacher and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Shri M. B. Rajesh.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान भारत संचार निगम लिमिटेड, नागपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2015 में नोपन प्रोजेक्ट के लिए श्री आनंद दिनेश बवरिया, जो वहां के ठेकेदार थे, उनका करीब अस्सी से नब्बे लाख रुपये बकाया था। उस पैसे का भुगतान न होने के कारण वे वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार चक्कर लगाते रहे, बार-बार उनसे कहते रहे। चूंकि उसमें कमीशनखोरी हो रही थी, रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी वजह से दिनेश बावरिया का भुगतान नहीं हो पाया। बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना की वजह से फरवरी, 2018 में निराश होकर बीएसएनएल की बिल्डिंग से जय कह कर आत्महत्या कर ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इतने साल व्यतीत हो जाने के बाद जो उनका बकाया है, वह परिवार के लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दोषी बीएसएनएल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, उन्हें जेल भेजा जाए। आनंद दिनेश बवरिया का जो अस्सी-नब्बे लाख का बकाया है, उसका पूरा भुगतान उनके परिवारजनों को किया जाए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Kaushal Kishore.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Thank you Deputy-Speaker, Sir. I have already requested the hon. Speaker to allow me to speak in Marathi as I am going to talk about the bullock-cart race, which is known as *Jallikattu* or bullock-cart race in various parts of Tamil Nadu, Maharashtra and other States.

*SHRI SHIVAJI ADHALRAO PATIL : Hon'ble Deputy Speaker Sir, Bullock-cart race is very famous and it is a favorite sport of rural Maharashtra. Just like Jalikattu in Tamil Nadu, it is a very favourite sport of farmers in Karnataka and Madhya Pradesh as well. Unfortunately, for the last 4 years, it has been banned by a Supreme Court order. The Supreme Court has given the verdict of banning this sport on the basis of a G R issued by Ministry of Environment and Forest. Subsequently, Government of Maharashtra and Tamil Nadu framed new laws in their respective states and had sent them for the Presidential consent. After Presidential consent, 'Jali Kattu' resumed in the state of Tamil Nadu and it is permitted even in Karnataka. But it is still banned in Maharashtra for the last five years.

Some NGOs especially PETA have challenged the practice of this sport in the Supreme Court through a petition filed against it. The State and Central Government have put their efforts in this regard. Hence, I would like to request

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi

the State and Central Government to engage some good Supreme Court lawyers when this case comes up for hearing in a month or two. Our farmers are very fond of this sport and that is why I have been pursuing this matter with Central Government for the last 5 years. The Central Government should bring a new law in this regard so that any kind of ban would never be imposed on it. I would also like to request the State Government and State Environment Department to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 accordingly to resume this favourite sport of the farmers. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri Arvind Sawant, Rajan Vichare and Rahul Shewale are permitted to associate with the issue raised by Shri Adhalrao Patil Shivajirao.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं और इसका संबंध मानव जीवन से है। जल और वायु मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जितनी नदियां हैं, सबका जल बहुत प्रदूषित हो गया है। हम अमृत जैसी कई योजनाएं लेकर आए हैं लेकिन हम इसमें बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं।

महोदय, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल में नदियों की लंबाई 12,363 किलोमीटर है लेकिन सारा पानी प्रदूषित हो गया है। पश्चिम बंगाल में तो गंगा नदी में आर्सेनिक मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है। इसी पानी से किसान खेती कर रहे हैं। यहां लोगों को चमड़ी के रोग हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं कि कितना पैसा किस स्कीम में नदियों के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए खर्च किया गया है। नदियों का पानी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी प्रदूषित है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी पूरी रिपोर्ट दीजिए कि इतना पैसा खर्च किया गया है लेकिन अब तक इसका क्या हुआ है। गंगा नदी कुछ लंबाई तक

प्रदूषित नहीं हुई है, कुछ लंबाई तक पानी अच्छा है और हम वही पानी पी रहे हैं। यह विषय मानव जीवन से संबंधित है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करने का निदेश दे।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैंरों प्रसाद मिश्र, डॉ. कुलमणि सामल, श्री राहुल शेवाले, श्री राजन विचारे और श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, हिंदुस्तान में पंचायती राज प्रतिष्ठान सदियों पुरानी व्यवस्था है। पंचायती राज हिंदुस्तान के आम लोगों का अपनी भाषा में अपनी राय बताने का जरिया है।

महात्मा गांधी कहते थे – India begins and ends in villages, हर गांव एक रिपब्लिक होना चाहिए। महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहर लाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी के काल तक तक पंचायती राज इंस्टीट्युशन मॉडर्न इंस्टीट्युशन के रूप में उभर कर आया है। हिंदुस्तान के गांव के आम नागरिकों के लिए पंचायत के चुनाव में भाग लेना ग्रामीण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से पंचायतों का चुनाव हुआ है। .... (व्यवधान) इसके चलते पश्चिम बंगाल आम लोगों में ग्रामीण त्यौहार नहीं बल्कि खून की होली मनाई गई है, जहां 60 से ज्यादा लोगों का खून हुआ है, मौत हुई है। .... (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में 30,000 सीटें हैं, यहां बिना कांटेस्ट के जीत हासिल हुई है, जहां 60 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। जहां 34 फीसदी वोटर्स वोट देने में असफल रहे हैं क्योंकि वहां दहशतगर्दी, भीषण तनाव रहा है, In West Bengal Panchayat election has been reduced a mockery of democracy. The rights of the people have been smothered.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the matter raised by Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI RAMACHANDRA HANSDAH (MAYURBHANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. You know there are 22 languages which have been recognised in the VIII Schedule of our Constitution. As a symbol of inclusiveness, there is a principle of printing the face value of the currency notes in the languages and scripts which are recognised in the Constitution.

After 21st Constitutional Amendment, there were 15 languages in the list and the currency notes have been printed in these languages and their scripts after 1967. But thereafter through 71st Amendment and 92nd Amendment of our Constitution, seven more languages were accorded constitutional recognition. But in spite of massive printing of new currency notes after demonetisation, the Government seems to have forgotten this basic principle of inclusiveness.

Therefore, I demand that face value of the currency notes be printed in all these languages, including my mother tongue Santali through its script Olchiki. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I cannot call all the Members because it is already 1.15 p.m. I can allow you if you just take one minute each. Otherwise, it is difficult to call the Members.

SHRI TOKHEHO (NAGALAND): Hon. Deputy-Speaker and hon. Members of this august House, I want to draw the attention of this august House towards the on-going Naga negotiation. You are aware that negotiation has been going

on for the last 21 years. During this period, there have been successive Governments, between 1999 and 2003 there was the NDA Government, between 2004 and 2014 there was the UPA Government. This is an important issue. This negotiation has been going on for the last 21 years. If it takes longer time, I am afraid that there will be law and order problem in Nagaland in particular and in the North-Eastern States in general.

Therefore, I urge upon this august House to kindly expedite and resolve this issue.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the matter raised by Shri Tokheho.

Shri G. Hari, conclude within one minute. Do not read everything. You just mention the points.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. The 14th Finance Commission had allocated an amount of Rs. 1,263.96 crore as the basic grant and Rs. 365.37 crore as the performance grant for the year 2017-18 to the urban local bodies in Tamil Nadu. The Ministry of Finance, Government of India has released a sum of Rs. 631.98 crore as the first instalment of basic grant for the year 2017-18 to the urban local bodies and the same has been released to the urban local bodies by the Government of Tamil Nadu.

The Ministry of Finance, Government of India while releasing the first instalment of the basic grant for the year 2017-18 to the urban local bodies has remarked that 'the State Government is directed to pursue the court case

regarding local bodies election and appraise the Ministry before the second instalment is considered for release'.

So, I urge the Union Government to release the second instalment.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से देश के हजारों ऐसे गांवों को रौशन करने का काम किया है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कई गांवों में बिजली पहुंची है। कई जी.एस.एस.लगे और फीडर सैपरेशन का काम भी हुआ। सौभाग्य योजना भी आई और बीपीएल परिवारों को बिजली के कनैक्शन देने का काम भी हुआ। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सौभाग्य योजना का लाभ पाने में जो बीपीएल परिवार वंचित रह गये हैं, उन परिवारों को कनैकेशन देने का काम हो रहा है। सारे ग्रामीण क्षेत्रों में उस योजना से सभी लोगों को कनैक्शन मिले, ऐसी मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the matter raised by Shri Chandra Prakash Joshi.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I want to raise an important issue regarding Karnataka State Open University situated in Mysore, Karnataka State. The University Grants Commission has withdrawn the recognition granted to the Karnataka State Open University. Due to this, more than two lakh students are suffering.

My request to the hon. Minister of HRD is to re-grant the recognition of the Karnataka State Open University situated in Mysore.

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आदिवासी विभाग ने डीवीटी की एक योजना शुरू की थी। उनको हॉस्टल में खाना अच्छी क्वॉलिटी का नहीं मिल रहा था तो डीवीटी एक योजना शुरू की गयी, लेकिन पिछले एक-दो साल में यह ध्यान में आया है कि उनको वह पैसा समय पर नहीं मिलता। इसके कारण कई आदिवासी विद्यार्थियों को हॉस्टल छोड़कर उनके गांव में वापस जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे और डीवीटी योजना बंद करे। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Thank you very much, Deputy-Speaker, Sir. I stand before this House to expose the hypocrisy in cases of lynching by the ones who are responsible for 1984 riots. … (*Interruptions*) There have been three incidents. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, that matter is over, Madam.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, I have to make this point. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Madam, discussion on this matter is over.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : The 1984 riots to *Kar Sevaks* in 2002, they have been burnt and there is no justice for them. … (*Interruptions*) There is a problem with pick and choose. … (*Interruptions*) Lynching across the

country is an offence; should remain an offence; and we condemn it. … (*Interruptions*)

There have been three cases in Rajasthan. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Next speaker is Shri Ashok Chavan.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : One case in which there was a *dalit* boy being lynched for marrying a Muslim girl. … (*Interruptions*) There was another case where a smuggler had shot at the Police. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: All right, you have raised it, and we have also discussed it.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN (NANDED): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to raise the issue of Maratha reservation, which has been going on in Maharashtra for the last more than four years. … (*Interruptions*) In spite of the peaceful agitations, which have been taking place in Maharashtra, the Government of Maharashtra has not done anything. … (*Interruptions*) They are only giving false assurances that the Maratha community will be included into the OBC category. This has become a serious law and order problem today. Yesterday, Mr. Kakasaheb Shinde has committed *Jal Samidhi* in Aurangabad. Our colleague, Shri Chandrakant Khaire, was also manhandled

in Aurangabad yesterday. The Chief Minister also could not perform the regular pooja at Pandharpur. So, this has become a very serious issue.

We urge upon the Government to immediately intervene in this issue and resolve the issue as early as possible.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajeev Satav is permitted to associate with the issue raised by Shri Ashok Shankarrao Chavan.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसी मांग रख रहा हूं जिसका सीधा संबंध आपसे भी है और सरकार तथा विपक्षी दलों से भी है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और शहीद उधम सिंह जी की फोटो पार्लियामेंट कॉम्पलैक्स में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जगह पर लगनी चाहिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर को प्रथम सॉवरिन रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने जमींदारी सिस्टम खत्म करके लैंड टू टिलर यानी जो जोतते थे, उनको दी। दूसरे, आज़ाद राजधानी और करेंसी बनाई। गुरु गोविन्द सिंह और गुरु नानक देव साहब की मोहर बनाई। मेरा सरकार से निवेदन है कि शहीद उधम सिंह जी की फोटो लगनी चाहिए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, you want their photographs to be installed.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Prem Singh Chandumajra.

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Sir, I would like to draw your kind attention to a matter of urgent public importance, and it is also very important for our State as a whole.

Our hon. Chief Minister has been drawing the attention of the Union Government on this issue. Three days of heavy rain has caused the number

one Smart City being replaced with 18th position in the world, and it is already marooned. All the slum dwellers are also suffering; the Iskcon Temple around that area is also marooned; and the other temples and places are also facing the same situation.

So, I would like the Union Government to pay special attention to the fact that due to some faulty drainage system on both sides of the National Highway there is no arrangement for draining of water that is getting accumulated over there. Hence, I would like to pray, through you, to the Prime Minister also to intervene in the matter.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Prasanna Kumar Patasani.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, my Constituency, Krishnagiri, is the District Headquarters, and there are about seven Taluks, 10 Panchayat Unions, six Town Panchayats and 333 Village Panchayats. The Krishnagiri District comprises two Revenue Divisions, namely, Krishnagiri and Hosur.

As per the 2011 Census, the District had a population of 18,79,809. The people of this District have been getting passport assistance from Tiruvannamalai, which is about 120 kms., and Chennai is about 250 kms. away from Krishnagiri.

The District is also having Central Government Research Institutions and State Government Research Institutes, and many small and medium industries in Hosur of this District. However, there is no Passport Seva Kendra

in this District. Therefore, I would urge upon the Government to take necessary steps to open a Passport Seva Kendra at Krishnagiri. Thank you, Sir.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में साक्षरता मिशन के तहत लोग वर्ष 2000 से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या लाखों में है। वर्ष 2014 से उनको मात्र 2000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो मनरेगा मजदूर के बराबर भी नहीं है। उनका ड्रेस कोड नहीं है, उनको मेडिकल एलाउंस नहीं मिलता है, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती है। खासकर, जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, Parliament has enacted an Act for establishing 20 IITs in the country. Our Chief Minister, Shri Chandrasekhar Rao Garu has requested the hon. Prime Minister to establish a IIIT in our State, Telangana, at Karim Nagar. We have offered 50 acres of land as envisaged in the Act. The Government of Telangana is ready to give its share. So, I request the hon. Minister of MHRD to sanction a IIIT at the earliest.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Shri Vinod Kumar.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाह रही हूं क्योंकि इस समय मेरे क्षेत्र कानपुर के विधान सभा बिल्होर में लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने यह एलान भी कर दिया है कि अगर यहां ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठ जाएंगे और कानपुर जाने वाले कोई भी ट्रेन को यहां से जाने नहीं देंगे।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि ट्रेन नम्बर 151017 व 15108 छपरा-मथुरा एक्सप्रेस व मथुरा-छपरा एक्सप्रेस जो छपरा से मथुरा व मथुरा से छपरा जाती है, गाड़ी का ठहराव बिल्होर विधान सभा में कराया जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the issue raised by Shrimati Anju Bala.

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): सर, हमारे आरामबाग निर्वाचन क्षेत्र में खानाकुल में राधानगर ग्राम राजाराम मोहन राय का जन्म स्थान है। वहां पर वर्ष 2013 में, उस समय के यूपीए सरकार ने पांच लाख रुपए दिए थे, जो इनसफिशिएंट है। राजाराम मोहन राय के जन्म स्थान की अवस्था बहुत खराब है। मैं आपके द्वारा आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री से निवेदन करती हूं कि वहां के लिए पैसा दिया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Shrimati Aparupa Poddar.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Sir, Arani is one of the most important Silk centres of Tamil Nadu, well known for its traditional Arani silks and handlooms. Weaving communities of Arani produce silk sarees and handloom fabrics of unique nature and good quality. Handlooms of Arani are famous for softness and durability. The new generation is not much interested in this profession due to low wages prevailing in the industry. Hence, I urge upon the Government to provide a special package and exclusive funds for the development and welfare of the weavers community producing the renowned Arani Silks and Handloom fabrics.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Sir, Sun Temple in Konark belongs to my Parliamentary constituency in Odisha. It is flooded with rain water for months together. My hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has also requested the Government of India in this regard. There is no proper drainage, So, necessary arrangements in this regard may be made from the Central Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Dr. Kulmani Samal.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णिया लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं। मैं बिहार से सांसद हूं। हमारा जो इलाका है, पूर्णिया का इलाका, सीमांचल का इलाका, कोसी का इलाका, 10-12 जिलों का जो क्षेत्र है, वह मक्का का इलाका है, किसानों का इलाका है। उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन सरकार के स्तर पर उसकी खरीद की व्यवस्था नहीं है। आज 10 वर्षों में सबसे न्यूनतम दर पर मक्का 900 रुपये और 1000 रुपये प्रतिक्विंटल बिक रहा है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। मक्का की खरीद की व्यवस्था सरकारी स्तर पर हो। यहां पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे भी यह आग्रह करना चाहूंगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Shri Santosh Kumar.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Sir, elections to local bodies in Tamil Nadu have been delayed due to various litigations and also on account of the process of delimitation of territorial wards of local bodies being undertaken by the Tamil Nadu Delimitation Commission based on 2011 Census. Considering these circumstances, I urge upon the Central

Government to release to the urban local bodies of Tamil Nadu the second instalment of Basic Grants and Performance Grants for 2018-2019, which was not released due to delay in conducting local body elections.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Railway Minister that in my constituency there are two over bridges which were proposed, sanctioned and reviewed. But, nothing has been done for the last two years. One over-bridge is near Mamadi Railway Station on the GT Road. As you know, GT Road is a quite busy road with the transport landline.

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): I thank you hon. Deputy Speaker, Sir. I would request the hon. Railway Minister to introduce additional Express Train from Chennai to Trichy *via* Virudhachalam as all the trains running on this sector are jam-packed. People of this region find it very difficult to get reserved tickets to travel to and from Chennai and Tiruchirappalli.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13 31 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

---

14 31 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-One Minutes past Fourteen of the Clock.
(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the slips at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Crash of private plane in the residential area of Mumbai

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): In the last week of June, 2018, a private plane crashed in the residential area of Ghatkopar, Mumbai, under my Lok Sabha Constituency. Four persons, pilots and engineers onboard that test flight, died. One passerby also died. The 1031 residents are asking question how such flight was allowed to fly and how the DGCA/Civil Aviation Ministry allowed such test/trial flight over residential zone. It is understood that the preliminary *findings* report has been submitted to the Ministry. People want to know whose fault was it, what compensation allowed/sanctioned to the families of the victims.

(ii) Need to undertake construction of link roads inter-connecting National Highways and State Highways particularly in Bihar and Jharkhand

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद बिहार से झारखंड को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो सड़क की एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने से कई ग्रामीण बसावटों विशेषकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। एनएच-99 के हंटरगंज, देवी मंडप से चंदरी, रानीगंज, इमामगंज, डुमरिया होते हुए कटैया मोड़ तक सड़क निर्माण की आवश्यकता है जो एनएच-139 से जुड़ेगी। यह सड़क कटैया मोड़ झारखण्ड से बिहार होते हुए इमामगंज, रानीगंज से हंटरगंज झाखंड से जुड़ती है। इस सड़क के निर्माण से बिहार के अति उग्रवाद प्रभावित जिला गया, औरंगाबाद और झारखण्ड के चतरा एवं पलामू जिला को जोड़ने से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसे कार्यो से बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का समन्वय स्थापित होगा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और राष्ट्र के विकास में भटके युवाओं एवं अन्य को विकास के मुख्य धारा में लाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान कराने में काफी लाभकारी साबित होगा।

अत: सरकार से आग्रह है कि एक एनएच से दूसरे एनएच को जोड़ने और एक राज्य से दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़क परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु शीघ्र आवश्यक स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा की जाए। इस अंतर्राष्ट्रीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान करने की कृपा की जाए।

(iii) Need to ensure payment of pension to old-aged, widows, differently-abled etc. at their place of residence and also enhance the pension amount

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन, देश में जो सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन स्कीम चल रही है जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, निराश्रित पेंशन जैसे हितग्राहियों को स्थानीय राज्य सरकारों के गलत या आधे-अधूरे प्रबंधन के कारण भुगतान में कठिनाईयाँ हो रही हैं। यह लाचार वर्ग है। अत: आपसे निवेदन है कि घर-घर भुगतान सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करें, ताकि इन वर्गों को हर महीने घर पर ही पेंशन मिल सके। पेंशन राशि कम है और भुगतान लेने के लिए इन वृद्धों, निराश्रितों, विकलांगों एवं विधवाओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरी सरकार से माँग है कि इस पेंशन की राशि को भी बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रूपए किया जाए, जैसा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मोदी सरकार पहले ही कर चुकी है।

(iv) Need to provide funds for Jaisalmer-Barmer-Bhabhar railway line project in Rajasthan

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) :

1. जैसलमेर-बाड़मेर-भाबर (गुजरात) – रेल लाईन की मांग विगत लगभग 20-22 वर्षों से लगातार की जा रही है। इस संबंध में तीन बार सर्वे कार्य हो चुका है। सर्वप्रथम 2000-2001 में जब मैं सांसद था तब सर्वे हुआ था और अन्तिम में 2013-14 में सर्वे हुआ। यह नई रेल लाईन सामरिक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय दृष्टि एवं सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली एवं गुजरात के राजस्थान से सटे क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन जिलों में अनेक प्रकार के खनिज जैसे स्टीलबेस लाईम, लिग्नाईट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, बैन्टोनाईट एवं कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि प्रचुर मात्र में हैं। उनके परिवहन और अब रिफाइनरी लगने से पैट्रोकेमिकल उद्योग होने से इस रेलवे लाईन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह रेल लाईन कांडला सीपोर्ट को जोड़ता है।
2. मैं विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी से बहुप्रतीक्षित एवं जनउपयोगी इस नई रेलवे लाईन (जैसलमेर-बाड़मेर-भाबर 338.94 किमी की 5000 करोड़ रुपये की लागत) की बजट 2015-16 की घोषणाओं में 26.02.2016 को घोषित की गई। उल्लेखनीय है कि भाबर से कांडला वाया राधनपुर-सांतलपुर पूर्व से ही रेलवे लाईन है। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम राजस्थान के 10 जिलों के अलावा गुजरात के कुछ जिले कांडला एवं मुन्दरा बन्दरगाह से सीधे जुड़ जाएंगे।
3. इसके बाद मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात कर एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर इस परियोजना के कार्य हेतु बजट प्रावधान कर कार्य को गति प्रदान

करने का आग्रह किया। जिस पर दोनों ने मुझे जनहितकारी एवं महत्वपूर्ण इस परियोजना को गति प्रदान करने का आश्वासन दिया।

4. मैं यह बताना चाहता हूँ कि उक्त रेलवे लाईन परियोजना की घोषणा से दो लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर-जेसलमेर, एवं जालोर-सिरोही साथ ही सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान के साथ ही गुजरात का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। इस योजना से भारत-पाक सीमा पर तैनात सुरक्षाबलों जैसे थल सेना, वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल एवं गुप्तचर संस्थाओं को भी सुविधा होगी।

5. यह परियोजना भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम (Joint Venture) है। चूंकि इस परियोजना से Armed Forces भी लाभान्वित होगी इसलिए रक्षा मंत्रालय से कुछ राशि लेने के लिए दोनों मंत्रालयों में विचार-विमर्श हो रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा लोकसभा में 13वीं लोकसभा में 20.04.2000, 16वीं लोकसभा में 15.02.2014, 03.08.2015 एवं रेलवे मंत्रालय को 13.05.2015, 17.11.2015, 09.03.2016, 17.03.2015, 28.12.2017, 20.03.2018 एवं 28.03.2018 एवं दिनांक 01.01.2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर एवं तत्कालीन माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु को दिनांक 17.03.2017, 28.03.2017 एवं 28.12.2017 व 20.03.2018 को श्री पीयूष योयल साहब से व्यक्तिगत मुलाकात कर निवेदन किया गया था। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अत्यन्त आवश्यक है और रेल विभाग, रक्षा मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार मिलकर इस कार्य को प्रारम्भ करेंगे। चूंकि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। जिससे समय पर कार्य होना प्रतीत नहीं हो रहा है। इससे जब इस रेल लाईन की घोषणा की गई थी तब लाभान्वित क्षेत्र की स्थानीय जनता में अति उत्साह एवं हर्ष था,परन्तु उनकी यह आशा निराशा में बदलती जा रही है।

6. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उक्त लम्बित एवं प्रतिक्षित परियोजना की बजट घोषणा के बाद यदि कार्य नहीं होता है तो पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात की जनता के साथ छलावा होगा।

7. अत: मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि आगामी बजट 2018-19 में नई रेल लाईन जैसलमेर-बाड़मेर-भाबर 338.94 किमी की 5000 करोड़ रुपये की लागत परियोजना हेतु बजट प्रावधान कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देश प्रदान कार्य को गति प्रदान करावें।

(v) Need to undertake fresh Socio-Economic Caste Census

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :

1. केन्द्र सरकार के द्वारा देशभर में गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, वृद्धा एवं विधवा पेंशन, चिकित्सा अनुदान, राशन कार्ड आदि कई योजनाओं का लाभ वर्ष 2011 में संपन्न सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) को आधार मानकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है, परंतु वर्ष 2011 में संपन्न उक्त जनगणना की सूची में व्यापक विसंगतियां भी पायी गयी हैं, क्योंकि उक्त सूची में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जाति के अधिकांश लोगों का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकांश गरीबों को नहीं मिल रहा है। साथ ही उक्त जनगणना के सात (7) वर्ष पश्चात अनेक नये परिवार बीपीएल श्रेणी के पात्र हैं, उन्हें भी उक्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

2. हमारे संसदीय क्षेत्र के लगभग सभी प्रखंडों में अनेक ऐसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जाति अथवा बीपीएल श्रेणी की अहर्ता रखने वाले लोग हैं, जिनके पास अपना जमीन है और कच्चा मकान है, लेकिन वर्ष 2011 की SECC सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जो वास्तव में अत्यंत गरीब और जरूरतमंद है।

अतएव केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि, जब तक सामाजिक-आर्थिक-जातिगत सर्वेक्षण पुन: नहीं हो जाता है तब तक प्रखंड स्तर पर ही विशेष सर्वेक्षण कराकर सामान्य, पिछड़ा, दलित आदिवासी आदि वर्ग के सभी जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े और अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए ताकि सबका साथ, सबका विकास का सरकार के संकल्प को पूरा किया जा सके।

(vi) Need to facilitate free treatment of people belonging to economically weaker section and residing outside Delhi in hospitals of Delhi

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में केवल गरीब दिल्लीवासियों के नि:शुल्क इलाज किये जाने तथा देश के अन्य राज्यों से आने वाले गरीब मरीजों को इस अधिकार से वंचित किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह अजीब स्थिति है, क्योंकि राजधानी दिल्ली केवल दिल्ली वालों की ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। दिल्ली में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं, जिनके पास बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्ड होते हैं, क्योंकि उन राज्यों में एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की काफी कमी है, इसलिए उन राज्यों के गरीब लोगों के पास बहुत कम विकल्प होते हैं। इन राज्यों के लोगों का दिल्ली के अस्पतालों पर भरोसा भी अधिक होता है और निर्भरता भी ।

मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से आता हूँ, यहां सरकारी अस्पतालों में गम्भीर रोगों के इलाज की सुविधाओं का अभाव है। इसीलिए दिल्ली नजदीक होने के कारण तथा यहां बड़े, नामचीन अस्पताल होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र से बी.पी.एल. (अब अन्त्योदय) राशन कार्ड धारक, बेहद गरीब लोग दिल्ली में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, जो नि:शुल्क इलाज कराये जाने की प्रथम पात्रता में हैं, लेकिन उन्हें इस नियम के कारण नि:शुल्क इलाज नहीं मिल पाता है। इसीलिए यह निर्णय कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले केवल दिल्लीवासियों का ही नि:शुल्क इलाज होगा, देश के अन्य हिस्सों से यहां इलाज हेतु आने वाले गरीब लोगों के साथ अन्याय है। हालांकि, अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे गरीब लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने मरीज के ठीक होने की उम्मीद में वह यह सब परेशानी भी उठाने को तैयार रहते हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस विसंगति को दूर कर, देश के सभी गरीब लोगों को, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक समान, नि:शुल्क इलाज करने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था करें।

(vii) Need to allocate funds for 'Rashtriya Janjati Sangrahalaya' at Mangarh Dham in Banswara district, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय का पत्र दिनांक 12.01.2017 राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ। इस पत्र में वर्ष 1857 में मानगढ़ धाम में अंग्रेजों के खिलाफ हुए संघर्ष में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को चिन्हित करने के लिए संग्रहालय स्थापित करने की बात की गयी। इसकी अनुपालना में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, मानगढ़धाम, बांसवाड़ा राजस्थान में बनाये जाने हेतु प्रथम चरण में राजस्थान सरकार द्वारा 22.46 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गयी। प्रथम चरण में जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का कार्य शुरू किया गया है। प्रथम चरण की परियोजना लागत 12.76 करोड़ रुपये है। शेष कार्य द्वितीय चरण में लिए जाएंगे। इस संबंध में आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर द्वारा मानगढ़धाम में जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थापित किये जाने हेतु 12.76 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव 18 अप्रैल 2017 को जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाये गये। इस परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान द्वारा दिनांक 03.12.2017 को किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, मानगढ़धाम बांसवाड़ा हेतु 12.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं राशि का आवंटन अति शीघ्र किया जाये।

(viii)Regarding reopening of two paper mills in Assam

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): Two paper mills namely Nagaon Paper Mill and Cachar Paper Mill were set up in Assam several years ago bringing cheers to the thousands of people in this industrially backward state. But due to negligence and mismanagement on the part of the Hindustan Paper Corporation which is a Public Sector Undertaking, both the mills were closed down. Madam, the sudden closure of these two mills have brought untold sufferings to hundreds of workers working in the paper mills. The families of mill workers are spending days in utter penury and poverty. The children of the workers have been forced to leave schools and colleges due to joblessness of their parents. I, therefore, request the government to take immediate steps for reopening of both the paper mills at the earliest.

(ix) Need to run train no. 14021/22 between Sikar and Delhi on daily basis

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीकर को दिल्ली से जोड़ने वाले रेल मार्ग सीकर-दिल्ली वाया झुन्झूनू, लुहारू रेल मार्ग पर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या-14021/14022 अभी सप्ताह में केवल तीन दिन चल रही है। जबकि आमान परिवर्तन से पूर्व इसी मार्ग पर दिल्ली-सीकर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी रात्रि के समय प्रतिदिन चलती थी। यह मार्ग सीकर तथा झुन्झूनू दो जिलों को दिल्ली से जोड़ता है। ये दोनों जिले देश में सर्वाधिक सैनिक देने वाले जिले हैं। इसके अलावा इन दोनों जिलों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में सरकारी तथा निजी सेवाओं में सेवारत है। इस मार्ग पर दैनिक रेल सेवा ना होने के कारण सैनिकों एवं अन्य कर्मचारियों, छात्र, बीमार व्यक्ति तथा व्यापारी आदि सभी जनता को यात्रा में बहुत असुविधा होती है।

मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि सीकर तथा झुन्झुनू की जनता की उक्त यात्रा संबंधी गंभीर समस्या के समाधान हेतु सीकर-दिल्ली वाया झुन्झुनू, लुहारू रेल मार्ग पर सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्चा-14021/14022 को नियमित रूप से प्रतिदिन चलाये जाने के आदेश शीघ्र करने की कृपा करें। मैं तथा मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेंगी।

(x) Regarding CBI inquiry into gang rape and murder of a engineering student in Ranchi, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में 16 दिसम्बर, 2016 को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच रांची के बूटी बस्ती की रहने वाली एवं आर.टी.सी. इंजीनियरिंग कॉलेज की बी.टेक. की छात्रा सुश्री जया भारती के साथ गैंग रेप एवं उसके बाद उसको जला दिया गया। यह घटना दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से कम नहीं थी। इसकी पूरे झारखंड में तीव्र भर्त्सना की गई और कई दिनों तक छात्र-छात्राओं द्वारा आंदोलन होता रहा। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने राँची प्रवास के दौरान इस गैंग रेप एवं हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से करवाने का अश्वासन भी दिया था, जिसे अखबारों ने प्रकाशित किया था। जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार श्री रघुवर दास जी ने केन्द्र सरकार को सी.बी.आई. जांच करवाने का पत्र लिखकर अनुरोध भी किया था, परन्तु सी.बी.आई. जांच का क्या हुआ, ये किस स्तर पर है, झारखंड की जनता को कुछ नहीं पता चला। इस हत्याकांड के हत्यारों का अभी तक पता नहीं चला है। इसकी जांच महिला सुरक्षा के लिहाज से करवाना अति आवश्यक है। यह घटना दिल दहलाने वाली है। मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में छात्राएं दूर-दूर इलाकों से आकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनमें अभी तक भय बना हुआ है। अभिभावकों को अपनी बेटियों को पढ़ाना असुरक्षित लग रहा है। झारखण्ड की जनता चाहती है कि उक्त गैंग रेप एवं हत्याकांड की जांच हो और हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाये। सदन के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से एवं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त कांड की जांच सी.बी.आई. से करवाई जाये, क्योंकि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद अभी तक सी.बी.आई. जांच नहीं हुई है और स्थानीय पुलिस हत्यारों को पकड़ने में विफल रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त छात्रा की दर्दनाक घटना की जो महिला शिक्षा क्षेत्र को कुप्रभावित कर रही है, उसकी जांच सी.बी.आई. से करवाई जाये।

(xi) 'Sugamya Pustakalaya' and differently-abled friendly airport facilities in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना) : देशभर में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित और सुखद वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से 03 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के सुअवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया था। यह अभियान विकलांगता के सामजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है। शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों को समान रूप से भागीदारी करने से रोकती है।

सुगम्य भारत अभियान के पहिवहन सुगमता के कारक का उद्देश्य सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाना है। सरकार ने व्यापक सुगम्यता हासिल करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक ऑनलाइन सुगम्य पुस्तकालय का शुभारंभ किया है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे संसदीय क्षेत्र सतना में सुगम्य पुस्तकालय और हवाई अड्डे के लिए कोई कार्ययोजना है ताकि सतना जिले के दिव्यागजनों के लिए बाधारहित और सुखद वातावरण तैयार हो सके।

(xii) Need to check release of untreated water by urban and semi-urban local bodies into rivers

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय द्वारा जिस तरह से दूषित जल नदियों में गिराया जा रहा है वह नदियों को प्रदूषित करने का मुख्य कारण है और नदियां जो कि जीवन दायनी होती हैं वह जीवन को संकट में डाल रही है।

इस संदर्भ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्थानीय निकायां को दूषित पानी नदियों में डालने से तत्काल प्रभाव से रोका जाये और स्थानीय निकायों को इस बात का तत्काल दिशा-निर्देश जारी किये जायें कि नदियों में दूषित जल ट्रीटमेंट किये बिना न डाला जाये।

(xiii) Need to resume operation of Korba-Raipur Intercity Express

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): मेरे संसदीय क्षेत्र कोरबा से राजधानी रायपुर हेतु एक सुपरफास्ट ट्रेन प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

मेरे संसदीय क्षेत्र कोरबा में देश के विभिन्न प्रान्तों के लोग निवास करते हैं। अत: कोरबा को लघु भारत के रूप में भी देखा जाता है। संसदीय क्षेत्र कोरबा 450 कि.मि. लंबाई एवं 275 कि.मी. चौड़ाई पर फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग 10 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कोरबा को ऊर्जा-राजधानी भी कहा जाता है। एल्युमीनियम का बड़ा उद्योग भारत एल्युमीनियम कंपनी तथा एन.टी.पी.सी. कोरबा में ही स्थित है। कोरबा क्षेत्र में कोयले का अपार भण्डार है। मिनीमाता हसदेव बांगों परियोजना देश की प्रमुख बहुउद्देशीय बाँध परियोजना है तथा कोरबा क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित है तथा अनेक प्रोजेक्ट कोरबा क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा शहर रायपुर एवं बिलासपुर के बाद तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है।

लोक सभा चुनाव, 2014 के पूर्व में परचािलति कोरबा-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन पुन: प्रारम्भ किया जाये, यह क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित माँग है तथा अनेकों बार मेरे द्वारा यह माँग की जा चुकी है। यदि संभव न हो तो सुबह पैसेंजर के रूप में चलने वाली 2 ट्रेनों में से किसी एक को एक्सप्रेस में परिवर्तित किया जा सकता है। अत: कृपया इस ट्रेन का परिचालन शीघ्र प्रारंभ करने की कृपा करें।

(xiv) Need to increase the frequency of Bikaner - Dadar Superfast train

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): समदड़ी-भीलडी रेल लाईन का आमान परिवर्तन मीटर गेज से ब्रॉडगेज कार्य 14 अक्टूबर 2010 को पूरा हो गया था। इस मार्ग पर मालगाड़ियाँ सुचारू रूप से चलने लगी हैं। सात वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मार्ग पर यात्री सुविधाओं का नितांत अभाव है। नाम मात्र की यात्री गाड़ियाँ इस रूट पर चल रही हैं। इस रूट पर मीटर गेज से ब्रॉडगेज होने पर ट्रेनों की संख्या कम हो गयी। जो चल रही है, उसके संबंध में भी यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। बीकानेर से दादर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन नं0- 12489/12490 के फेरे बढ़ाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है कई बार इसके लिए मांग भी की जा चुकी है। इस ट्रेन को जिले से पर्याप्त राजस्व भी मिल रहा है। यात्री भार को देखते हुए इसके फेरे पर्याप्त नहीं हैं।

(xv) Need to provide basic needs to 24 Tribal colonies of Chamarajanagar district, Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to state that Chamarajanagar District of Kamataka State comes under my Constituency and in this District there are about 38,000 Tribes from 7462 families living in 148 Tribal Colonies. Under Central and State Sector schemes, since 2013-14 huge grant has been released for providing infrastructure development of tribal colonies like Construction of New Houses, Repairs of Old Houses, Drinking Water facilities, Road connectivity, Construction of Culvert/bridges, providing Electricity etc.

As per Forest Rights Act, the above infrastructure development works should be implemented in Tribal Colonies. But the Officers of Forest Department are not allowing the implementation of the above works for one or the other reason. Hence out of 148 Tribal Colonies of Chamarajanagar District, Tribes in 24 Tribal Colonies (Gombegallu, Nalli Katri, Bedaguli, Puranipodu etc.) still live in darkness, they are still drinking pond water and without basic needs, they are unable to provide education to their children and they are not in a position to go to Hospitals for treatment etc.

For the reasons explained above, I hereby urge the Union Government to grant permission through Forest Department for providing basic needs to the 24 Tribal Colonies of Chamarajanagar District (Karnataka) under Forest Rights Act.

(xvi) Regarding release of pending funds to Tamil Nadu relating to education sector

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): I would like to urge upon the Government to release pending funds of centrally aided schemes due to Tamil Nadu. Tamil Nadu Education Department has not received Rs 4,474 crore from the Centre under various schemes for the last few years. Many education schemes, including post-matric scholarship for SC/ST students suffered as the State was denied central funds on the ground of exhausting the budgetary allocations. A sum of Rs 1,547 crore has been pending towards the postmatric scholarship scheme for Scheduled Castes and Rs 27 crore for Scheduled Tribes for over a year. The annual allocation is grossly inadequate. I request that this amount may at least be doubled this year.

The Union Government has to pay arrears of Rs 1,312 crore for the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), the ‘education for all’ scheme to Tamil Nadu. Sarva Shiksha Abhiyan aims at providing basic, education to children up to the age of 14 and any delay in the release of funds will hit basic education in spite of Tamil Nadu Government’s best efforts. Under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) scheme, which is being implemented to provide secondary grade education, an amount of Rs 1,588-crore is due to the State. Funds under the SSA and RMSA schemes have not been allotted to the State though these projects have been approved by the Project Approval Board. As education is pivotal to the task of nation building, I appeal to the Government to release all the funds due to Tamil Nadu without any further delay.

(xvii) Regarding inclusion of fishermen community of Tamil Nadu in the list of Scheduled Tribes

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Fishermen in Tamil Nadu reside in precarious terrain by the sea coast, have distinct customs and lifestyle, and eke out a meagre livelihood from their traditional occupation. Most of them are very poor. The Government of Tamil Nadu seeks the inclusion of the fishermen community of Tamil Nadu in the list of Scheduled Tribes .1 urge the Union Government to take immediate steps in this regard.

(xviii) Regarding unemployment situation in the country

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The unemployment problem is perhaps the most serious and crucial issue that India is facing today. The unfortunate situation of educated and uneducated youth of the country has resulted in deteriorating concern of law and order. Unemployment in India is projected to witness drastic increase between 2017 and 2018, signalling stagnation in job creation in the country. As per United Nation's International Labour Organization, economic growth trends lagging behind employment needs and predicts both rising unemployment and worsening social equality throughout the county. India is facing twin challenges of repairing the damage caused by the global economic and social crisis and creating quality jobs for tens of millions of new labour market entrants every year. The Employment Provident Fund Organization's (EPFO) enrolment numbers, which formed the basis for an independent study released earlier this year that the government cited as an indicator of buoyancy in formal job creation in the economy, has been sharply whittled down for each of the six months where data was released subsequently. There is downward revision in net enrolment numbers that range from 6 percent to 21 percent for each of the months between September, 2017 and March, 2018. In the budget speech, Finance Minister cited that "an independent study conducted recently has shown that 70 lakh formal jobs will be created this year". But in reality, there is no scope for his expectation. The Ministry of Statistics and Programme Implementation, in its

latest report, said the levels of employment are from various sources, there are elements of overlap and the estimates are not additive. I would request the Government to take immediate steps for an atmosphere for generation of more employment in rural and urban India, so that the people of the country get their livelihood.

(xix) Need for relaxation of norms under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): This is a major challenge for the entire state of Odisha more so for the Aspirational Districts like Kandhamal, Nayagarh & Boudh. The State Government has identified the unconnected habitations. Government of India may provide special dispensation for connecting the unconnected habitations even by way of relaxation of the norm for coverage under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. According to PMGSY guidelines, connectivity and up-gradation of existing damaged roads connecting habitations having populations of 250 IAP District and 500 and above in non-IAP Districts are eligible for sanction. In order to facilitate medial care and better all weather communication, Government of India may consider to relax the norms for providing connectivity and up-gradation of existing roads connecting habitations having population of 100 and above as being done for 38 LWE Blocks in the State. The smaller habitations with population less than 100 may be covered by adopting cluster approach and distance criteria of 1.5 K.M. in hilly area and .5 KM in non-hilly area may also need some relaxation.

Government of Odisha have proposed to provide special dispensation for connecting the un-connected habitations and up-gradation of existing roads by way of relaxation of the norms for coverage under PMGSY as is being done for LWE Blocks. Ministry of Rural Development may consider the proposal of the State Government of Odisha.

(xx) Need to continue existing arrangement of catering system on railway platforms

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): On all Railway Platforms, there are arrangements in existence for decades that stall holders provide vending/catering services to Railway passengers through their allotted sub units i.e. trolleys, khomchas and vendors so that the passengers are not deprived of facilities when trains are stationed/halted at long platform and moving vending trolleys are able to reach upto both the end of the long trains having upto 22-24 coaches.

Therefore, it would be desirable not to disturb the existing arrangements of catering/vending existing in Indian Railways. The small vending contractors are having four-five stalls/units only. And they may be allowed to continue under policy 2010 but not more than ten stalls be permitted. The provision in the policy is to allow ten number of units in one zone i. e. 160 units on Railway platforms to one licensee.

Therefore, I would request the Railway Minister that the existing policy be continued and the present Government implement such arrangement in larger public interest.

(xxi) Regarding construction work along Indo-Bangladesh border

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Once the river Padma was flowing inside Indian Territory before 1996 in Madhugari Gram Panchayat area under Karimpur — 1 Development Block in the district of Nadia, West Bengal. But between the years 1996 and 2003 it suddenly changed its course and started flowing through Bangladesh. Due to the erosion and re-alignment of Indo-Bangladesh demarcation line, 3500 acres of Indian cultivable land falling within limits of Madhugari Gram Panchayat have been found to have emerged as the "Fertile Char land" to the north of river Padma within India. Now the Indian cultivators had so long been earning their livelihood by cultivating this huge land. I got to know that the Government is going to undertake re-construction work of the Border Road and fencing along the southern side of the present course of the river Padma far from Indo-Bangladesh demarcation line.

My request to the Government is that the construction work should take place at a distance of 150 meters from Indo-Bangladesh Radcliffe line of demarcation.

(xxii) Regarding reversal of reservation roster for recruitment in Universities and Colleges

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उच्च शिक्षा में शिक्षक नियुक्त के लिए पदों के विवरण प्रणाली यानि रोस्टर को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशात्मक आदेश को आधार मानकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र संख्या 1-7/2017/CV, दिनांक 6 दिसम्बर 2017 के द्वारा यू.जी.सी. को निर्देश दिए गए। निर्देश के आलोक में देशभर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि एक महीने के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभागवार रोस्टर बनाया जायेगा एवं विभागवार रोस्टर लागू होने के फलस्वरूप आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गई है। इस सर्कुलर का परिणाम यह है कि विभागवार पदों के विज्ञापन से वंचित शोषित तबके के लोगों के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की संभावनाएं हमेशा के लिए कमोवेश खत्म हो गई है, क्योंकि विभागवार रोस्टर बनाये जाने से किसी भी विभाग में आरक्षण नहीं बचेगा। विभागवार रोस्टर लागू होने से विभागों से लेकर उच्च शिक्षा तक में संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित हो गयी है एवं आरक्षित वर्गों की संख्या नगण्य हो गयी है। आरक्षण विरोधी विभागवार यह नीति इंदिरा साहनी केस से लेकर आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य व अन्य ऐसे तमाम मामले में न्यायालय के संवैधानिक व हिस्सेदारी के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और संवैधानिक प्रावधान के विरूद्ध है। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 1997 में और ओबीसी के लिए आरक्षण 2007 में लागू हुआ एवं उसके बाद से ही स्थाई नियुक्तियां कमोवेश बंद रही एवं जैसे ही ये आरक्षण विरोधी रोस्टर आया, सभी जगह नियुक्तियां की जा रही है तथा वे सभी आरक्षित पद जो एक साल पहले ही सृजित हुए, वे विभागवार रोस्टर से समाप्त हो गए हैं। 5 मार्च के सर्कुलर के विरोध में सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया है। सूचना के अधिकार के तहत यू.जी.सी. ने बताया कि रोस्टर का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन न्यायालय में

विचाराधीन होने के बाद भी देशभर के विश्वविद्यालय लगातार विभागवार रोस्टर लागू कर विज्ञापन जारी कर नियुक्त करते जा रहे हैं, जो न्यायालय की अवहेलना है। ऐसे में उच्च शिक्षा के संवैधानिक चरित्र को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सरकार एक विधेयक लाकर विभागवार रोस्टर संबंधी फैसले को निरस्त करे एवं उच्च शिक्षा तक समाज के वंचित शोषित तबके के लिए संभावनाएं बचाए रखें।

अतः सरकार से मांग है कि समाज के शोषित-वंचित तबकों के हित एवं आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करते हुए अविलंब रोस्टर प्रणाली रद्द करते हुए इसी सत्र में विधेयक लाकर कानून बनाया जाए।

(xxiii) Need to make Punjabi language as an official language of Chandigarh

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): मैं सरकार का ध्यान इस अति दुखद तथ्य की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ शहर पंजाब के दर्जनों गाँवों को उजाड़कर पंजाब की राजधानी के तौर पर विकसित किया गया था जिस पर पंजाब का नैसर्गिक अधिकार है। यह हमारी पहचान ही की नहीं, हमारी सभ्यता सरकार व संस्थाओं तक संस्कृति का भी केन्द्र है।

परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी अपनी ही राजधानी ने हमारी मातृभाषा का तिरस्कार करके, अंग्रेजी भाषा, जो कि भाषाओं सूची में दर्ज भी नहीं है और हिंदी भाषा, जिसे भारतीय संविधान राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता, उन भाषाओं का वर्चस्व कायम किया जा रहा है। जो हम सभी पंजाबियों को कतई मंजूर नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि हमारी मातृभाषा पंजाबी को हमारी राजधानी में सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाये और शिक्षा, सरकारी कामकाज व न्याय प्रणाली में इसके उपयोग को वरीयता दी जाये।

(xxiv) Need to review the order of ESIC regarding Super Speciality Medical treatment

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The ESIC imposed conditions such as two years with 156 attendance out of that two contribution period not less than 78 attendance and continuous remittance of four contribution periods for providing super speciality treatment for insured persons and their dependent vide order no. V- V14/11/5/20 I 2/Med I (policy) dated 07-11-2016 and letter no. V- 14/11/5/2012/Med I dated 09-03-2017. Due to the implementation of the order most of the insured persons have been deprived of the benefit of super speciality treatment. The cashew workers and other weaker section of the insured persons have been deprived of the benefit of Super Speciality Treatment (SST). ESI is for the benefit of workers. The order of the Corporation deprivings the poor workers from the purview of SST is not justifiable.

Hence, I urge upon the Government to initiate immediate action to withdraw the said order and restore the earlier conditions prior to the order for SST of insured persons and their dependents.

(xxv) Need to construct subway at Mudicade and a vehicular underpass of Mullakkara Centre-Mulayam Road Junction on National Highway-47

SHRI C. N. JAYADEVAN (THRISSUR): Along the new Mannuthy-Vadakkanchery six-lane NH-47 currently under construction, there is no provision for subways at Mudicode and Mullakkara Centre-Mulayam Road Junction. These are two important centres serving as hub for several institutions and places of worship such as schools, hospitals, temples churches etc. frequented by thousands of students and other common people every day. With the construction of this six lane highway, the area will be divided into two. Mullakkara Centre-Mulayam Road Junction will turn into a death trap for those who attempt to cross the highway. Even when it was a four lane highway, hundreds of accidents have taken place and people died on this stretch of highway. The State Human Rights Commission has ruled that a subway be built at Mullakkara centre- Mulayam Road for the people to cross the highway safely. I had been representing the matter to the Union Minister since November last year but only this May the minister has replied that my demand has been forwarded to the CCM (Kerala) NHAI for necessary action. The work on this stretch of the NH- 47 is almost complete and the last stage of the work is at a standstill due to delay in taking the decision on taking up the construction of these two Under Passes.

I, therefore, urge upon the Minister to intervene immediately and make provision for constructing a sub way at Mudicode and a Vehicular Under Pass (VUP) at Mullakkara Centre-Mulayam Road Junction across this six-lane NH-47.

---

14 32 hrs

PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL, 2018

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are taking up item no. 17.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, with your kind permission, I beg to move:

> "that the Bill to further amend the Prevention of Corruption Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, as you know, the Prevention of Corruption Act was enacted in 1988. The history of the present Bill which we are moving for consideration is also about five or six years long. This Bill was first introduced by the earlier Government in 2013 and it was introduced in the Rajya Sabha. The then Government in their discretion and wisdom and rightly so, thought that with the passage of time, certain amendments and modifications were required. In fact, this Bill was inspired by the idea of bringing a paradigm shift in defining the offences related to bribery including the active bribery which includes the bribe giver. जैसा कि आदरणीय सदस्यों के ध्यान में है कि रिश्वत देने वाले के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती।

So, there is a whole lot of shift from the earlier conventional thought as far as prevention of corruption is concerned, which also included bringing into the gambit the 'bribe giver' -- the active briber. At the same time, there is coercive bribing. कभी-कभी कोई व्यक्ति रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके लिए क्या सेफगार्ड हो, यह प्रावधान भी इसमें हो। यदि वह एक सप्ताह के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करता है, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए।

As I said, this Bill was introduced by the earlier Government and on the advice of the Members of the Rajya Sabha, it was sent to the Parliamentary Standing Committee on 6th February, 2014, during the earlier Government itself. The Report came back from the Standing Committee which was then headed by Shri Shantaram Naik. It was then referred to the Law Commission headed by Justice A. P. Shah. It came back on 15th February, 2015.

After a brief discussion, it was then sent to the Select Committee after a brief discussion, which was headed by late Shri Anil Dave. It came back from the Select Committee in 2017 along with the amendments which had been studied by the Government, and in the amended form it was introduced in August 2017. There was also a brief discussion in 2015 when it was first introduced. After that, the Bill was repeatedly listed in the Rajya Sabha in 2017 but somehow the discussion could not happen.

The present situation, Sir, is that on 19th of July, 2018 the Bill went through an elaborate discussion in the Rajya Sabha. It was then discussed and there were about 27 speakers. And in the amended form today we are now introducing it in the Lok Sabha for consideration and passing.

Sir, this is also a reflection of the hon. Prime Minister's commitment of zero tolerance towards corruption. You would also recall that when this Government took over one of the earliest declarations made by the Government was 'Maximum Governance, Minimum Government'. When we go ahead to pursue this objective, essentially it will involve improvement in governance, increased citizen centricity, increased transparency, increased accountability. Therefore, these two main aspects have been simultaneously taken care of in this Bill: (a) Making the corruption law more stringent and wide based, as I said, active bribery, bribe giver also being included; and (b) at the same time, also ensuring enough safeguards for those of the public servants and officers who are performing their duty with honesty so that unwarranted intimidation does not kill their initiative. So, we have introduced also in this Bill the provision of timeline for prosecution. वरना आम तौर पर समाज में यही चर्चा रहती थी, कोई मुकदमा दायर हो जाता है, ऑफिसर रिटायर हो जाता है, कई बार उसका स्वर्गवास भी हो जाता है, लेकिन केस का फैसला नहीं होता है, and we do not achieve the desired purpose. We have now fixed a timeline of two years for the decision to be given.

Similarly, before proceeding against any officer, prior permission, which was earlier available only at the level of Joint Secretary and above, is now available at all levels. The permission has to be obtained within three months.

Similarly, while following the policy of zero tolerance towards corruption, as I said a very conscious effort has been made also to provide a work friendly, unintimidated environment for those who are working without the allurement of

corruption with all the ability at their command. I am sure the hon. Members will unanimously come forward to support this effort because you would realise that this Bill is thirty years old and with the passage of time, with the new realisations and new experiences we have come out with certain modifications.

The ultimate war against corruption will happen only when the society becomes incorruptible, the nation becomes incorruptible. That is the most ideal situation. But till then we will have to keep bringing in these modifications. We might have to bring such amendments in future as well but as of today, by our wisdom, by our experience, and by the kind of prevailing circumstances, the best modifications that could be thought of have been sought to be brought in.

I request that the Bill may be taken into consideration and be passed. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to dwell on the legislation under the nomenclature “The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018”.

Hon. Minister, we are certainly with you in the fight against corruption. But we also need to enlighten you that more legal teeth should be added to this legislation.

You are talking about paradigm shift. You are talking about zero tolerance. It is very much encouraging to note it but in reality, the situation is diametrically opposite. So far as International Amnesty’s report is concerned, India has been ranked 81st in Corruption Perception Index. You are talking about zero tolerance and maximum governance but I will say that we are going in the age of maximum corruption and minimum prevention. Chanakya tells us that it is impossible to know when and how much wateris drunk by a fish. Similarly, in our society also, stealing of government funds and public funds have been continuing unabated.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I don’t want any comments like this. Let him speak.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने खुद कहा है कि इस भ्रष्टाचार विरोधी कानून के कारण हमें अनिर्णय का शिकार होना पड़ा। यह मैं नहीं खुद अरुण जेटली जी कह रहे हैं। इस प्रकार यह इनकंसिस्टेंसी आपके पास है, मेरे पास नहीं है। हम समर्थन जरूर करते हैं, but it has to be seen that आज के जमाने में विजय माल्या से ले कर, ललित मोदी, ललित मोदी से ले कर नीरव मोदी, नीरव मोदी से ले कर मेहुल चोकसी, ये क्या करप्शन के मामले नहीं हैं? इस

करप्शन को रोकने के लिए क्या आप कुछ कर पाए हैं? आप ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, लेकिन घोटाले पर घोटाले चलते आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि Corruption in India is perpetual and pervasive whereas prevention is spasmodic and evasive till now. India has been transforming under your leadership from the land of saints to the land of swindlers; from the land of *fakirs* to the land of fraudsters. You cannot deny that. मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि राफेल डील के बारे में हाऊस के अंदर सब कुछ उजागर किया जाए, तो आपकी तरफ से उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश की जा रही थी। आप क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि राफेल डील कोई ऐसी डील नहीं है, जिसके बारे में जानकारी देने पर कोई आसमान टूट पड़ेगा। जब सीएजी जानकारी मांगेगी, तब आपको देनी पड़ेगी, खास कर जब वह डैसल्ट एविएशन कंपनी है, वह आपके एन्युअल रिपोर्ट में इसके दाम कहलाएंगे तो राफेल डील के अंदर आप इतने भयभीत क्यों हैं कि उसके बारे में कुछ भी उजागर नहीं करना चाहते हैं और दबा कर, धमका कर, डरा कर हम लोगों को चुप कराना चाहते हैं। इसमें आपकी मंशा साफ हो रही है कि करप्शन के खिलाफ आप लड़ने में सिंसियर नहीं हैं, आंतरिक नहीं हैं। देखिए अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते तो आज तक लोकपाल इस हालत में नहीं होता। आप खुद बताइए कि लोकपाल का यह हाल क्यों हुआ है? एक साल दो साल, जाते-जाते चार साल, फिर कहाँ गया हमारा प्यारा लोकपाल? अभी सफेद होने लगे मेरे बाल, आप कह रहे हैं कि जल्दी करो मत, लोकपाल जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। यह कल-कल करते-करते और कितने कल हमें रुकना पड़ेगा? यह जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट को भयभीत होने से मुक्त कराने के लिए यह विधेयक लाया गया है तो यह मान लीजिए कि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आपको लोकपाल से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर सूबे की सरकार में किसी नौकरशाह के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी होगी तो उसको लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ेगा। आप यह बताइए

कि न तो आपके ऊपर लोकपाल है और न नीचे लोकायुक्त है, फिर आप बात करते हैं कि आप करप्शन को रोकेंगे, आप नौकरशाही को काम करने देंगे। उसके बाद भी आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि नौकरशाही को डर और भय के माहौल में काम करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इस दुविधा को दूर करना चाहिए और आपको अपनी हर एप्रोच में स्पष्ट होना चाहिए, मेरा यह कहना है। मैं आपको सिर्फ दो चीजों का हवाला देता हूँ।

The Standing Committee was of the opinion that laws like the Right of Citizens for Time-bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011 and the Whistleblowers Protection Bill, 2011, pending in Parliament should be enacted. This would address concerns of persons forced to give bribes to access services from the State and encourage them to report acts of corruption respectively.

This means, there is no dearth of anti-corruption legislation at your disposal but the fact is that you are not applying those anti-corruption legislative instruments that you have in your possession. There lies the lacuna which needs to be rectified which needs to be corrected.

You have not defined ‘corruption’ and ‘corrupt practices’ anywhere in the Bill. The Second Administrative Reforms Commission has recommended classification of distortion and democratic institution and violation of oath of office as acts of corruption but they are not included in the amended Bill. Phrases such as ‘relevant expectation’ and ‘improper performance’ are vague and subject to abuse when variedly interpreted.

You have already mentioned that there are two types of bribe-givers: the first is consensual and the other is under coercion. But you should differentiate

both types of bribe giving episodes. You cannot treat them under the same umbrella. In the US, there is a protection for the coercive bribe. So, you should also apply this kind of immunity to exempt those people from being punished. मान लीजिए आप अपने बच्चे को साथ लेकर अस्पताल गए हैं। आपका बच्चा दर्द से तड़प रहा है। आप अस्पताल में अपने बच्चे को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वह कहता है कि आप कुछ पैसा दीजिए, कुछ रिश्वत दीजिए, हम आपके बच्चे को भर्ती करा देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने बच्चे को भर्ती कराओगे? इसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो वह गलत होगी। Both the coercive and consensual bribe-givers should not be treated and tried on the same footing.

The same applies to the demand side also. If a public official receives a bribe under threat but reports to the competent authority, he should be immune from prosecution. We are agreeing to that.

The power of approval to confiscate property of a corrupt public servant lies with the Government; instead, it should have been transferred to the head of the investigating agency to enhance the effectiveness of the Act.

Currently, known source of income are limited only to those which have been intimated in accordance with the provision of any law, rules, or orders for the time being applicable to a public servant. The provision was made in 1998 in order to cover an earlier loophole whereby many accused persons would cite fresh sources of income at the time of trial resulting in acquittal in a large number of disproportionate asset cases. Strangely, the Government proposes to delete this requirement without recommendation to this effect from any stakeholder. Thus, the big offenders have secured a vital escape route for

themselves. The civil servant lobby has managed to bring the single directive. This refers to an older government order – the order may be older – that no senior officer could be investigated without permission from the Government.

You have also referred to it. In the famous Vineet Narain judgement, the Supreme Court in 1997 had held this order as illegal. The Government brought it back, this time as provision of law, in 2003.

Finally, as recently as 2014, a Constitutional Bench of the Supreme Court held that this provision was unconstitutional. I would reiterate, as recently as 2014, a Constitutional Bench of the Supreme Court held that this provision was unconstitutional as it has violated the right to equality. This immunity clause is back for the third time.

Sir, your colleague, *…*[*] also cited that a sinister design is being committed by this Government to dilute the efficacy aspect of the Prevention of Corruption Act.… (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष जी, ये किसी का नाम ले रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम क्वोट कर रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : सर, इन्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए। आप उसे एक्सपंज कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने किसी का नाम लिया है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Bill makes it more difficult. …(*Interruptions*)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, ये किसी का नाम कैसे ले सकते हैं?…(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

श्री अधीर रंजन चौधरी : इनके पास रूल्स एण्ड प्रोसीजर्स की बुक है।…(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If there is any allegation, I will expunge it.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Bill makes it more difficult to hold someone guilty of disproportionate assets as it raises the threshold of proof. Under the existing law, the possession of monetary resources or property disproportionate to the public servant's known sources of income is enough to prove corruption. Now, the prosecutor will also have to prove that this disproportionate asset was acquired with the intention of the public servant to enrich himself. How do you define that there is a sinister intention of any Government servant behind aggrandisement, behind the accumulation of wealth? However, the Select Committee of the Rajya Sabha observed that proving intention should not be made mandatory.

Under the 1988 Act, a public servant can be punished for accepting or attempting to obtain any reward for performing his public function improperly. However, the 2015 Amendment Bill creates an exception in the aforementioned section wherein if a public servant does not perform a public function or activity dishonestly; he would not commit an offence. Here lies the problem. If a public servant charged with corruption proves that he performed his public functions honestly, he would not have committed the offence.

सर, क्या कोई इसके बारे में कह सकता है? आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका ऑनेस्ट इंटेंशन है, किसका इंटेंशन डिस-ऑनेस्ट है? इसे आप कैसे तय करेंगे? किसने यह किया

है, यह बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि जब सदन में किसी विधेयक पर चर्चा होगी तो उसके प्रॉस-एण्ड-कॉन्स, आगे-पीछे देखना हमारी जिम्मेदारी है।

सर, मैं इस बिल का समर्थन जरूर करता हूं, पर इसे चुस्त-दुरुस्त किया जाए और फिर इसे पारित करें।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. The Prevention of Corruption Act, 1988 has been amended and has been brought in this House with a more progressive approach. I am surprised to hear Shri Adhir Ranjan Chowdhury, who is a good friend of mine. He has referred to Chanakya. He said that we cannot tell how much water a fish has drunk. We have to change our thinking in line with today's technology. Chanakya's days were different, though, whatever he said is relevant till today. Today, we have *Jan Dhan,* mobile and *Aadhaar.* Let him study what all has been achieved. He knows it. He is a well-read man but he does not want to say that. Today, with the help of the technology we can definitely tell how much water a particular fish is drinking.

जनार्दन रेड्डी की बात करने से पहले आप देखिए कि आपके समय में जो भी स्कैम हुए, वर्ष 1948 के जीप स्कैम से लेकर अभी तक जो भी स्कैम हुए, जब तक आपके निकलने का समय आया, तब तक क्या हुआ? अधीर रंजन जी, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ।

Sir, he is referring to Vijay Mallya, Nirav Modi and all those people. I am really surprised. Who had given them loan? From 2008-2014, how the banks were treated and how the bank officials were forced to give loan, these have been explained by the hon. Finance Minister also once and recently by the hon. Prime Minister in his reply. They do not understand as to why they ran away. They ran away because we started recovering the amount which was given to them as loan. उस समय क्या होता था? रीएडजस्टमेंट होता था, रीसेट्लमेंट होता था। रीएडजस्टमेंट और रीसेट्लमेंट करके, आराम से पैसा खाकर वे दूसरे *… (Not recorded)* बनकर आराम से रहते थे। Only because we started recovering and started taking

action against them, those people have run away. But, I am confident that our Government is putting an all-out effort to bring them back and to bring them to book. … (*Interruptions*)

Sir, he is talking about 'Rafael Deal'. Whatever statement has been given by the France Government, it has been made public. Why have you moved the Privilege Motion? … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : We are not under the France Government. We are under the Modi Government.

SHRI PRALHAD JOSHI : The hon. Defence Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman Ji, has made it very clear that the umbrella agreement was signed by the UPA Government in 2008 when they were in power. Shri A.K. Antony signed that agreement. This has been made widely clear. But, still, they want to create an atmosphere that something has happened. … (*Interruptions*) They are only worried about their politics but are not worried about the security. दो देशों के बीच में जो समझौता होता है, उसके बारे में उनको कुछ कंसर्न नहीं है। But, they are only bothered about their politics. They want to create an image which is not in existence. They want to forcibly create an image and give publicity that the Modi Government has done something wrong. But, people will not believe you. In 15-16 States, people have given their mandate to Modiji, including in the elections recently held in Uttar Pradesh. You know it very well. … (*Interruptions*)

Sir, he has referred to the hon. Supreme Court's Judgement in *Mirabai Versus Union of India*. That case is covered under the act of abetment. Only a

few Joint Secretaries and above were exempted. Now, the officials from *chaprasi* to the Secretary whoever wants to take a decision with good intention, can take it. Some of the officers were dragged to the court after their retirement and no officer was ready to take a decision. Red-tapism was increasing because of that. After due consideration and scrutiny by the Law Commission, this amendment has been brought in. Now, there are so many provisions. If their assets are found to be disproportionate, they can be prosecuted. That provision is also there in this.

I also agree with what the hon. Minister has said that corruption cannot be stopped or prevented by law alone. The mentality of the rulers and the people is also important. … (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जोशी जी,…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद जोशी : अधीर रंजन जी,…(व्यवधान) लोगों ने आपको पानी पिला दिया है, इसलिए आप 44 होकर उधर बैठे हैं।…(व्यवधान) जनता ने आपको 15 स्टेट्स में पानी पिलाया है।

15 00 hrs

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Joshi, you address the Chair.

SHRI PRALHAD JOSHI : We cannot prevent corruption only by law. People's mentality is also important. Why has this menace spread like cancer? Today, this is a question before the country. It is because the leaders who ruled the country from 1947 to this date after the Independence उनकी मंशा ठीक नहीं थी। Their intention was not good. When they indulged in corruption, naturally people and especially rich people felt that they can also indulge in corruption and get away with it. Due to this, slowly corruption went on and it spread like cancer. That is why, they cannot say anything now. If they want to talk about corruption, let them also talk about 60 years of their rule. It is because of that only, these things went on happening.

Under Section 9, the Bill has included commercial organisations into its ambit. For the first time, the bribe giver is also included. It says that a commercial organisation shall be guilty of an offence and shall be punishable with the fine if any person associated with the commercial organisation gives or promises to give undue advantage to the public servant. आपने यह नहीं किया था, हमने किया है। With such an initiative, even the middlemen and the agents have also been brought into the ambit of corruption. We are not doing only this. He was talking about the middlemen and corruption. He was also talking about how exemptions have been given.

As I have already said, we cannot prevent corruption only by making laws. That is why, with the linkage of Jan Dhan, Aadhar and mobile, the DBT

was implemented. The strict implementation of DBT in all subsidy schemes has saved Rs.90,000 crore since 2014. You could not do it. आधार को आपने लिया, लेकिन आपने आधार का कुछ आधार नहीं बनाया था। You did not create any *aadhar* for Aadhar. We created a law and कंसोलिडेटेड फंड से हमने फंड लिया। कंसोलिडिटेड फंड से फंड लेने के बाद आधार के लिए उसे यूज करना शुरू किया और जाम से उसको लिंक किया। इससे करप्शन कम हुआ। Around Rs.90,000 crore have been saved. The DBT has been implemented in around 300 schemes benefiting around 119 crore people.

With these initiatives, the Government of India under the leadership of Modi Ji have started cleaning the system. That is why, you are bothered about it because you do not want a clean system to establish. This is your track record. Whatever has happened in the last 60 years is known to you.

As regards LPG, you could not give it to the poor. After ruling for more than 50 years, the total LPG connections which you gave were six crore. During Vajpayee Ji's tenure, 5-6 crore connections were given during six years. Now Modi Ji's government has saved around Rs.40,000 crore in LPG. There was misappropriation to this extent.

During your regime an LPG connection was a luxury. Sir, as you very well know, Members of Parliament were given coupons for issuing LPG connections. We have disbursed around 8 crore LPG connections and out of that four crore connections are under Ujjwala Scheme where we are not collecting single *naya paisa*. We are collecting only Rs.1600. When corruption

and middle men are avoided, it can be done. There are absolutely no queues. The refilling of cylinders is also easy.

I had been to Nagaland. मैं नागालैंड के बहुत छोटे से गांव में गया था। There were one hundred fifty LPG connections that were given under the Ujjwala scheme and people were happy and their happiness was quite evident in their faces when I met them and went to their houses. This is the change that has taken place because हम मिडिलमैन को एवाएड कर रहे हैं, इस कानून से बहुत फायदा होने वाला है।

These are the people who are talking about corruption. Look at your own history. India became independent in the year 1947. The Jeep scam took place in 1948. Indian Government signed a deal with a company in England for supply of 200 jeeps. The contract then was worth Rs. 80 lakh. Only 155 jeeps were delivered. At that time the Indian High Commissioner to England was Mr. Archibald Edward Nye and was in a controversy. However, the case was not investigated and the matter was closed without proper investigation. …(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, let him speak on the provisions of the Bill. But he wants to speak about events of 1947, when he was not even born, then let there be a separate debate on that. Let him now talk on the provisions of the Bill.

SHRI PRALHAD JOSHI : I have not taken the name of any person. We know as to who was the then Prime Minister, which party was in power and all that. We all know that.

There was another deal in the 80s, namely, the Kuo Oil scam, which was directly linked to the then Prime Minister causing a loss of 10 million US dollars. During the 80s this news sold like a hot-cake in the media, especially in *The Indian Express* which spearheaded the unearthing of the major scam called the Kuo Oil. This was a Hong Kong based oil company which was given orders for supply of 5 lakh MT of diesel bypassing the recommendations of the then Committee on Public Undertakings, the sole authority then to decide on the import of oil.

Then I would like to refer to the Bofors gun deal scam. We all know what happened in the Bofors scam. There were allegations of commission taken for the finalisation of the deal and how the matter was dealt with and how Quattrocchi was let off scot-free. We know as to which party was ruling this country then.

Then, what happened in the 2G scam? Who was the Finance Minister then? How did he deal with it? Who was responsible for that? The mobile telephony subscriber base touched 250 million in 2008 from just 4 million in 2001 and 2G licenses were issued to private entrepreneurs at a very cheap rate in 2008. Then there were a number of scams – the Satyam scam; the Commonwealth scam etc. The total amount involved in the scam in the Commonwealth Games is estimated to be Rs. 70,000 crore. In the Coal scam the amount involved was to the tune of Rs. 1.8 lakh crore. The C&AG presented the Report and stated that there were irregularities involved in the auction of 194 coal blocks. The Government decided not to auction the coal

blocks between 2004 and 2011 but coal blocks were then sold to different parties and private companies and this decision led to huge loss in terms of revenue. This is what the C&AG has stated. I am quoting the report of the C&AG. Today, after Shri Narendra Modi took over as the Prime Minister 32 coal blocks have been auctioned and the Government has collected a sum of Rs. 2.04 lakh crore and in comparison, when the coal blocks were auctioned during the previous regime, by auctioning all 194 coal blocks only a sum of Rs. 200 crore was collected. One can now imagine the kind of corruption that took place at the time.

Take the case of the Chopper scam. This scam is an example of bribery and corruption in India which involved many politicians and senior officers, like former Indian Air Force Chief and helicopter manufacturing company, namely Augusta Westland.

That Company had given a bribe to get a contract for supplying 10 helicopters worth USD 600 million. A note was presented on March, 2008 in an Italian court which indicated that the *… [*]*was involved in this. This was the statement given in the Italian court. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, he is misleading the House.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

… (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

SHRI PRALHAD JOSHI : On going through these cases, one thing is certain that anti-corruption law was weakened to hush up of all the corruption charges against the big personalities of the *…* *.... (*Interruptions*) इटली कोर्ट में जो हुआ है, मैंने वह बताया है। मैंने किसी कागज की चिट्ठी या न्यूज पेपर में जो आया है, नहीं पढ़ा है।...(व्यवधान) All these cases also stand as clear witness to the history of political corruption by which the then ruling dispensations mainly the *…** looted the nation to the tune of lakhs of crores of rupees despite the Auditor and Comptroller General of India timely reporting them. … (*Interruptions*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष जी, यहां अमेंडमेंट बिल चल रहा है, मैंने समझा कि अमेंडमेंट में कुछ सुधार होगा, गवर्नमेंट का लाभ होगा, प्रजा का लाभ होगा, लेकिन ये लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। इसमें क्या प्रिवेंशन होगा? यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद जोशी : जितेन्द्र रेड्डी जी, आप जो कह रहे हैं, ठीक है। अधीर रंजन जी और खड़गे जी जो बता रहे हैं, मैं उसके बारे में कह रहा हूं।

Sir, totally, there are 19 clauses which are to be amended in this Bill now. I have got all the details with me now and I have highlighted them. I wanted to speak about them. But since he has started the discussion about integrity and intention of the Modi Government, I wanted to tell the House as to what you did and thus, I have raised that issue. This is my first point.

Secondly, if leadership under a leader like Shri Modi would have been established earlier, probably these scams would not have taken place and India would have been number one in the entire world as far as economy is

---

* Not recorded

concerned. I think more than Rs. 10 lakh crores or Rs. 15 lakh crores have been swallowed in corruption. … (*Interruptions*) Today, it is certainly not the time of Chanakya when it was not possible to find as to which fish drank how much water. But with the growth of technology, we can find out as to which fish drank how much water.

Another major step taken to save the wealth of the nation is strict implementation of DBT. I have already referred about it.

Sir, they are talking about Lokpal. I would like to ask Shri Kharge and Shri Dhruvanarayana also as to what you did to Lokayukta, a model Act, in Karnataka. The ACB was formed and that ACB reports to the Chief Minister. More than 350 complaints were given against the then *…** to the ACB and all were dismissed because the Chief of ACB works under the *…** . All complaints were dismissed without inquiry.

Sir, delay in justice delivery system also contributed to this situation. That is why, there is a provision in this Bill that investigation should be completed within a certain time. Four extensions with a maximum period of six months means that there is a provision that within four years, the entire case should be completed. With this intention, this law has been brought here.

The action of the Government speaks and there is no single allegation against this Government in the last four years. You are an Opposition and you

* Not recorded

are not able to make even a single allegation with proper records about this Government. This is the clean record of this Government.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): What about Adani and Ambani?

SHRI PRALHAD JOSHI : Adani and Ambani have not born now. They were born more than fifty, sixty, seventy, eighty years back. They have not born today. Mr. Dhruvanarayana, please understand. At the end, सर, क्या-क्या हो गया, आपको मालूम है। मैंने जब नाम लिया, मैंने सिर्फ कांग्रेस प्रेजीडेंट बोला तो उनको बहुत दुख हुआ और ये लोग जियो वगैरह बोलते हैं, उसमें सरकार का क्या रोल है? Let them tell. Jio is doing his own business. How the then Petroleum Minister had dealt with Ambani, everybody knows that. We need not tell about that. It has come in the report that how the then UPA's Petroleum Minister dealt with Ambani. Everybody knows that and I do not want to elaborate. In 3rd Century, Chanakya speaks in volumes about the corruption in Arthashastra. He says the root causes of the corruption in one of his verses. He says that "Lack of knowledge and skills, laziness, gluttony, over-indulgence, lustiness, anger, fear, greed, misuse of knowledge and power and the designation are the sources of the corruption in public servants." If at all, somebody has misused the knowledge and the power, the name of that party is Congress Party. That is why, when UPA Government was there, when people used to go to Indian Embassy for Visa to go to a foreign country, they used to say that, हमको वीसा लेने के लिए

इंडियन एम्बेसी में...* . They have brought that situation. But, today there is not a single allegation against corruption...*(interruptions)*

HON. DEPUTY SPEAKER: Those kinds of words regarding our Embassy are not necessary to go on record. They should be expunged.

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, that is why, at the end, I would like to say that Chanakya said:

"प्रजा सुखे सुखं राज्ञ:, प्रजानां तु हिते हितम्।,
नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्।। "

It means that "People's happiness should be the King's happiness. Welfare of the people should be welfare of the King. For King, there is no task which is only individualistic and pleasurable to him only. It is the King's utmost duty to look after the progress and welfare of the people and the country. This is how Shri Narendra Modi's led Government is doing.

Sir, with these words, I once again congratulate our learned Minister, Dr. Jitendra Singh. Being a knowledgeable person, he is also very-very polite. We are fortunate to have such a polite and knowledgeable Minster and he will reply. Mr. Adhir Ranjan Chowdhury has gone out. सेक्शन टू सेक्शन रिप्लाई आपको मिलेगी, शान्ति से वेट कीजिए। With these words, I strongly defend this Bill and I expect others to support this Bill. Thank you very much, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri S. Selvakumarachinnayan.

---

* Not recorded

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): Sir, I thank you for allowing me to speak on this Bill before the august House.

Sir, the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 makes specific provisions related to giving a bribe to a public servant and giving a bribe by a commercial organisation. The Bill redefines criminal misconduct to only cover misappropriation of property and possession of disproportionate assets.

Sir, the Bill modifies the definitions and penalties for offences related to taking a bribe, being a habitual offender and abetting an offence. Powers and procedures for the attachment and forfeiture of property of public servants accused of corruption have been introduced in the Bill.

Sir, the Bill makes giving bribe a specific offence. The Bill has deleted the provision that protects a bribe giver from prosecution for any statement made by him during corruption trial.

Corruption is the oldest, yet the deadliest problem. It must be completely eradicated. It is a violation of fundamental rights of our citizens. Now, it has been mentioned specifically that the person who gives bribe is liable to be punished. If the person is compelled to give bribe and if that person is reporting the matter within seven days, then he will not be prosecuted.

Then, another provision made in this Bill is about the offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation. Now, if any commercial organisation involves itself in bribing the officials to carry out its business, then that commercial organisation is liable to be punished and the persons or the

officials of the company, who are in charge of the day-to-day affairs of the company or the entity, are liable to be punished.

Sir, in this Bill, some protection has been given to public servants, who are involved in the decision-making process and also to those who are involved in making the recommendation. Now, the public servants, who have taken the decision or those who have given the recommendation cannot be directly booked under this proposed amendment, because a prior sanction has to be obtained from the appropriate and competent authority before initiating inquiry, investigation or anything else. So, a person, who is involved in the process of taking the decision or making the recommendation, cannot be prosecuted immediately and a prior sanction is required. But, if the very same person is found to be accepting the bribe, then he can immediately be arrested and a prior sanction is not necessary. But we have to see as to how these provisions are going to be implemented or how these provisions will work when they are actually implemented.

Sir, I would like to mention here that the Government of Tamil Nadu is committed to this cause and the Tamil Nadu Assembly has passed the Bill for setting up the institution of *Lok Ayukta* to probe allegations of corruption against public servants. Thank you.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for allowing me to speak on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018. I would also like to thank the leader of my party, Kumari Mamata Banerjee for allowing me to speak on this Bill.

Sir, this Bill is a welcome measure. In our country, we know that every law, whether it is used properly or misused, is made for efficient and effective use for the citizens. However, when a law is drafted to ensure not to misuse the provision of it, it must be made very clear that anybody who misuses it must be prosecuted. But it should be very stringently defined in the law. Unfortunately, it has not been done here. So, I would like to suggest that if collusive bribe giving is proved beyond doubt, the person giving the bribe must be punished. But what about the millions of poor and marginalised people in our country who, as we all know, are forced to pay bribe? This is one of the biggest issues when it comes to Anti-Corruption Movement.

Sir, the Bill has many clauses under which accepting gratification or bribe will lead to imprisonment which shall be three years, but may extend to seven years or shall be liable to be fined. The Committee gave a recommendation that the minimum punishment for habitual offenders under the Prevention of Corruption Act, 1988, should be five years of imprisonment under the Lok Pal and Lok Ayukta Act, 2013 and three years of imprisonment under this Bill. But the maximum punishment in both legislations is 10 years of imprisonment. While enhancing the punishment for habitual offenders under the Bill, the Ministry of Personnel enhances the minimum punishment from two

years to three years of imprisonment, which may result in inconsistency with the Lok Pal and Lok Ayukta Act, 2013. If a common man goes and approaches a Municipal Corporation or the Housing Board or the Licence Department for registration of land or any immovable property, it becomes extremely difficult for him or her to get the work done unless and until he or she greases the palm of the lowest employee to the highest employee.

This causes a great deal of inconvenience in general public. This Bill is mandatory for the competent authority to decide on granting prosecution sanction within three months of the complaint and one month is extended after consulting the Attorney General or Advocate General. It is not clear in the Bill, what would be the consequence if expiry of time happens.

Sir, the amendments introduced to bring the Act in line with the UN Convention against corruption, however, do not include certain provisions of the Convention.

सर, भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हमारे देश की ग्रोथ रुक रही है। यह हमारे देश को दीमक की तरह गरीब और लाचार कर रहा है। हमारे देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 में सरकार बनी थी तो यह वायदा करके आये थे कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज भी भारत के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सरकारी एजेंसी को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि जो राजनीतिक विपक्ष है, उसके लिए है या जो बैंक के लाखों-करोड़ों रुपये लेकर विदेश भाग रहे हैं, उनके लिए है, यह सदन को अवगत कराएं। आज हमारे देश की इतनी बुरी हालत है कि लोग बैंक में पैसे जमा करने से डर रहे हैं। बैंक में फ्रॉड किए जा रहे हैं। जो हजारों-लाखों रुपये विदेश ले कर भागे जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक साधारण किसान से पूछिए, एक साधारण विद्यार्थी से पूछिए कि जब वे किसान लोन या एजुकेशन लोन के लिए बैंक जाते हैं तो

उनसे किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है। मंत्री जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी।

हम लोगों ने यह बार-बार देखा है कि जांच एजेंसीज के चीफ कौन बनेंगे, आज कल यह कोर्ट तय कर रहे हैं। जांच एजेंसीज को अपना कार्य करने के लिए फ्रीडम नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी करप्शन के अगेन्स्ट में हैं। वह हमेशा हर चीज में एक्शन लेती हैं। आज ममता बनर्जी जी के सैनिकों को कभी 'शारदा' में फंसाया जाता है, जो कभी सीपीएम के समय में किया गया था। वर्ष 2014 में जो 'नारदा स्कीम' फुटेज किया गया, वह सोलह साल बाद हमारे राज्य के चुनाव के समय इस फुटेज को दिखाया गया। इसका मतलब क्या है। आप करप्शन करना चाहते हैं या करप्शन के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, यह सदन को बताना बहुत जरूरी है। आज पूरा देश जान रहा है कि 10 साल से यूपीए गवर्नमेंट और चार सालों से एनडीए गवर्नमेंट करप्शन को रोकने में विफल रही हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ममता बनर्जी जो सात सालों से ज्यादा समय से सरकार चला रही हैं और वह सभी को साथ लेकर चल रही हैं, वह बंगाल के लिए एक मसीहा हैं। बंगाल के गरीबों के लिए, बंगाल के किसानों के लिए, बंगाल की पिछड़ी जातियों के लिए एक मसीहा हैं। …(व्यवधान) आज हम यह गर्व के साथ कहते हैं कि ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे यूथ आइकन अभिषेक बन्दोपाध्याय जिंदाबाद। आने वाले दिनों इस सदन में सभी को कहना पड़ेगा कि बंगाल का ही नहीं बल्कि वह भारत का मसीहा बनने जा रही हैं। …(व्यवधान) आपको इस चीज को एडमिट करना पड़ेगा।

Through this Bill, I would also request the hon. Minister to expedite the speedy disposal of cases that may come to various courts. The issues that required consideration ought to modify 1988 Act to provide that prior sanction will have to be obtained for the investigation of public servants. Such provision will delay the process for enquiring into the corrupt practice of public servants.

सर, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि करप्शन एक बीमारी है और हजारों-लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि मंत्री जी बतायेंगे कि आप बीमारी को खत्म करना चाहेंगे या बीमार लोगों को खत्म करना चाहेंगे। बीमार लोगों को खत्म करेंगे तो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी।

Before concluding, I am apprehensive of the fact that this law which the House is going to pass should not be misused and should not be a cause of political vendetta.

Rather, this Bill should try to eradicate corruption and try to prevent corruption wherever it exists.

With these words, on behalf of my Trinamul Congress Party, I thank my party leader, and I support the Bill with few reservations.

Thank you.

[*]SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Respected Sir, I would speak in Odia. My Pranam, Namaskar & Juhar to you. I am grateful to you for giving me this opportunity. We are discussing the Anti-Corruption (amendment) Bill, 2018, which makes everyone feel that if they support the Bill corruption will just disappear not so fast. In India corruption is too deep-rooted – it has entered the veins and arteries of our system.

Since Government has brought this bill, the general impression is that this Government is honest. Sir you have spent a lot of time in this House to know otherwise. We have seen both of them – the present as well as the past incumbents and how they operated.

This bill has put us in a quandary. If we do not support it, the impression will be we are opposing an honest Government that is trying to end corruption. This so-called bill on corruption has been drafted with deftness and rather shrewdly. But there are many aspects which are not so clear.

Sir, we have achieved independence since the last 71 years. But the people in the rural areas are yet to taste true independence. Be it the Congress or the BJP or any other political party none has been able to wipe away the miseries of the people or their grievances. People of the rural areas still remain deprived from the fruits of freedom.

I want to ask what is corruption? It is a social evil that has spread its tentacles far & wide. It has become so deep-rooted that a citizen confronts

[*] English translation of the speech originally delivered in Oriya.

corruption is every walk of life. Maybe we the privileged class sitting here in Parliament are not facing corruption on a regular basis & hence fail to perceive how serious the problem is.

Corruption involves not only money or currency notes. After demonetization we have seen how colourful our currencies have become. Some of my friends in this House are also sporting jackets like them. Corruption is no longer confined to paying bribe by some bucks, it has expanded far beyond. I'll explain how.

Sir, there is a particular company which has operations all over India, started its ventures in my state Odisha. It transported Iron-ore from my state & subsequently because very successful. It has a fine-reputation too. It never indulges in corruption or panders to the whims of MPs, MLAs or political bigwigs. It has a different modus operandi. It cultivates relations with top bureaucrats like the secretaries of departments of the Government who are the principal decision-makers. And suddenly we will see the son of a top bureaucrat getting enrolled in the London School of Economies despite his dismal academic back-ground. It asked he will give the credit to his father. Obviously, the concerned bureaucrat has resorted to some unfair means for getting his son admitted abroad. There are many such cases of admission at prestigious universities, where the children of powerful people are concerned. Sir is this not corruption?

Let's talk about our armed forces. Our soldiers sacrifice their lives at the borders by facing the enemy bullets. In this House we listen to the same old

rhetoric – as they say in Hindi "Munh tod jawab denge". We wait for that befitting reply which never comes. Is this not betraying the trust of the people?

Let's talk about judiciary. Sometimes we see in the highest court of a law a particular judge delivers a verdict regarding a particularly sensitive issue favouring the ruling dispensation. Later on, we see the same judge in his post-retirement life gets appointment is a plum post with high perks. This too is corruption. But we do not seem to notice that. What we do notice, is that a poor constable demanding a meager hundred rupees from a person who has parked in the no-parking zone. The constable or a Havildar feels he is taking only peanuts while the high-level officials are indulging in high-level corruption involving crores of rupees.

Our system whether CBI at the centre on Vigilance at the states rarely catches any bigwigs like IAS IPS or such high officials. They only keep a vigil on the small fry at the lowest rung. We must curb this menace. I would narrate an incident from history here.

After the 2nd World War, the city of London was devastated after German bombing. There was no pubic place left for vehicle parking. So, the people of London parked their vehicles in the houses of some residents having a boundary wall, by paying an amount. The Government came to knew of it & legalized the process by levying a small tax on that income. In this way corruption was controlled & the parking arrangement garnered revenue.

In India too, we can do the same. I am not speaking against anyone. You people change sides & do role-reversal. You had Bofors & they have

Rafael. There will be many such things which future will unravel. But my request to you all is please think about the nation first.

Sir, I have three points to make the first one – Section 7, explanation (i) – For the purpose of this Section, the obtaining, accepting, or the attempting to obtain an undue advantage shall itself constitutes an offence, even if the performance of a public duty by a public servant, is not or has not been improper.

Sir, it means that proceedings can be initiated against somebody even if he has not done something wrong but on mere suspicious. Why this rider was inserted? Because the Government wants to suppress a handful of honest officers who have a different narrative.

Second point is 7(a) which deals with the whistleblower. The provision says that who has paid bribe is liable to punishment if he does not disclose it before the authorities within 7 days. He gets only 7 days to deposit the money to prove his innocence. Firstly, he is the victim who because some compulsion paid the bribe & his work may or may not have been done. He might have paid it far his son's admission, for a hospital bed or for a land deal to be finalized. Will he dare to go to the authorities & confess that 'Yes, I have bribed.' This means a big blow to the Whistle-blower. Nobody will ever try to expose corruption as it will lead to his / her own imprisonment. You cannot be a whistle blower, you cannot speak up against corruption, is the sole aim of this Bill.

Sir now I'll come to the 3rd & the last. This bill is designed to favour the businessman. It is not meant for commoners like you & me. The clandestine true character of the bill can be guessed from the following line – it is applicable to business which includes a trade, business or providing service. Nowhere the manufacturing aspect is mentioned. Sir please understand this. If manufacturing is excluded some of the big business houses will also be excluded from the net of corruption.

Sir nobody pays a bribe out of happiness it is always paid under duress or some kind of compulsion. If a farmer sells his land to pay bribe for a job of his son, you can imagine his mental condition – his anguish and frustration. In this case the farmer can be jailed for paying bribe but in the case of a business enterprise nobody will be arrested. They will be only fined. This shows the ultimate hidden character of the bill – to help the business enterprise. Sir you can understand our point of view, because you are on the same page. We belong neither here nor there. In Odia there is a saying about people who are struck in the middle. The agenda of both the big political parties are the same. Situation can only change when the people in the middle like the TRS, BJD or AIADMK under your leadership will come to power. We will understand the plight of the common man. Big parties help only business houses. They even suppress the small businessmen.

Sir if a company pays bribe to finalise a deal why the CEO of the company will not be arrested? In USA or UK there are many such examples where CEOs of the companies have been arrested. Why not is India? In our

country the Chief of Union Carbide was allowed to flee the country. But in America big-shots like the Chief of Face Book is also questioned in the Parliament can we ask what is happening in KG Basin? Do we have the guts? That is why sir I'd request the Hon'ble Minister who is here to take some brave steps. Sir you are a highly-educated prudent man. Forget your party, your position – they are transitory. Think about the nation – which will stay forever. You can bring in a change. Corruption at the highest level should stop. Corruption is not what a poor constable indulges in, corruption is that which changes Government's policy-decision to favour a privileged few.

Sir thank you for allowing me to speak.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Sir for giving me an opportunity to speak out of turn.

I rise to support this Bill with certain reservations. As everybody knows, corruption is the biggest menace to the democratic system. I remember the quote of Shri T.N. Seshan, the then Election Commissioner. He said that corruption begins from the date of filing nomination. So, we know about the political corruption as well as the bureaucratic corruption which is happening nowadays in our country. It is mainly because of election funding. Corruption begins from the date of filing nomination.

So, my suggestion for containing the corruption in our country at large are as follows. Electoral reforms are the need of the hour. Electoral funding by the Government and so many other recommendations are there. If the Government is very *bona fide* in containing the corruption as suggested in the 2014 Parliament elections by the BJP, then definitely, the first thing that you have to do is electoral reforms. That is the need of the hour to contain corruption.

Regarding the legislation, we have legislated the Prevention of Corruption Act in 1988. An Act has been enacted by the Parliament. Thirty years have elapsed. Let us examine a self-critical analysis regarding the impact of the Prevention of Corruption Act, 1988. Sir, I would like to know from the hon. Minister that during the last 30 years, how many public servants have been convicted? How many political leaders have been convicted? How many convictions have been made absolute by the Apex Court of our country?

We have to examine the percentage of conviction. I am not having the statistical data with me. The Minister may be having the statistical data. We have to analyse and experiment. We have to estimate the impact of that Act. The sole purpose of Prevention of Corruption Act, 1988 is to contain corruption. Whether the sole purpose of containing corruption has been complied with or has been fruitfully experienced during the last 30 years is what I would like to seek some explanation from the hon. Minister.

We are a country which is a signatory to the UN Convention against Corruption. In 2011, we also signed the UN Convention against Corruption. So, definitely, we are bound to make our position in a better way.

Another clarification which I would like to seek from the hon. Minister is this. What is the status of India in world ranking related to corruption? You see, you are always speaking of corruption-free India. Still I remember this. the NDA Government is led by the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and he is actually the product of an anti-corruption movement. The 2014 election was a fight against corruption. From 2014 to 2018, you are going to complete four-and-a-half years in office. I would like to know whether the status of India related to corruption is in a better way in comparison with the global level. I feel that still we are with Bangladesh and all these least developed countries. The corruption status has not been improved as argued by the hon. friend from the side of the BJP.

Sir, I would like to quote the hon. Prime Minister's statement made during the time of elections in 2014.

> "I believe the Government has no business to do business. The focus should be on minimum Government and maximum governance."

There is another quote made by the hon. Prime Minister during the time of elections, which I quote:

> "Based on my experience, I can say that Indian country can be freed of corruption."
>
> "2014 Lok Sabha election is a battle between good governance agenda of the NDA versus the mis-governance and corruption of the UPA."

These are the three quotes of the hon. Prime Minister made during the election campaign. So, I would like to know what improvement is there after assuming the Prime Minister's office and this Government in office. Is there any explicit and specific change in the area of arresting corruption? I am not going to the details of any allegation and counter-allegation. We have heard so many scams and allegations.

We witnessed the recent scam of Nirav Modi Punjab National Bank and so many other fraudulent bank scams where people after looting the economy of our country, after looting the banks had flown to foreign countries and they are having safest havens in foreign countries, namely in US and UK, and that has been allowed. Is it a corruption-free India? That has to be addressed. That has to be discussed also. Therefore, my suggestion is that

political will is highly required so that corruption can be arrested or corruption can be contained. Mere legislation is not sufficient. If legislation alone is sufficient, definitely, the Prevention of Corruption Act of 1988 is some way sufficient to contain corruption but the result is not as much as we had expected at the time of enacting the legislation and at the time of passing further amendments also.

Coming to the Bill, I am having only one serious objection. Their hon. Member as well as the hon. Minister were arguing that this is a stringent provision or the Prevention of Corruption Act, 1988 is proposed to be amended in a stringent way so as to contain corruption. The Rajya Sabha Select Committee's Report is with us and there is a big controversy which has come. It is because in 2013 this Bill had been introduced in Rajya Sabha and the Bill had been sent to a Select Committee by the Rajya Sabha. The Select Committee had series of sittings.

In the Select Committee, Dr. Subramanyam Swamy had given his deposition before it. He has written a letter to the hon. Prime Minister also regarding the official amendments which are to be moved in the Prevention of Corruption Act, 1988. But that has not been considered. The evidence adduced by Dr. Subramanyam Swamy has not been considered, and an official amendment has been brought in. The Prevention of Corruption Act, 1988 is drastically amended. According to me, Section 13, clause 1, sub-clause 3(d) is the heart and soul of the Bill regarding corruption allegation against public servants, especially bureaucrats. But unfortunately, after the 2G

scam, 3G scam and the Commonwealth scam, a big controversy has arisen in our country and the officials or the bureaucrats have to be protected from this. In the name of protecting the bureaucrats, for those who are doing things in good faith, a new amendment has been brought in.

Sir, A new amendment to the Prevention of Corruption Act, 1988 is proposed to be amended. The Rajya Sabha has totally deleted clause 13(1)(d)(e) and a new provision has been incorporated, which has been just read by my hon. friend on the other side. According to Section 13 sub-section (1) of the principal Act, the following shall be substituted:

1. A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct, —
    1. if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or
    2. if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.

So, as per the original provision of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 abuse of official position will come under criminal misconduct and that will be tantamount to corruption. But according to the amendment, as it is being amended by the Rajya Sabha, it is being diluted. My point is that it is being diluted. So, how can the Government claim that the Prevention of Corruption Act of 1988 is made more stringent so as to contain corruption. This has to be relooked because abuse of official position will be

tantamount to criminal misconduct and criminal misconduct is a corruption under the Prevention of Corruption Act of 1988. Through this amendment that provision is being diluted. Therefore, Sir, deletion of Section 13(1)(d) is not proper and it is not making the Act stringent.

As far as the Definition clause is concerned, I do agree with the hon. Minister because the definition of ‘Undue Advantage’ has been broadened. As per clause (d) the definition of ‘Undue Advantage’ is, any gratification whatever other than legal remuneration. Legal remuneration is also well explained in the subsequent explanation part. We know that in Lalit Modi as well as Nirav Modi cases, many persons have been involved as they are giving legal aid to these accused. Therefore, anything other than legal remuneration has to be looked into very seriously. Otherwise, accepting money or accepting bribe, as a part of one’s profession, is very easy. As far as a politician is concerned, it is very easy. If you are running an advocate office or an accountant office, accepting money or bribe in the way of professional fee will also be tantamount to corruption. So, that definition has been broadened.

Further, there is a word ‘gratification’. Sir, ‘gratification’ is not limited to pecuniary gratification or to gratification estimable in money. I fully support this provision because gratification can be made in various forms, not only in the form of money but in several other forms which we can see nowadays. So, these two definition clauses, newly incorporated in the Bill, will definitely broaden the scope and make the provisions of the Prevention of Corruption Act more stringent.

So far as clause 7 is concerned, once again I want to reiterate that clause 7, that is, Section 13 of the original Act, is diluting the Prevention of Corruption Act of 1988 just to safeguard the interests of some bureaucrats because enrichment and abuse of office is a form of corruption which will itself come under the definition, which comes under the purview of the Prevention of Corruption Act of 1988. That has to be looked into. Therefore, some other provision or some other safeguard has to be made so as to contain corruption by public officials. Otherwise, it will be very difficult for the Government to take criminal action or prosecution action against the public servants because of this new clause which is being incorporated in the Bill.

With these words, I once again support the Bill. Thank you very much.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय प्रिवेंशन-ऑफ-करप्शन का जो बिल लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं।

माननीय प्रेमचन्द्रन जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, मुझे आज वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की याद आती है। वे कहते थे कि अगर इस देश में करप्शन हटाने की बात करते हो तो वह स्कूल से लेकर चुनाव तक शुरू हो जाता है।

सर, आप भी जानते हैं कि अगर हमारे बच्चों को आज स्कूल में एडमिशन लेना है तो कोई भी दिल से कह दे कि क्या उसे मुफ्त में स्कूल में एडमिशन मिलता है?

16 00 hrs

सरकारी स्कूलों की बात छोड़कर कही जाए तो हर जगह हमें पैसा देना पड़ता है। हमारा छोटा बच्चा उसी वक्त देख लेता है कि मैंने अभी केजी में एडमिशन लिया, मेरे पिताजी तथा माँ ने पैसे दिए तब मुझे एडमिशन मिला। इस प्रकार करप्शन का संस्कार हमारे बचपन से शुरू हो जाता है और वह संस्कार हमारे जीवन में इतना भ्रष्टाचार लाया है, पूरे जीवन में लाया है। हम यहाँ बैठे हैं। मैं सभी से पूछता हूँ, सभी दिल से कहें कि हम चुनाव लड़े और इलेक्शन कमिशन ने जो खर्चे की पाबंदी लगाई है, उतने खर्चे में ही चुनाव लड़कर तथा जीतकर आएं। आप हिम्मत करके बताएं। हमारा लाई-टेस्ट ले लो, फिर पता चलेगा, सभी का लाई-टेस्ट ले लो, मैं भी खुद दे दूँगा। आज हम कहाँ है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो स्कूल में एडमिशन की बात हुई। जब हम चुनाव में जाते हैं, आज जो भी पार्टी है, कल वह थे, आज यह है, हर चुनाव में नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा खर्च होता है। महाराष्ट्र राज्य में एक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पुराने नोट मेरे पास लाओ, जब कि उस पर पाबंदी लगाई गई थी और इस डेट के बाद पुराने नोट नहीं चलेंगे।

सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। मैं नाम लेकर बताता हूँ, हमारे यहाँ अंजनगढ़ सुरजी नाम का एक गाँव है। अमरावती जिले में यह छोटा शहर है। उनके यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ। उनके अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे नोट मेरे पास लाओ। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का कितना

बिल है। वह हर किसान के घर में जाते थे और कहते थे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दो, हम इसे भर देंगे और बैंक में जो पैसे गए, वे सारे पुराने नोट गए। उनके बिल का भुगतान हो गया, पुराने नोट बैंक में गए और अब चुनाव जीतना तो आसान हो गया। एक पार्टी ने बिल भर दिया, अगर उनका नाम लें तो बुरा लगेगा, क्योंकि उस झगड़े में मुझे नहीं जाना है।

यह जो बात है, वह क्या है? इसे सभी जानते हैं। हाल ही में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, सत्ता पक्ष दिल से कहे कि अगर आप करप्शन के खिलाफ हो तो आप कैसे चुनाव लड़ते हो? मुझे आपसे एक और निवेदन करना है। हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने हाल ही में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह पार्टी के नहीं रहते हैं, वह देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो वह पार्टी का नहीं रहता है, बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। उसी के बीच में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अपनी-अपनी पार्टी के चुनाव के प्रचार के लिए जाते हैं। उनके प्रचार की जो सभाएँ होती हैं, वे सभाएँ कैसे होती है, वे रैलियाँ कैसे होती है, उन रैलियों का खर्चा कौन करता है? अगर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और वे अपनी पार्टी के चुनाव के लिए राज्य में जाकर रैली करते हैं तो उन रैलियों में जो खर्चा होता है, उसे कौन करता है? एक बार जनता को तो पता चलने दो। उसे पार्टी करती है या हमारे देश की तिज़ोरी से खर्च होता है। अगर वह देश की तिज़ोरी में से खर्चा होता है, तो आप एक पार्टी के प्रचार के लिए देश का पैसा खर्च करते हैं। पहले इन्होंने किया होगा और अब हम कर रहे हैं। जब हम सभी सांसद तथा विधायक किसी रेस्ट हाऊस में जाते हैं तो हमें रेस्ट हाऊस में जगह नहीं दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अभी चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है इसलिए रेस्ट हाऊस नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भइया हमें कपड़े बदलने हैं, लेकिन वे बोलते हैं कि अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ से निकलो। यह कौन-सा डिसक्रिमिनेशन है? क्या यह कोई जनतंत्र का चुनाव है--ग्राम पंचायत से लेकर लोक सभा और

राज्य सभा में आएगा तो पूछिए ही मत सभी…* का हाउस मतलब राज्य सभा, विधान परिषद का मतलब…* का हाउस। इस देश के जितने भी बड़े रईस लोग हैं, वे…* में होंगे या फिर…* में होगें। वह कहाँ से आते हैं? हर पार्टी अपने-अपने लिए ले लेती है, यह भी तो करप्शन है।

महोदय, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जाओ, हॉस्पिटल का ज्यादा बिल बना, इसे कम कर दो, यह भी करप्शन है। डॉक्टर अंडर टेबल पैसे माँगता है, यह भी करप्शन है। ऑपरेशन करना है, खर्चा ज्यादा है, इसे कम करो, अंडर टेबल पैसे दे दो, यह भी करप्शन है। कौन-सी ऐसी जगह है, जहाँ करप्शन नहीं हैं।

महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। यह कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। आपने नोटबंदी की, आप जो नोटबंदी लाए थे, उसकी धारणा तथा उसका ध्येय क्या था?

धारणा यह थी कि ब्लैक मनी हटेगी, कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा। आप अपने दिल से कहो कि क्या आपके ये तीनों उद्देश्य सफल हुए, क्या आतंकवाद कम हुआ? …(व्यवधान) 600 लोग कैसे मरे, जवान कैसे मरे? …(व्यवधान) थोड़ी तो शर्म करो।…(व्यवधान) इन सारी चीजों में हम फेल हुए हैं। हम फिर भी बाते करते हैं। जुमला-वुमला छोड़ो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी अपने प्रधान मंत्री पद का त्याग करके उस समय के लिए चुनाव में एक सांसद बनकर प्रचार करें, तब समझ में आएगा कि कहां से पैसा आता है। सत्ता का दुरुपयोग, इसमें लिखा है, आप पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा करिए, क्या हम पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हैं? वे प्रधान सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। सारा खर्च जो होता है, वह पैसा कहां से आता है? आपने देखा कि तमिलनाडु में क्या हुआ? वहां भी कितनी तकलीफ है। अभी एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में दूसरे चुनकर आए, कैसे आते हैं, भगवान जानते हैं, कहां से नोट लाते हैं, भगवान जानते हैं। नोटबंदी है, फिर भी नोट आते हैं, कैश हैंडलिंग चालू है। अभी हाल ही में पुराने नोट के साथ लोग पकड़े गए। यह समझ में नहीं आता कि इतनी बंदी करने के बाद अभी तक लोगों

---

* Not recorded

ने नोट कैसे रखे? 500 रुपये के नोट अभी भी करोड़ों के मिलते हैं। मैंने एक आदमी को पूछा कि कैसे मिलते हैं, ये लोग इसका क्या करते हैं? वह बोला कि नेपाल में लेकर जाते हैं। वहां वे नोट चलते हैं, फिर वहां से यहां वापस व्हाइट होकर आते हैं। यह क्या तरीका है? …(व्यवधान) कथनी और करनी में फर्क है। कथनी तो है सच्चाई की, लेकिन करनी नहीं है। करनी में तो हम खुद इतने करप्ट हैं कि पूछो मत। हर चीज में पैसा देकर ही काम होता है। इन्होंने हमारे महाराष्ट्र में एक घोषणा की थी कि वाल्या का बाल्मीकि हो जाएगा। आप जानते हैं कि रामायण में वाल्या था, जो लूटता था। बाद में वह संत बना, तो बाल्मीकि बना। जितने भी …* जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, आ जाओ हमारे पास, उसी दिन वह बाल्मीकि बन जाता है। यह सुधारने का कौन सा तरीका लाए हैं? क्या यह लोगों को सुधारने का तरीका है? एक तरफ आप कहते हैं कि उनको जेल में डालेंगे, सात वर्ष जाना पड़ेगा, तीन वर्ष जाना पड़ेगा। अगर वह तुम्हारे पास आ गया, तो शुद्ध हो गया।

एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास कितने केसेज पेंडिंग हैं और किसके हैं? राजनीतिक दलों के जो भी प्रमुख उसमें हैं, उनको कहा जाता है कि हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा ईडी का केस नहीं चलेगा। ये भी करते थे, वह आप भी कर रहे हैं। इस बात का दुर्भाग्य है। जब बिल का स्वागत करते हैं, तो मुझे लगता है कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अच्छा है, लेकिन हमारी राह क्या है? हमारी राह ठीक नहीं है, हमारी विचारधारा ठीक नहीं है, हमारा आचरण ठीक नहीं है। कैसे बोल सकता है मेरा एक नेता कि पुराने नोट लेकर आओ, मैं उसे ठीक करके देता हूं। कैसे बोल सकता है मेरा एक नेता कि तुम वाल्या हो, हमारे पास आ जाओ, बाल्मीकि बन जाएंगे? यह क्या तरीका है? बस सत्ता, सत्ता और सत्ता, इसके सिवाय कुछ नहीं। पावर से कुछ भी कर सकते हैं। साम, दाम, दण्ड, भेद, चाणक्य की सारी नीतियों का आचरण आज करते हैं।

मैं एक मांग करता हूं। आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, सेबी है, आईआरडीए है, टीआरएआई है। वे जिओ का मोबाइल लेकर प्रधान मंत्री जी की तस्वीर छापते हैं। मैंने कमेटी मीटिंग

---

* Not recorded

में यह विषय उठाया। प्राइवेट कंपनी की कैसे यह हिम्मत पड़ती है? कितना फाइन हुआ, मालूम है आपको? जिओ वाला बड़ा गरीब आदमी है, उसको आपने डेढ़ सौ रुपये फाइन किए। अंबानी को, नाम लेने में डर क्या है, जिओ कौन है, क्या पता नहीं है? प्रधान मंत्री की छवि लेकर इश्तहार करते हैं। मैंने पूछा कि उसको कितना फाइन हुआ? गरीब है बेचारा, फाइन डेढ़ सौ रुपये। क्या तरीका है अपना? टू जी, थ्री जी इन्होंने सारा घोटाला किया, लेकिन टू जी, थ्री जी की वजह से एमटीएनएल डूब गई, तो एमटीएनएल डूबने के बाद क्या आपने उनको सुधार दिया, क्या एमटीएनएल को आपने पैसे दे दिए, क्या बीएसएनएल को आपने पैसे दे दिए? …(व्यवधान) सामने वाले आकर सारा लूट रहे हैं। जो संस्था नई है, उसे एमीनेंस का नाम दे दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस। बीएसएनएल, एमटीएनएल डूब गया, किसके कारण? इनकी नीति गलत थी, मैं मानता हूं। टू जी, थ्री जी स्कैम हुआ, लेकिन आपको सुधारना है या उनको और डुबाना है। आप तो उनके गले में और पत्थर डालते हैं कि डूब जाओ, ताकि मैं जिओ को दे दूं।

कोयले के संबंध में आपने कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। कौन कोयला लाता है? आप कोयला निकालो तो सही। क्यों आप आस्ट्रेलिया से कोयला लाए? आस्ट्रेलिया कौन गया था, क्यों गया था, क्यों आस्ट्रेलिया से कोयला लाना पड़ रहा है? भ्रष्टाचार की बातें करना आसान है, लेकिन आचरण करना बहुत मुश्किल है।

सेबी, पैन कार्ड का विषय मैंने यहीं लिया था, बाद में मैंने पत्र लिखे। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई की। आज तक पैनकार्ड के गरीब लोग है, उनको आज तक पैसा नहीं मिला, सेबी काम करती है, टीआरए काम करता है, आरडीए काम करता है, नहीं करता है। पब्लिक सर्वेंट की डेफीनेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूं, वह भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, हिम्मत है तो करो। फिर पता चलेगा कि हम कहां हैं और वे कहां हैं, कौन किसके पास है। अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन हैं, माननीय मुख्य मंत्री उसके मिनिस्टर हैं, फिर पता चलेगा इसलिए मैं कहता हूं कि इसे ले लो। रेरा लेकर आया, धंधा डूब गया, अब सारे लोग परेशान हैं, वह बेचने जा रहे हैं। मैंने सुबह ही विनती की थी कि मुझे एक सवाल उठाने दी जाए, हमने झुग्गी-झोपड़ी का सवाल उठाया था। मुंबई

में पोर्टर्स हैं, मुंबई पोर्टर्स की जगह झुग्गी-झोपड़ी हैं। उन झुग्गी-झोपड़ी का कौन करेगा, वहां आप परमिशन ही नहीं देते हैं। आप झुग्गी-झोपड़ी को आवास देने वाले हैं, उनको प्रधान मंत्री आवास योजना कहां से मिलेगी। प्रधान मंत्री जी के पास फाइल पड़ी है। जब हम भ्रष्टाचार पर उंगली उठाते हैं, आचरण भी उसी दिशा में जाना चाहिए। अगर आचरण हो जाता है, मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो खुले दिल से बात कही है। मैं आपको दंडवत करता हूं। सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, अच्छे लोग हैं तभी दुनिया चल रही है। जो आपके दिल में है, उसका परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, Charity begins at home. पहले चुनाव वे शुरू कीजिए, Election is a den of corruption. Admission in school is a den of corruption. You should start the process of prevention of corruption from admission in school to election. जब तक वह सुधार नहीं होता-आप कितने भी बिल लाइए, आपका भी चुनाव में पैसा लगेगा। बोलेंगे, मरने दो, छोड़ दो, इधर दे दो, इन्हें बाद में देखेंगे, ये सारी चीजें होती रहती हैं। मैं आपसे विनती करता हूं। इस बिल का स्वागत करता हूं अगर सही में इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो कुछ नहीं होगा। फिर दोबारा वही बात होगी। कागज के फूल सुगंध नहीं देते। धन्यवाद।

16 13 hrs (Shri K.H. Muniyappa *in the Chair)*

*SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Hon'ble Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018. As mentioned by my colleague, corruption is everywhere from school admissions to elections. There is no governance without corruption. It is true. If we draft a bill with commitment and implement it sincerely without expecting political gains, only then we can get rid of corruption. Only then we can have honest Governments. If we lack sincerity, that will not benefit people. We should remember what BJP declared before elections, that they will bring black money back from foreign countries within 100 days. We waited for four years and now we are in fifth year. We don't know whether you can bring back black money or not? But I would like to inform that our white money is going out of our country.

Shouldn't this Government be honest? If our money is being stashed away in foreign countries, what is being done by this Government to control it? This Government realized the need for this bill, after rampant corruption took place and our money got stashed in foreign countries. Had this Government realized the need for this bill earlier, we could have stopped persons like Nirav Modi & Lalit Modi from looting thousands of crores of our money and from fleeing this country. This Government should answer, why this bill was not brought earlier?

---

* English translation of the speech originally delivered in Telugu

In our State opposition leader is charged with 11 corruption cases and CBI filed charge sheet against him in a 42,000 crore scam. These cases are still pending in courts. But A1 and A2 are roaming freely even after six years. Opposition leader in our state is going for 'Pada yatra' and misleading people of our state. Is it not the responsibility of Central Government to take action against them? There are allegations that they are visiting PMO for some recommendations and favours. There are discussions that both parties are united now. There are allegations of dilution of cases. In such a scenario, Government should make steps to investigate these cases at the earliest. You should reply, what actions are being taken against such serious fraudsters. Why there is delay in investigating these cases? Only drafting and amending laws, without commitment to enforce them properly, we cannot check corruption and corrupt people can escape from the clutches of law.

Recently, there were elections in Karnataka, BJP won 104 MLAs, 113 MLAs claimed majority to form Government, but Governor invited BJP to form the Government. It was clear that BJP did not have the numbers; still it was invited to form the Government. Is this not corruption? One MLA called-up MLAs of other parties and lured them with lots of money to vote for their Government. Is this not a fact? Such actions and individuals should have been condemned by the party in power… (interruption)

There is no evidence of Chandra Babu Naidu offering any money. But in Karnataka, MLAs were lured with money. With corrupt practices, Governments were being changed. But here this Government is preaching sermons. This

Government should have acted against such practices. We should work with honesty. After making the law, it should be implemented properly. Recently, when there were elections for Rajya Sabha Member in Gujarat, MLAs were transported to Karnataka and there was a raid on one Minister & hundreds of crores of rupees were seized. After seeing these raids I felt happy that this Government is acting tough on corruption. On one hand it's a happy development but on other hand it's sad truth that the raid on Minister's premises was conducted as he was allegedly helping MLAs from Gujarat. This is sad side of the story. The Government is making use of laws for their political gains. There should be honest objectives while drafting bills.

Recently, there were elections in Karnataka; there were many allegations against one individual who was accused of mining irregularities. That person was sharing dais with the big leaders of your party. Former CM, who is accused of corruption, was projected as your CM candidate again. How can you control or prevent such practices by enacting these laws?

If there is lack of honesty, Governments cannot deliver good governance. We bring so many bills; today we are bringing Anti Corruption Bill. But these laws should not be kept in cold storage. We need to bring good governance. In this same Parliament, we passed AP Re-organisation Bill, what has happened to that Bill? Is it not true that bill has been gathering dust? It we don't implement Acts properly, what is the use of bringing bills?

It could be any bill; we should implement it with honesty and good governance without any political gains. In a federal system, we should treat all

states equally by governing them impartially. Funds should be released properly to all states; only then whole country will progress. By giving funds to only BJP ruled states and stopping funds to non-BJP ruled states, your party is paving way to sit in opposition. Therefore, I request you to bring any bill with honesty and commitment. To curb corruption, we need to have effective bills. Tax evaders should lose their sleep with these laws. But don't bring bills like AP Re-organisation Act, which would be confined to papers only. I conclude by thanking you for giving this opportunity.

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बिल का नाम है – प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। क्या कभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन होने वाला है**?** यह सोचते ही मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आज यह इनहेरिटेड प्राब्लम है। हमारे जो पुराने रूलर्स थे -ब्रिटिशर्स, उनका जो घूस-पेटी का सिस्टम था, उस सिस्टम को वे जाते-जाते हमारे देश में छोड़ गए। आज यहां पर एक सिस्टम सा बन गया है, बच्चा पैदा होने से लेकर आदमी के मरने तक घूस देना ही पड़ता है। कोई प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास जाएगा, अगर उसे लाइन में जल्दी आगे बढ़ना है तो वहां पर पैसा देना पड़ता है। हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के लिए जाना है, वहां एक अच्छा रूम चाहिए और अच्छा वातावरण चाहिए तो उसके लिए भी घूस देनी पड़ती है। जल्दी ठीक होकर बाहर आने के लिए, अच्छा ट्रीटमेंट पाने के लिए उसे घूस देनी पड़ती है।

बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला देने के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन पाना है तो वहां भी घूस देनी पड़ती है। वह पढ़-लिखकर थोड़ा-बहुत ऊपर आएगा और उसे नौकरी चाहिए तो भी घूस देनी पड़ती है। जब वह मरने के बाद ग्रेवयार्ड में जाता है तो वहां भी जगह मिलनी चाहिए। अगर वह घूस देगा तो ही उसको अच्छी जगह मिलेगी। इस तरह से हर जगह के ऊपर अपने सिस्टम के अंदर …(व्यवधान) मैं अंडमान पर भी अभी आता हूं। …(व्यवधान) यहां हर आदमी एक सिस्टम के अंदर जी रहा है। हालांकि बीच में मैंने एक अधिकारी से एक ही बात पूछी थी कि आप सैलरी लेते हैं तो आप काम क्यों नहीं करते हैं? आप फाइल को जल्दी क्लिअर क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? वह कहता है कि मुझे जो पगार मिलती है, वह पगार मुझे सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे तक के लिए कुर्सी पर आकर बैठने के लिए मिलती है। अगर मुझे कुछ काम करना है, मतलब एक फाइल निकालकर यहां से वहां रखनी है या इसके ऊपर सिगनेचर करने हैं तो इसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए। इस तरह से आज घूसपेट पूरे देश के अंदर फैली हुई है।

प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यह नाम वास्तव में जिस दिन देश में आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। यह बिल थोड़ा-बहुत रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट्स में देने के लिए आया हुआ है।

I would now like to discuss about the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013. This Bill amends the Prevention of Corruption Act, 1988 and addresses two prominent issues. The two prominent issues are given here. First, it provides relief to our bankers from the lending decisions that they took, which resulted in non-performing assets (NPAs).

जो बैंकर्स लोन्स दे रहे हैं, हम बैंकर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हर आदमी ने घूस खाकर ही लोन दिया हुआ है, ऐसा मानकर हम नहीं चल सकते। इस तरीके से दिया जाता है तो हर दिन का बैंक का जो व्यवहार देश में है, वह रुक सकता है। This results to non-performing assets (NPAs). This amendment is a welcome development as it will allow bankers to discharge their duties efficiently and without any fear. In the present scenario where bankers and other public servants have been arrested and charge-sheeted, the morale of the staff has been severely affected.

यहां पर देखा जाता है कि जितने भी सीएमडीज रिटायर हुए हैं, उनमें से कुछ मर भी गये हैं। उनके ऊपर भी केसेज लगाये हुए हैं। इससे क्या असर हो रहा है कि कोई बैंक का ऑफिसर लोन छोड़िए, बैंक गारंटी तक देने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे देश का बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर रुका हुआ है। We have reached a point where bankers are afraid to sign on any file or sanction any loans hampering credit growth, which is affecting the economy. This will help improve the situation substantially. मतलब यह जो अमेंडमेंट आज लेकर आए हैं, that will just have a relaxing effect on the bankers, जिससे कि वे आराम से काम कर सकें।

Now, I would like to discuss the bigger issue. This amendment focuses on punishing the bribe-givers with a maximum punishment of up to seven years. I believe that this is slightly a problematic thing. Earlier, the bribe-giver

was protected for any statement made by him during a corruption trial. अगर वह जाकर कुछ ट्रायल के अंदर बोलेगा कि मैंने इस आदमी को पैसा दिया हुआ है, ऐसा वह कमिट करता था लेकिन आज वह आदमी कमिटमेंट देने के लिए डरने वाला है क्योंकि अगर उसका भी प्रूव हुआ तो वह भी 7 साल के लिए जेल में जाने वाला है।

Earlier, the bribe giver was protected for any statement made by him during corruption trial. With the latest Amendment, bribe givers would not want to appear as witnesses in the court. This also discourages the whistle-blowers to come forward and make it tougher to catch the bribe takers. कहीं से कोई भी आदमी लीक भी करता था, कोई भी आदमी कम्पलेन करता था, कोई भी बोलता था कि फलां आदमी को घूस दिया है तो उसको साक्षी मान कर उसको अरैस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज व्हिसल ब्लोअर भी जाकर अपना स्टेटमेंट देगा, कमिटमेंट देगा तो उसको भी अंदर डालने का एक सिस्टम है। यह कैसे आगे बढ़ेगा, हमें यह भी देखना होगा। Regarding the corporate liability clause, it says that it will be an offence on the part of the commercial organisations if a person associated with the said organisation gives bribe to a public servant intended to obtain favours for the organisation. I appreciate that the management of the organisation will also be punished for the act. However, I suggest that they receive higher quantum of punishment than the bribe giver as they are primarily responsible for the act. अगर इसमें लेने वाले, देने वाले के बीच में थोड़ा भी डिफरैंस रहेगा, लेने वाला, देने वाला और दिलाने वाले तीनों को पनिशमेंट रहेगा तो, It will be better.

Now, the differentiation between the cohesive and coercive bribe giving needs to be very clear. There is a provision in the Amendment which says that, within seven days, a bribe giver can report the matter to the competent law

authorities. हमारे देश में अभी भी बहुत अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है कि सात दिन के अंदर कहां जाएं, किससे बात करें और कहां इसके बारे में किसी को बताएं। So, I strongly recommend this time period to be longer. It should be, at least, two months. This may delay the judicial process but it will ensure that the bribe givers are not punished.

Sir, here, I would like to mention that, perhaps, we are looking at this problem differently. We are looking at a few bad apples instead of targeting the root of the tree. However strict law we make, we will never be able to punish all the bribe takers and bribe givers. इसलिए हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक कैसे जाती है। हमें यह सोचना चाहिए कि इस सिस्टम को कैसे बदलें। वह दिन कैसे आएगा जिस दिन ऑफिशियल्स बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अपना काम ईमानदारी से करें। हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि एकाउंटिबिलिटी नहीं है तभी यह समस्या शुरू होती है। हमारे कर्मचारी एकाउंटिबिलिटी में नहीं हैं, उनका रिव्यू नहीं होता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है और कोई ट्रैकिंग भी नहीं होती है। उन्हें नौकरी से निकाल कर भी नहीं भेज सकते। वे कहते हैं कि 35-40 साल तक की गारंटी है, उनके पास नौकरी है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, न ही काम करने का तरीका है। We have to change that system. The Government machinery has to be made accountable to the public. It is highly unfortunate that the Lokpal has still not been appointed by the Government. Our country needs a strong anti-corruption authority representing the public interest.

जब लोकपाल बिल पास हुआ था, उस समय उसमें सिटिज़न चार्टर को भी इनक्लूड करने की चर्चा चल रही थी। The need of the hour is a Citizens’ Charter or Citizens’ Right

to Delivery of Services Act. अगर सिटिज़न चार्टर लागू होगा, तो कर्मचारी रिस्पांसिबल होंगे। उसके कार्यालय में फाइल एक हफ्ता रहेगा या 15 दिनों तक रहेगा, यह निर्धारित होना चाहिए। यदि उस समय के अंदर वह काम नहीं करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाना चाहिए। जब उससे पेनल्टी के रूप में राशि वसूल की जाएगी, तो काम के प्रति एकाउंटैबिलिटी आ सकती है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। …(व्यवधान) तेलंगाना में कोई इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करता है, and if they do not get an answer from the Government within 15 days, it is deemed that it is already approved. 15 दिनों के बाद वह व्यक्ति अपना काम शुरू कर सकता है। इस तरह से, तेलंगाना सरकार काम कर रही है।

This is one solution to end bribe giving and taking between public and government officials and holding the government officials accountable. The Charter will guarantee time-bound delivery of citizens' services and impose penalties and take action against officers who fail to deliver the services in prescribed time.

करप्शन पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। सुबह से शाम तक आदमी इस सिस्टम में जकड़ा हुआ है, उसी में सांस ले रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पॉइंटवाइज़ बोलूँ। अभी कांग्रेस बदनाम कर रही थी बीजेपी को और बीजेपी बदनाम कर रही थी कांग्रेस को और तीन घंटे से दोनों के बीच में बैठकर मैं इसे सुन रहा था। इसलिए कम से कम मेरा थोड़ा-सा भाषण तो सुनिए। इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी वाले भी हमको सुनाकर गए। हालांकि आपको मालूम है कि उनके ऊपर भी 'वोट फॉर नोट' के लिए करप्शन के चार्जेज़ लगे थे। …(व्यवधान) 50 लाख रुपये लेते हुए कैमरे पर दिखाया गया था। It is not yet proved. ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, audio, video, everything is there. ये सारी चीजें करप्शन में ही हैं। उसके बारे में भी बात कर सकते हैं।

Sir, through this amendment we will be able to check corruption to an extent. But a Citizens' Charter is a long-term solution. It has already been implemented in some of the States. Through the Citizens' Charter we will reward better performing officials and punish the ones who do not perform. I recommend that the Ministry and the officials concerned look into this. I also request that the Central Government take up the appointment of the Lok Pal on priority basis immediately. अगर लोकपाल में यह छोटा-सा प्रिवेंशन होगा, तो at least on that particular day we can talk on prevention of corruption. I will be very happy if really prevention of corruption takes place. Thank you.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, now I want to speak on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018.

Sir, I would like to say that from the very beginning of our party CPI(M), we are against corruption. Nobody can stay in our party by doing corruption. But it is a matter of great regret that those persons who are expelled by our party on charges of corruption are welcomed by some other party. Then, how can corruption be stopped?

Sir, very recently, political funding through electoral bonds has been approved in the Lok Sabha. It is nothing but a flow of black money to political parties in a legal way. I want to ask the Minister how corruption will be stopped. Our Prime Minister has talked about zero tolerance. I am giving you one example, one reference. How will the public trust the Government? What is the zero tolerance of our Prime Minister? My third question is: in this Lok Sabha, the Narada scam was raised by our Members and instantly it was referred to the Ethics Committee. But it was not known to us that the Ethics Committee is actually a *…** *cold storage*. Three and a half years have passed and nothing has been done. Please at least call a meeting, discuss the issue and give them a clean chit. But nothing has been done despite three and a half years having passed. How will people trust us? How can you face the people? And we are talking about prevention of corruption. Why is the Government not coming with the Lokpal Bill? Most of the parties except the Government side have talked in

---

* Not recoeded

favour of the Lokpal Bill, but the Government is silent and it is not coming with the Lokpal Bill. From whom do you want to hide? Why are you not coming with that Bill? We will support it.

I will come to some sections of the Bill. In the amendment of section 4, at page no. 2, you have mentioned the time frame of trial. You have decreased the time from eight years to four years, that is two years, and beyond that, two years' extension. But a time of two years is too much. My suggestion is: please decrease the time to one year with extension of one more year, six months at a time. Then we can do something within the time limit.

On some other points of the Bill, I can say that we are doing something for prevention of corruption. But a huge number of cases are pending in our courts. There are not sufficient number of judges and courts in our country. How will people get justice? How will we give them justice? You can make a good Bill, but there is no chance of getting justice immediately in our country.

In section 8, at page 3, bribe-takers and bribe-givers are equalised in punishable offence. There are two types of bribe-givers. First ones are those who give bribe to capture some undue advantage by jumping the queue; second ones are those who are victims of a situation. They are compelled to pay bribe to get their legal entitlement. They are not equal. Yes, there are a few words for safeguarding them. But it will not be sufficient. It will discourage the victims from lodging any complaint. I request the Government to come with a bill on redressal of grievances immediately so that you can give them some relief.

If we look into the amendment to section 13, actually this section has now been diluted. I would not name the Member of Parliament from BJP but he opposed the amendment to this Bill, especially the amendment to section (13)(1)(d) which is finally deleted and substituted. Also, sections 7, 8, 9 and 10 of this Act are deleted and substituted with some new chapters. Deletion of these sections will make it difficult to prosecute the middlemen.

Coming to the amendment to section 10, if the Bill is passed with this amendment, it will dilute the corporate liability for corruption. Corporates are associated with so much corruption but it will be diluted and there will be no possibility of any punishment to them.

Finally, I want to speak a few words about the zero tolerance of our Prime Minister. The hon. Minister Shri Jitendra Singh also talked about the zero tolerance against corruption. May I give some instances? कुछ टाइम पहले तृणमूल कांग्रेस की श्रीमती अपरूपा पोद्दार यहां बोलने के लिए खड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा कि शारदा स्कैम वाम फ्रंट के ज़माने से शुरू हुआ था, अब उन लोगों को फंसाया जा रहा है। अगर ये वाम फ्रंट के ज़माने में शुरू हुआ था, तो इसमें वाम फ्रंट को फंसना था? इसमें किसी लीडर को तो फंसना था? लेकिन इसमें तो कोई नहीं फंसा? इसमें तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे लीडर्स क्यों फंस गए?

इतने सारे लोग फंस गए और क्या हुआ, आपने दीदी भाई, मोदी भाई बनाकर क्या किया, सीबीआई को प्रधान मंत्री जी *…(Interruptions)…*[*] कर रहे हैं और शारदा केस को डाइल्यूट कर दिया। अभी शारदा केस के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी जो करप्शन

---

[*] Not recorded

चल रहा है, वह स्माल नहीं, मीडियम नहीं बल्कि एक बिग साइज इंडस्ट्री बन गया है। You can demand registration from them. It is such a big size industry that you can ask them to register their company of corruption in West Bengal.

We are against corruption. If the Government wants to do something against corruption please use CBI to stop corruption, not to defend someone else. Do something for stopping corruption. They can do everything. They have a number of persons but they are not doing anything. The Prime Minister is controlling *…(Interruptions)…*[*] CBI. Please do something to stop this.

With this, I conclude now.

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Sir, I want to say something. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : No, no, not now.

… (*Interruptions*)

SHRI IDRIS ALI : There are allegations against our party and our Chief Minister.

HON. CHAIRPERSON: We have deleted that.

… (*Interruptions*)

[*] Not recorded

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you for giving me an opportunity to present my views on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013. This is a very significant Bill that seeks to address corruption in public offices.

Corruption is an issue that adversely affects not only India's Central, State and local government agencies but also a major social evil which is adversely affecting the lives of millions of people in the country. A study conducted by Transparency International in 2005 recorded that more than 92 per cent of Indians had at some point or the other paid a bribe to a public official to get a job done and ranks India 81 among 180 countries. In a study conducted in 2008, Transparency International reported that about 50 per cent of Indians had first-hand experience of paying bribes or using contacts to get services performed by public functionaries.

Today, two-thirds of our population is below the poverty line. As my learned colleagues have said, I always feel corruption is not just from education till end of politics but I feel corruption starts right from birth and affects till death. We have been experiencing a lot of hurdles in day-to-day activities. The causes of corruption in India include excessive regulations, complicated licensing systems, numerous government departments with opaque bureaucracy and discretionary powers, monopoly of government-controlled institutions on certain goods and services delivery, and lack of transparent laws and processes. There are significant variations in the level of

corruption. Red-tapism and a lack of transparency in procedures is also a major factor that contributes to huge corruptive practices in the country.

Let me come to my State of Andhra Pradesh, which is newly formed as per the Andhra Pradesh Reorganisation Act. We are facing many challenges in the State. I think it is unfortunate that among various surveys Andhra Pradesh ranks first in one survey and second in another in terms of corruption. In a recent survey conducted by CMS, the India Corruption Study 2018, it has been ranked fourth in the country. The corruption is at micro level, affecting the lives of the people. All my colleagues have spoken about corruption at the macro level; I would like to talk about it at the micro level. I have personally been a victim of corruption where officers demanded huge money from me to clear my caste candidature. My family is still undergoing this problem. The MDO of that particular area demanded huge money to conduct even a *gram sabha* which he is mandated to do as per the provisions of Act 16 of 1993.

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, this is a very serious issue. … (*Interruptions*)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : When I reported it to the Collector, the Collector did not take any action. … (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, we would like to know what action has been taken. … (*Interruptions*)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : The Collector had come to the ground to do the inquiry. This is a very unfortunate incident. … (*Interruptions*)

I would like to state that the common man would not want to offer bribe to the officers. They have to shell out their money. They are being affected. In

my constituency, a lot of tribals are affected by corruption. The education is being affected. Tribal children are not getting certificates. It is a very serious issue which is affecting the lives of the people.

Section 8 of the new Act says: “Any person who gives or promises to give an undue advantage”. Sir, I would like to ask the Minister as to who would actually be happy to give bribe. They are suffering a lot due to this corruption. So, I would request the Minister to look into this provision. Will the Act guarantee that the job of the person, who reports such act, will be performed without prejudice?

I would also like the Government to bring in the Service Guarantee Act because all the officers are not acting as accountable and there is no transparency. Citizens of this country should be given the Service Guarantee Act.

Clause 17 A says: “Enquiry or investigation of offences relating to recommendations made or decision taken”. The officer should not take refuge in the name of this provision. They should be made accountable for the services.

I would like to close by quoting UN Secretary-General Ban Ki-moon and I quote:

"Corruption strangles people, communities and nations. It weakens education and health, undermines electoral processes and reinforces injustices by perverting criminal justice systems and the rule of law. By diverting domestic and foreign funds, corruption wrecks economic and social development and increases poverty. It harms everyone, but the poor and vulnerable suffer most."

Let us all join hands. With this, I support the Bill. Thank you.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मनी विल मस्ट, मनी विल फर्स्ट एण्ड मनी विल जस्ट। इस देश के लिए भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार आतंकवादियों और उग्रवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। …* एक भ्रष्टाचार 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, जबकि एक आतंकवादी एक,चार-दस या सौ लोगों को मारता है। इसलिए भ्रष्टाचारियों को सबसे पहले शूट एट साइट करना चाहिए, जैसे आतंकवादियों और उग्रवादियों को किया जाता है।

दूसरा, सिस्टम को चलाता कौन है? पॉलिटिशियन चलाता है। यदि पॉलिटिशियन सिस्टम को सुधार नहीं सकता है तो यह कायर-कमज़ोर पॉलिटीशियन चुनाव लड़ता क्यों है? यह कुव्वत क्यों नहीं है? यह जो आप यहां पर रोते रहते हैं, सिस्टम नहीं रोता है, सिस्टम नहीं करता है, तो यह बहादुर मत बनिए। एक-दूसरे को गाली देने के लिए जात-धर्म-मज़हब पर मत बोलिए। यदि हिम्मत नहीं है तो हम लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक पदाधिकारी की औकात क्या होती है कि सिस्टम हमें चलाता है? जितेन्द्र बाबू, पॉलिटिकल सिस्टम और चुनावी रिफॉर्म की बात कीजिए। बिना चुनावी रिफॉर्म के यदि 15 हज़ार करोड़ रुपये एक चुनाव में खर्च होंगे, तो कैसे होगा? दो साल में आप अविश्वास प्रस्ताव मंगवाएंगे, ब्लॉक प्रमुख का दस लाख रुपये पंचायत समिति लेगी और जिला परिषद् में बीस लाख रुपये लेगा, करप्शन का रास्ता तो हम तय करते हैं। मेरे यहां महानगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव आया, एक वॉर्ड काउंसलर पचास लाख रुपये मांग रहा है। एमपीलैड्स जो मैं चलाता हूँ, बगैर पैसे लिए दस्तख्त नहीं करता है, कलैक्टर के यहां किरानी। यदि कह दे कोई एम.पी. नहीं लेता हो तो? …(व्यवधान) सर, आपके यहां सरकार होगी, मान्यवर ठीक है। …(व्यवधान) मैं बता दूं कि मेरे यहां लेता है। …(व्यवधान) छोड़ दीजिए यह सब, छोड़ दीजिए। क्या यह सब सही नहीं है? …(व्यवधान) सर, मैंने बोल दिया। …(व्यवधान) एकदम सीधा बोल दिया। …(व्यवधान) किसान नेता जी, सुनिए। …(व्यवधान) आप इसे देख लीजिए।…(व्यवधान)

---

* Not recorded

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

श्री राजेश रंजन : योगी साहब ने जो कहा है, मैं उसे दिखा रहा हूँ। …(व्यवधान)

DR. A. SAMPATH : Sir, I am raising a Point of Order under Rule 352 for your information. In the Rule Book, it is enacted at pages 133 and 134. So, if what the hon. Member says in this august House is as per the rules, I will oblige your ruling. If the hon. Member is not sticking to the rules and is not obeying the rules and if his statement and his speech is not as per the rules, the Chair may be obliged to delete that word from the records. Hon. Chairperson, you may intervene. … (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : मैंने आपकी बात नहीं कही है। मैं पदाधिकारी की बात कह रहा हूँ। मैंने एम.पी. के लिए नहीं कहा है।…(व्यवधान) मैंने कहा है कि सांसद निधि में हम लोगों का काम कलैक्ट्रेट में तब तक नहीं होता है, जब तक वह हम लोगों का पी.सी. नहीं ले लेता है। मैंने यह बोला है। आप इस बात को नहीं समझे हैं।…(व्यवधान) मैंने एम.पी. के लिए कुछ नहीं बोला है।…(व्यवधान) आप यह गलतफहमी मत कीजिए। …(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि बाबा, मठ, पदाधिकारी और नेताओं की एक बार ई.डी. से जाँच हो जाये।…(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हाँ, जाँच होनी चाहिए।…(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।…(व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि एक बार इन सभी लोगों की ई.डी. से जाँच हो जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ और यह जाँच पप्पू यादव से शुरू हो।…(व्यवधान) हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पार्टी फंडिंग ली जाती है। कोई भी पार्टी इस बारे में बताता क्यों नहीं है कि हम इस फंड को कहाँ से लाये हैं, किसने हमने यह फंड दिया है।…(व्यवधान) यह मेरी अपनी बात है। पार्टी फंडिंग के बारे में मेरा आग्रह है कि इसे ओपन किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: You have to give suggestions only. Do not talk about any party.

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं पार्टी फंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। पार्टी फंडिंग को ओपन क्यों नहीं किया जाता है? उसी पार्टी फंडिंग से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है और इससे हमारा जनतंत्र खत्म होता है। मैं एक-दो प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सोशल मीडिया को आप देख लीजिए। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मार्केटिंग करने पर कितने पैसे खर्च होते हैं? चुनावी प्रक्रिया चैनल के द्वारा चालू होती है। मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कानून लायें, हम कानून का स्वागत करते हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। मैंने एम.पी. पर कोई सवाल नहीं किया था। हम क्षमा चाहेंगे। शायद कुछ इंटरप्रिटेशन में कुछ गलत आ गया होगा।

HON. CHAIRPERSON: Rajesh Ji, please conclude. Now, you will get only one minute to speak.

श्री राजेश रंजन : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस बिल में जो जाँच आप सीबीआई को देना चाह रहे हैं, यदि आपका लोकपाल बिल आ जाये तो सीबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो भ्रष्टाचारी हैं, आप उनकी सरकारी सुविधा खत्म क्यों नहीं करते हैं? उन्हें रिटायरमेंट के बाद पद क्यों मिलता है, जैसे अभी …* को पद मिल गया। एस.सी.-एस.टी. के बड़े एक्ट पर विरोध के बावजूद …* को सम्मान मिल गया। कई ऐसे पदाधिकारी राज्यपाल बन जाते हैं। आप इस चीज को रोकिए। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, चाहे वे पदाधिकारी हों या नेता हों, उनको किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से रोका जाना चाहिए।

---

* Not recorded

17 00 hrs

सर, मेरा पॉइंट गवाहों को सुरक्षा देना, भ्रष्टाचारियों के केस तीन महीने से ज्यादा समय के लिए न बढ़े, गवाहों को आर्थिक पैकेज देना इत्यादि है।

सर, खेल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बैंकिंग सिस्टम में रोजमर्रा के जो रूटीन काम हैं, उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

सर, फूड बिल के बारे में क्या हुआ? वह गांवों में 365 दिन नहीं मिलता है। इसलिए आप जो कानून बनाएं, उसे इम्प्लीमेंट भी करें।

इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सभापति महोदय, भारत की आज़ादी के 72 सालों के बाद आज हम यहां लोक सभा में प्रिवेंशन-ऑफ-करप्शन-बिल के समर्थन में चर्चा कर रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing would go on record.

…(Interruptions)… *

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मैं प्रिवेंशन-ऑफ-करप्शन-बिल के समर्थन में यहां पर खड़ा हूं। दिनांक 19 अगस्त, 2013 को राज्य सभा में अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था।…(व्यवधान) उसके बाद कमेटी और सारे अमेंडमेंट्स का सफर तय करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2018 को यह बिल राज्य सभा में पास हुआ और आज लोक सभा में यह चर्चा होने और पास होने के लिए आया है। मैं इसमें समर्थन में खड़ा हूं।

इस देश में जब भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसके ऊपर माँ-बाप का नाम पूछा जाता है। अगर कोई पूछे कि करप्शन की माँ कौन है, तो उसकी माँ है – …* …(व्यवधान) अगर कोई पूछे कि …* का बाप कौन है तो उसका बाप है, जो अंग्रेज यहां से गए, जो ब्रिटिशर्स यहां से गए। वे ईस्ट इंडिया कम्पनी लेकर आए थे।…*, माँ ने और अंग्रेज, जो करप्शन के बाप थे, दोनों ने मिल-जुल कर करप्शन को पैदा किया।…(व्यवधान) इस देश में करप्शन का नाम आज से 400-500 साल पहले किसी ने नहीं सुना था। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है, गर्व होता है कि पिछले चार सालों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश की डिक्शनरी में से 'करप्शन' शब्द हट गया है।

HON. CHAIRPERSON: You go through the proceedings and if it is not permitted, you delete it.

---

* Not recorded

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : स्कूलों में ए-टू-जेड पढ़ाया जाता है। के.जी. के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को ए-फॉर-एपल, बी-फॉर-बैट, सी-फॉर-कैट, डी-फॉर-डॉग पढ़ाया जाता है। मैंने भी स्कूल में यही पढ़ा था। मगर, काँग्रेस के 60 सालों के राज के बाद आज ए-टू-जेड की परिभाषा बदल गई है। आज ए-फॉर-आदर्श स्कैम हो गया है, ए-फॉर-ऑगस्ता स्कैम हो गया है। बी-फॉर-बोफोर्स स्कैम हो गया, सी-फॉर-सी.डब्ल्यू.जी. स्कैम हो गया है। खेलों में 90 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ।…(व्यवधान) टॉयलेट के टिश्यू पेपर रोल 4,238 रुपये में खरीदे गए।…(व्यवधान) डी-फॉर-देवास एंट्रिक्स स्कैम, ई-फॉर-इम्प्लॉई गारंटी स्कीम स्कैम, एफ-फॉर-फॉडर स्कैम, जी-फॉर-गाजियाबाद प्रोविडेंट फण्ड स्कैम, एफ-फॉर-हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, आई-फॉर-आईपीएल स्कैम, जे-फॉर-जेबीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, के-फॉर-केतन पारिख स्टॉक मार्केट स्कैम, एल-फॉर-एलआईसी हाउसिंग स्कीम, एम-फॉर-मधु कोड़ा स्कैम, एन-फॉर-नॉन बैंकिंग फाइनैंशिएल कॉरपोरेशन स्कैम, ओ-फॉर-ओरिएंटल बैंक स्कैम, पी-फॉर-पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एडुकेशन स्कैम हो गया।

क्यू फॉर क्वैश फॉर गोल्ड स्कैम, एस फॉर सत्यम स्कैम, टी फॉर टेलीकॉम टूजी स्कैम, यू फॉर यूटीआई स्कैम, वी फॉर वोल्क्सवैगन इक्विटी स्कैम, डब्ल्यू फॉर वैस्ट बंगाल टेलीकॉम स्कैम, एक्स, वाई जेड अभी पंजाब और कर्नाटक में चल रहा है। हमें करप्शन पता नहीं था। हम लोक सभा में दो सदस्य ही थे। अगर इन लोगों ने करप्शन नहीं की होती तो आज इनकी ऐसी हालत न हुई होती। पिछले चार वर्षों से जहां भी विधान सभा चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हमारे प्रधान मंत्री जी जब वर्ष 2014 में आए, उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। एक रुपये का भी स्कैम इस देश में पिछले चाल साल में नहीं हुआ, इन्हें इस बात का दुख है। आज ये सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। वर्ष 2019 में यूनाइटेड अपोजिशन की बात करते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि इनको खाने को नहीं मिल रहा है। कैसे लूटेंगे, सभी बेरोजगार हो गए। देश में सत्तर सालों में से कांग्रेस ने 58 सालों तक राज किया। लोक सभा में भी कांग्रेस हो, विधान सभाओं में भी कांग्रेस हो, सारे ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस हो, उन्हीं के

अधिकारी हों, उन्हीं द्वारा जॉब दिए हुए अधिकारी हों, क्या इनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप लगा सकता है? क्या करप्शन केवल अधिकारी को पैसे देकर हो सकता है? कोई कंट्रैक्ट लेना है, यह करप्शन नहीं है। वर्ष 1984 के दंगों में दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम होता है और एक भी कांग्रेस के नेता को फांसी की सजा नहीं होती है, यह भी करप्शन है। क्यों नहीं हुई, सभी इनके अधिकारी थे, इनकी पुलिस थी, इन्हीं की सरकारें थीं। कोई आरोप लगाता, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, कोई इंक्वायरी भी नहीं हो रही थी। लोगों को कोई बचा भी नहीं रहा था क्योंकि…* का आदेश था। देश को चलाने वाले लोगों का आदेश था। साठ साल तक देश के लोग कहते रहें

बदनाम गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है
हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा

सारे देश में करप्शन है, आज करप्शन देश को दीमक की तरह खा रहा है। युवाओं को साठ सालों में कोई दिशा नहीं दिखाई गई। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह करप्शन है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या प्रिवेंशन ऑफ कांग्रेस दोनों का एक ही मतलब है। जब देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, तब इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत भी हो जाएगा। दिल्ली में कॉम्नवेल्थ गेम्स हुए थे। देश में करप्शन किस सीमा तक पहुंच गया था, मैं उसे बताना चाहता हूं। कॉम्नवेल्थ गेम में ट्रेडमिल ली गई, उसका दस लाख रुपये किराया दिया गया। आज देश में कोई भी ट्रेडमिल पांच लाख से महंगी नहीं आती होगी, दस लाख रुपये उसका किराया दिया गया। टॉयलेट का टिश्यू पेपर रोल चार हजार रुपये में खरीदा गया, क्रॉस ट्रेनर का नौ लाख रुपये किराया दिया गया। एक चेयर का नौ हजार रुपये किराया दिया गया, पांच हजार में नई चेयर आ जाती है। उसका किराया 8-9 हजार रुपये दिया गया। एक छतरी का कि राया 7 हजार रुपये दिया गया। एक सौ लीटर फ्रिज का किराया 42 हजार रुपये दिया गया। यह देश करप्शन में किस सीमा तक पहुंच गया था। रोज सुबह अखबार खोलते थे, यूपीए-वन, यूपीए-टू की सरकार चल रही थी, 90 हजार करोड़ रुपये कामन वेल्थ गेम्स, 2 लाख

* Not recorded

करोड़ रुपये टू जी स्कैम, 3 लाख करोड़ रुपये कोयला स्कैम। ऐसा लगता था कि सारे मंत्री आपस में होड़ लगा रहे हैं कि कौन ज्यादा ऊपर का टार्गेट एचीव करेगा, ताकि उसके लीडर्स खुश हों। इस देश को चलाने वाले लीडर खुश हों। मैं यहां पर दो लाइनें कहना चाहता हूं।

एक तरफ जहां गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े
खून-पसीने से अपनी रोजी-रोटी जुटाते रहे,
वहीं दूसरी तरफ सत्ता के कुछ उत्तराधिकारी
देश का खजाना अपने दामादों पर लुटाते रहे।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, अभी तो मैंने बिल पर बोला ही नहीं है। जब तीन-तीन लाख करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा था, तब हमको ऐसा लगता था कि एक प्लेन जल्दी से भारत से इटली को उड़ने वाला है और उसमें जो बैठा होगा, वह कहेंगी …* तुम देखते रहियो। …(व्यवधान) इतना करप्शन, देश को लूटकर …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please give your suggestions and conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। …(व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं लिया। …(व्यवधान) यह बात ठीक है कि जब बच्चा पैदा होता है, पेट में होता है, अस्पताल में कोई व्यक्ति जाता है, तो उसे पैसा देना पड़ता है, वहां करप्शन होता है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the record. If there is anything objectionable, it will be expunged.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, यह भी ठीक है कि जब कोई मरता है, तब उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। सैक्शन 7 और 8 में रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने

---

* Not recorded

वाला, दोनों को ही आरोपी साबित किया गया है। अगर कोई व्हिसल ब्लोअर बनकर यह कहता है कि मेरे से पैसा लिया गया, तो इसमें यह प्रावधान किया है कि अगर 7 दिन के अंदर वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाकर शिकायत करेगा, तो उसको इसकी सजा से हटा दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा है कि चपरासी से लेकर भारत के मंत्री तक को एक ही दर्जे में रखा है। …(व्यवधान)

सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आप मेरी दो लाइन सुन लीजिए।

HON. CHAIRPERSON: You have not given any suggestions at all regarding the Bill. Please conclude now.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, मैं यह कहूंगा कि जरा मिलकर गौर करते हैं इस बात पर कि

बैठा है जो हम पर भरोसा करके
उस गरीब को उसका हक हम कैसे दिला पाएंगे,
नहीं जीते अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को,
तब अपने जमीर से नजरें कैसे मिला पाएंगे।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदय, मैं दि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल, 2018 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। सरकार की नीति पर कोई शक नहीं हो सकता है। पुराना इतिहास देखकर इंप्लीमेंटेशन में कुछ शक हो सकते हैं। यह भी सच है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, वे रोल मॉडल के तौर पर सामने आते हैं।

मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी का देश और दुनिया में जो इम्पैशन है, उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि करप्शन की बीमारी को हम ईमानदारी से रोकने के लिए तैयार हैं। हम एक-दूसरे को दोषी कह कर बच नहीं सकते, इस देश को बहुत गंभीर बीमारी लगी हुई है। आज जब इस पर चर्चा हो रही है तो हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा, हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर सोचना होगा। पहले देखना होगा कि यह बीमारी कैसे लगी। इसमें कोई शक नहीं है। वर्मा जी ने बताया कि इसकी माँ कौन है। मगर यह पैदा कैसे हुई, इसका इलाज क्या है? आज हमें यह सोचना होगा। जब किसी के पास डिस्क्रिशनरी होती है, जब कोई व्यक्ति जवाबदेह नहीं होता तो यह बीमारी पैदा होती है। जब देश आजाद हुआ, परमिट सिस्टम आया, कोटा सिस्टम आया, उसने बीमारी पैदा कर दी। यह बीमारी फैलते-फैलते हमारे राजनीतिक जीवन में फैल गई। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन अमेंडमेंट बिल की नीयत बहुत अच्छी है, कुछ अप्लाई भी हो पाएगा। यह हमारे देश के लोगों के जीन में चली गई। स्वामी राम देव जी द्वारा कोई न कोई जोशांदा तैयार करना होगा कि जीन ठीक हो पाए।

कोई छोटा-मोटा अमेंडमेंट करके इसे खत्म किया जा सकता है। यह गंभीर मुद्दा है। जो कानून बनाए गए, वे अभी तक क्यों नहीं लागू हुए क्योंकि विल पॉवर नहीं थी। लोगों को देखादेखी करने के लिए कानून बनाए जाते थे। मगर कानून लागू करने के लिए इच्छाशक्ति की कमी के कारण लागू नहीं हो पाते थे। जो मशीनरी लागू करने वाली थी, वह भी घेरे में आ जाती थी। आज महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। सरकार को कोई न कोई ऐसी विधि तैयार करनी चाहिए। लोकपाल बिल बनाया था, लोकपाल बिल भी बीच में रह गया, लोकपाल भी इफेक्टिवनेस लागू नहीं कर पाया।

आज देश मांग कर रहा है कि करप्शन रोकने के लिए इफेक्टिव मैक्निज्म बनाया जाए। यह अमेंडमेंट आया है। …(व्यवधान)।

बादल सरकार के समय राइट टू सर्विस एक्ट लेकर आए थे। हमने दफ्तरों में लटका दिया था कि इस सर्विस के लिए एक हफ्ते में काम नहीं होगा, जवाब नहीं देगा तो उसको इतना जुर्माना होगा, इतनी सजा होगी। इससे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काम करने लगा था। हमें इस तरह की जवाबदेही बनानी होगी। जिन लोगों ने पिछले वर्षों में अपने सोर्सेज से ज्यादा पैसा कमाया है, उसका ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो। हमें इलेक्शन प्रोसेस में सुधार करना होगा। अगर रिश्वत देनी बंद हो जाए तो रिश्वत लेना भी बंद हो जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस में करप्शन आ गया है। आज वोटरों के लिए शराब, पैसा चल रहा है, इसे कौन नहीं जानता। सबसे बड़ी बात हमसे …* कहा जाता है कि इतना पैसा खर्च हुआ। जितना पैसा खर्च हमसे लिखाया जाता है, शायद ही कोई होगा जो उससे ज्यादा खर्च न करता होगा। जब आधार ही असत्य होगा, उसका इलाज कैसे होगा? मैं इस बिल को लाने के लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूँ।

* Not recorded

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : आप सिर्फ सुझाव दीजिए।

श्री भगवंत मान : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास दो-तीन मिनट ही होते हैं। अकाली दल के नेता, कृपया सुन लें। …(व्यवधान) चन्दूमाजरा जी, रिश्वत के खिलाफ बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपको एड्रैस कर रहा हूं, हाथ मेरा इधर है।…(व्यवधान) ये रिश्वत के खिलाफ बोल रहे हैं। अकाली दल रिश्वत के खिलाफ बोल रहा है।…(व्यवधान) दस साल पंजाब को लूट लिया। …(व्यवधान) …* और ये बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You kindly take your seats.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : ये बोल रहे हैं।…(व्यवधान) ये करप्शन के खिलाफ बोलते हैं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय: बिल के बारे में बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : श्री चन्दुमाजरा, करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You give suggestions.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : मैं आपको एड्रैस कर रहा हूं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Mann sahib. Mann sahib you kindly address the Chair, otherwise I cannot allow.

…(Interruptions)…[*]

---

* Not recorded

HON. CHAIRPERSON: No, you do not know. Do not say, you are at that side. You talk to me.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : मैं आपको एड्रैस कर रहा हूं लेकिन दुख इस बात का है कि चन्दूमाजरा करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Talk to me. This side only.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय: आप सुझाव दीजिए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, this is not correct. We cannot run the House like this now.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : महोदय, चंदूमाजरा जी, करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं …* …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Silence please.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : मैं बोलूंगा, आप सुनने का माद्दा रखो। …(व्यवधान) बिधूड़ी जी, मुझे बोलने दो। एक ही तो आदमी आया है तो पोलिटिशियन नहीं है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप इधर देखकर बात कीजिए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not interrupt. Please do not interrupt.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : ये क्या बोल रहे हैं? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is not talking to the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : महोदय, मैं अकेला नहीं मोदी साहब, देश के लोग बातें करते हैं कि 56 इंच चौड़ी सीने वाले पर्ची वोटिंग से क्यों डरते हैं? …(व्यवधान) पूरा देश पूछता है कि आपके पास क्या जवाब है? विदेशों में ईवीएम रद्द हो गई, सिर्फ इंडिया में क्यों कामयाब है? यह भी करप्शन है, ईवीएम करप्शन है।…(व्यवधान) पूरा देश पूछता है कि आपके पास क्या जवाब है, विदेशों में ईवीएम रद्द हो गई, इंडिया में क्यों कामयाब है? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If there is anything objectionable, I will look into it. Anything objectionable, I will look into.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Silence please. We have to run the House.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot talk like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please sit down. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If there if anything objectionable, I will remove it.

… (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने ...* को पूछा कि तुम तो बहुत हर मन प्यारे हो।...(व्यवधान)

श्री अनुराग ठाकुर (हमीरपुर): ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे कह ही नहीं सकते हैं? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : किसी ने ...* से पूछा कि तुम तो बहुत हर मन प्यारे हो, उन्होंने कहा बस ईवीएम के सहारे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Whatever objectionable word is there in his speech, I will remove it from the proceedings.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri E.T. Mohammad Basheer.

... (*Interruptions*)

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Sir, please allow me to make one submission.

HON. CHAIRPERSON: Basheerji, one minute.

Yes, Mr. Idris Ali. Be very brief.

SHRI IDRIS ALI : Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for allowing me to make my very important submission. At the same time, I am deeply grateful to our hon. Chief Minister Mamata Banerjee because due to her, I am here in the House as a Member.

---

* Not recorded

Sir, while my colleague was speaking, false allegations were made by an hon. Member from CPM, Md. Badaruddoza Khan.

HON. CHAIRAPERSON: On that, I have already taken a decision. If there is anything objectionable, it will be removed from the proceedings.

SHRI IDRIS ALI : In her speech, whatever our party colleague, Shrimati Aparupa Poddar said was correct … (*Interruptions*) नरोदा-सारदा को लेकर टीएमसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की।

With due respect to all, let me say this, hon. Chairman, Sir, that our TMC supremo, Mamata Banerjee is a symbol of honesty.

आज देश में ऐसा कोई एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है, जो खोला के घर में रहती है। … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: All right.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats.

Let Mohammad Basheer begin his speech.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important legislation.

Sir, *prima facie*, this legislation seems to be good. Certain provisions such as giving bribe to public servant or commercial organisation has been categorised as an offence. Similarly, attachment and forfeiting of property of the offender is also very clear in this legislation. Procedure for prosecution is also specific. Time period for trial of the cases is also clear. Redefining of offences is also categorial. So, these are the positive points of this legislation.

Sir, we claim that this amendment is to make our anti-corruption law in conformity with the United Nations Convention Against Corruption, 2005 in which India is a signatory. I would like to say one thing here. There is something missing in this UN Resolution. It is quite unfortunate that giving bribe to a foreign public servant is not included here. Similarly, there is a lack of clarity as regards taking bribe from a private industry is concerned. Then, compensation for the aggrieved by acts of corruption is also not categorically stated here. These are certain negative points about this legislation.

Sir, here, I would like to say a very important thing. India can be proud of, what? India can be proud of RTI Act, (Right to Information Act). My friends were saying about the corruption and other things during the UPA period. I would like to say that the RTI was the revolutionary step taken by the UPA Government to fight corruption. That was the most powerful weapon to fight

corruption. It was the most transparent law this country has ever seen to make the public servant accountable.

Sir, with all the humbleness, I would like to say that you are crippling the wings of Right to Information Act. It is an offence on your part. Here, now, you are trying to set the criterion for appointment of Information Commissioners and their salary structures. Similarly, your attempt is to bring the RTI functionaries under the grip of the Government.

Sir, as per the existing Act, the tenure of the Information Commissioners is five years and their salary was equivalent to that of the Chief Election Commissioner. You are changing that also. Consent of the Leader of the Opposition was an essential criterion, which also you are not considering.

You are diluting all these things according to your will and pleasure and political desire. These are certain things which I would like to say.

As per the Right to Information Act, State Government can appoint Information Commissioner and you are trying to dilute that also. You are capturing everything in your hands. You are centralising all these powers assigned to the Commissioners in the State Governments. This is another move to undermine the federal structure of this country in that way. States have certain rights and responsibilities. Unfortunately, you are also trying to control them. Similarly, you are destabilising the RTI. What is happening? Hundreds of petitions are pending without giving reply. You have to know the seriousness of the situation. Thousands of vacancies are there. Officials are not there. There are vacancies in the Commissions. Even Chief

Commissioners' vacancies are there. How can you justify these kinds of actions?

Similarly, many RTI activists are brutally attacked in our country. Is it the freedom? They are doing a noble service for this nation.

Sir, I would like to say one more thing. Political corruption is the most dangerous corruption. I would like to say this with all politeness that this Government is encouraging political corruption. Such a Government has no moral right to talk about corruption in this country.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, it is a very important Bill. I am a surgeon by profession. This disease of corruption cannot be cured by the medicine, we need a surgical treatment. After listening to the speeches of various hon. Members on this topic, I remember one movie, *Roti, Kapda Aur Makan*. In that movie, what happened is that one lady, who was accused of theft, people started pelting stones at her. At that time, the hero comes and suggests: “Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her.” Here, I feel and everybody also feels that political corruption is the root cause of all types of corruptions in this country. Unless and until we create an electoral system, which is transparent, which is devoid of money and only public money is there, the corruption cannot be stopped. The prevention of corruption need to be started from top to bottom and not from bottom to top. I support the Bill.

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपने विचार इस बिल को पारित करने के लिए समर्थन करते हुए रखना चाहती हूं। मैं कुछ घंटों से देखती आ रही हूं कि यहां पर थ्यिट्रिक्स चल रहा था कि करप्शन कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। मेरे जैसी युवा जब पहली बार लोक सभा में लोगों की उम्मीदें लेकर चुनकर आती हैं और जब कुछ-कुछ जगह से कविताएं चलती हैं और थ्यिट्रिक्स चलता है और फिर वे खुद पॉलिटिक्स में रहकर सवाल उठाते हैं कि पोलिटिशियन ही खराब हैं तो मुझे एक कहानी याद आती है। तीन मित्र होते हैं- एक धन, ज्ञान और विश्वास। ये तीन मित्र बहुत करीबी मित्र हैं। एक बार इन तीन मित्रों ने तय कर लिया कि हम साथ में नहीं रहेंगे। We, we will go on in our own way. मित्रों ने एक-दूसरे से पूछा और धन से पूछा गया कि मित्र अभी हम साथ नहीं रहेंगे तो तुम हमें कहां पर मिलोगे? धन ने कहा कि मैं आपको बैंकों, पर्स, धन-पेटियों या मंदिरों में मिलूंगा, मैं तुम्हें कहीं न कहीं मिलूंगा। हम मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद ज्ञान को पूछा गया कि मित्र, अभी हम साथ में नहीं हैं तो तुम हमें कहां पर मिलोगे? ज्ञान ने कहा कि मैं स्कूलों, संस्थाओं, कॉलेजों में मिलूंगा। मैं लोगों में मिलूंगा। मैं सब जगह मिलूंगा, लेकिन जब इन दोस्तों ने विश्वास से पूछा कि हम तो कहीं न कहीं मिलेंगे, तुम हमें कहां मिलोगे? विश्वास ने उनको इतना ही कहा कि एक बार मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगा।

आदमी का विश्वास बहुत जरूरी होता है। विश्वास इस देश की मुख्य धारा को सिस्टम पर रखने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आगे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। हम इस तरफ हैं, उस तरफ हैं, लेकिन जनता ने हम पर विश्वास रखा इसलिए हम यहां पर आकर बैठे हैं। विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग, जिन्होंने पहले भाषण दिया है और करप्शन की बात की शुरुआत की है तो आप यह भी नकार नहीं सकते हैं कि देश की जनता ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी पर पूरा विश्वास रखा है और वर्ष 2014 में हमें यह मौका दिया था। आप यह सवाल उस वक्त नहीं पूछ सकते थे, आप जनता के विश्वास पर यह सवाल अब पूछ रहे हैं। हम इसी विश्वास से विकास करना चाहते हैं। हमारा मूल मंत्र यही है कि इसी विश्वास से हम विकास कैसे करें।

प्रधान मंत्री जी ने परसो युवाओं के एक कार्यक्रम में कहा था कि चलता है का जमाना अब चला गया है। हम भी कहते थे कि गांधी जी को दिखा दो और चले जाओ। कोई पकड़ा जाता था या कोई करप्शन करना चाहता था तो वे कहते थे कि गांधी जी को दिखाओ, लेकिन हम इस सरकार में कहते हैं कि गांधी जी को मत दिखाओ, गांधी जी के मूल तत्व दिखाओ और विश्वास से आगे बढ़ो। इसी विचार से इस बिल को पारित करने के लिए लाया गया है।

सभापति महोदय, वर्ष 2022 में हम अपनी आज़ादी के 75वीं साल मनाने वाले हैं। उस आज़ादी के 75 साल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी खुद कहते हैं कि हम यह हासिल करना चाहते हैं कि किसानों की दोगुनी आय, गरीबों के सर पर छत, युवाओं को सम्मानित रोजगार और महिलाओं को समान अधिकार मिले। हम यह विचार करके वर्ष 2022 की ओर मुड़ रहे हैं। भारत की तरक्की और खुशहाली को कोई रोक सकता है तो भ्रष्टाचार के प्रति होने वाले लोगों का शिष्टचार और हमारे जैसे लोगों का शिष्टाचार। यही हमारी आने वाली खुशहाली को रोक सकता है। कहा गया है कि this Bill is for prevention. मैं यह कहती हूं कि यह बिल एक क्योर है। प्रिवेंशन, पूरे भारत के सभी नागरिकों को करना है कि हम घूस नहीं देंगे, हम यह नहीं करेंगे, लेकिन वह प्रिवेंशन के पहले सरकार ने क्योर ला कर रखा है। इस बिल में 19 क्लॉजेज हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है – यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, अनड्यू एडवांटेज। हर क्लॉज में पहले कुछ न कुछ यह लिखा जाता था, और, एज, जो हमारे प्रिय बाबुओं और हमारी एक भाषा होती है कि हम भाषाओं में उलझ जाते थे। हमारी सरकार भाषाओं में लॉ को उलझाना नहीं चाहती है तो यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी होगी। वह टर्मिनोलॉजी यह है कि हर तरीके का फायदा, देने वाला, लेने वाला, बीच वाला, साइड वाला, लेफ्ट वाला, जो कोई इस करप्श्न में शामिल होगा, उन सभी को अनड्यू एडवांटेज के रूप में पकड़ा जाएगा।

यहां पर भाषणों में किसी ने सेक्शन सात पर बात की, किसी ने सेक्शन आठ पर बात की और किसी ने सेक्शन नौ पर बात की। आप बिल के 19 क्लॉजेज में देखेंगे तो जैसे जीएसटी एक बहुत बड़ी व्याख्या सारे टैक्सेज को साथ में लेकर लाई है, वैसे ही व्याख्या इस बिल के सेक्शन

सात, आठ, नौ और दस में है। इसमें सेक्शन आठ की यही व्याख्या है कि घूस लेने वाला तो कॉन्विक्ट होता है। सेक्शन आठ से जांच करने के लिए ब्राइब गीवर की परिभाषा ठीक नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 24 में अपने-आप को बचाना चाहता था। हम ने उस सेक्शन 24 को ओमिट करके, सात दिन, आठ दिन या कुछ और दिन लगे, व्हिसल ब्लोअर को उतना समय दे सकते हैं कि कल जाकर उसने ब्राइब गीवर होकर, व्हिसल ब्लोअर था तो उसके लिए उसकी जांच हो सकती है। उसके लिए भी मिनिमम कैप नहीं रखा गया है। सेक्शन नौ और सेक्शन दस बहुत जरूरी है। कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशंस के बड़े-बड़े अधिकारी अपने-आप को बचाने के लिए प्यून के माध्यम से कुछ करते थे। कुछ हो गया तो इसको जेल में डालो और काम खत्म कर दो। लेकिन इस बार सेक्शन नौ और दस में यह बहुत जरूरी है कि कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन के पैरामिटर पर भी अभ्यास किया जा रहा है। समझिए कि किसी बाबू ने उसका काम किया होगा, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने घूस लेकर इसका काम किया होगा। …(व्यवधान)

मैं इतना कहना चाहती हूं कि Justice delayed is justice denied. हमें उस रूप से टाइम पीरिअड मिल गया है।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude, Madam. The Minister has to reply.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : Sir, I am just concluding. It is because, nobody spoke about the Sections. All spoke about politics. So, it is very important to tell what the Government is doing. It is such a wonderful work and such a wonderful Bill that hon. Jitendra Singh *ji* has placed. इस सेक्शन में 17(ए) की बात थी। हम देखते थे कि हायर ज्यूडिशियरी में करप्शन होता था तो आदरणीय चीफ जस्टिस साहब की परमिशन लेनी पड़ती थी और करना पड़ता था, लेकिन अगर ऐसे किसी अफसरों में हम खुद इन्वॉल्व हैं, हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं, इसमें कहीं कोई इजाजत लेने की कोई सुविधा नहीं थी।

आज सेक्शन 6 A की सुविधा को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नॉन-डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोविज़न होना चाहिए। इसमें उसे 17 A के रूप में लाया गया है।

महोदय, यह बिल बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से विरोध की शुरुआत हुई थी, यहाँ से सवाल पूछने की शुरुआत हुई थी। कहा गया कि रफैल डील का क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी वर्षों का करप्शन दिख रहा है। हमारे सामने उसके कोई उदाहरण या उत्तर नहीं आए। अभी भी बोफोर्स की तोप गरम है और ये लोग हमसे रफैल डील के संबंध में सवाल पूछ रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो हम सब को समान रूप से साथ में काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि वर्ष 2014 से हमारी सरकार आयी है, यह समानता का भाव लेकर आयी है। हरेक पॉलिसी में समान कानून, समान अवसर की बात कही गयी है। इन सबका श्रेष्ठ उदाहरण 'स्वच्छ भारत अभियान' है। इस अभियान ने हमें यह दिखाया है कि स्वच्छता हमारे दिल की, मन की और हमारे परिसर की बहुत ही जरूरी होती है। 'स्वच्छ भारत अभियान' में अभी करप्शन भी लाया गया है। भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह जकड़ा हुआ है, इसलिए इसे दूर करने के लिए भी स्वच्छ भारत अभियान को लगाया जा रहा है, जो इस बिल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है।

यह एक इंडिविजुअल बिल है, इसमें बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी आदि सभी हैं। इसलिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, this House is discussing an important legislation as to how corruption which has crept into our political system can be evaded.

Sir, when we are discussing this important issue, the entire country is also discussing on Rafale. What is the crux of the Rafale deal? Hon. Defence Minister is here. Is the clause relating to price is secret or not?

Sir, this is something which the Government has to tell the people of this country. I have been a Member of this House from 1984. I have seen many discussions starting from Bofors gun onwards. In those days, there was turmoil in the House. There was storm in the House. The House could not run. We are peacefully asking the Government. Tell the people whether this is secret or not. All of us know that this entire deal will be examined by CAG. Once CAG looks into this, it will come to the Public Accounts Committee. What is secret in this?

During the UPA Government, yesterday, hon. Defence Minister said that the deal of Rafale was around about Rs. 560 crores. During this Government, this has gone up to Rs. 1600 crore. This is an important fact which you have to hear. … (*Interruptions*) The Prime Minister of this country has given an assurance to the people that there would be a clean Government. There would be a transparent Government. … (*Interruptions*) I did not say anything … (*Interruptions*) The Prime Minister has assured the people of this country that there would be a clean Government.

My second suggestion is this. There have been many JPCs. I demand a JPC to inquire. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Only the speech of Shri K.V. Thomas will go on record.

… (*Interruptions*) …*

PROF. K.V. THOMAS : There have been many JPCs. Why is this Government afraid of JPC? Regarding the statement made by the Prime Minister and the hon. Defence Minister, we will give a notice for privilege motion in the House. That is also an issue. We are moving a privilege motion. But the people have the right to know. When you are moving such an important legislation, people should have faith in you. What faith do people have when such allegations are going on in this country against this Government? My request to the Government is to make it very clear. What is the secrecy in this? People of this country should know this.

Sir, within the short period of the last four years, BJP became the richest party in the country. How has the money come in? So, these are the issues.

So, if you are serious and sincere about this Bill, the Bill which you are introducing, then, you should clarify this. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : No, please take your seat.

---

* Not recorded

PROF. K.V. THOMAS : It is not that Caesor alone should be above doubt. Caesor's wife should also be above doubt. So, why are you worried about it? I did not say anything undemocratic.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

PROF. K.V. THOMAS : I am asking the Government to clarify its position so that the people have the right to know what secrecy is there in the Rafale deal.… (*Interruptions*)

With these words, I conclude.

माननीय सभापति : आप सब अपनी सीट्स पर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : राम कुमार शर्मा जी। ऑनरेबल मिनिस्टर को रिप्लाई देना है, आप दो मिनट में अपनी बात बोलिए।

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। 'मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, और चंद स्वार्थी कीड़े पूरे मुल्क को खा गए'।

आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा को राष्ट्र के उत्थान के लिए चाहिए कि वह राजकीय खजाने के अपव्यय को कठोर अनुशासन द्वारा रोके, तब ही राष्ट्र का विकास हो सकता है।

इतने लंबे-लंबे और बड़े-बड़े भाषण देने वाले लोग लगातार हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूं कि 56 इंच के सीने वाले ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 पार्लियामेंट में लाकर देश को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी सदस्य भी इस प्रस्ताव, इस विधेयक का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात् से ही देश में कल्याण की योजनाएं इस उद्देश्य के साथ बनाई गई कि विकास का फल गरीबों और जरूरतमंदों को मिले, किंतु वर्षों से इन योजनाओं में फैली भ्रष्टाचार की बीमारी से रिसाव हुआ और अयोग्य लोगों की जेबें भरती गईं। उदाहरण के तौर पर वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत 40-50 प्रतिशत लाभ धांधली के कारण नष्ट हो गया और गरीबों को नहीं मिला, वह बिचौलियों की जेब में जाता रहा।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कुमार शर्मा : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट और दीजिए। मौजूदा सरकार ने गरीबों और वंचितों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए वर्ष 2014 में बड़ा अभियान आरंभ किया और अब उसी पर डी.बी.टी. का ढांचा खड़ा कर दिया। जनधन, आधार तथा मोबाइल की तिकड़ी से पारदर्शिता लाकर समावेश की बुनियाद तैयार हुई। इसके तहत स्वतंत्र, स्वच्छ और पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस सरकार की सराहना होनी चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सिर्फ अपना सजेशन दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री राम कुमार शर्मा : माननीय प्रधान मंत्री जी ने समय-समय पर देश में भ्रष्टाचार के समाधान हेतु पहल की है और उन्होंने डिजिटल इंडिया और विमुद्रीकरण जैसे कदम उठाए हैं। मेरा यह भी मानना है कि हमें तात्कालिक और एकांगी विकास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और समग्र विकास की जरूरत है, जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी आज पूरे देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं। मैं अंत में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री कौशलेन्द्र कुमार।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं सब से पहले माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस बिल के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रयास किया है। मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। मैं बिहार से आता हूं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को एक उजड़ा हुआ बिहार मिला था। यही कारण है कि जब से वे मुख्य मंत्री बने, तब से चाहे आई.ए.एस. हो, आई.पी.एस. हो या अन्य बड़े-बड़े अधिकारी, मंत्री या मुख्य मंत्री हों, उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। चाहे आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोग हों या क्रिमिनल हों, उन्होंने इन सभी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जेल भेजा और वे बिहार को पटरी पर लेकर आए। इसी तरह मैं इस कानून को सकारात्मक समझता हूं और इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

अधिनियम में सम्पत्ति की कुर्की एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही अधिनियम के अधीन धारा-7 में लोक सेवक को रिश्वत दिये जाने संबंधी अपराध, उसी तरीके से धारा-8 में भ्रष्टाचार या अवधि पूर्ण संसाधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए असम्यक लाभ प्राप्त कराना। धारा-10 में लोक सेवक को किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा रिश्वत देने संबंधी अपराध। धारा-11 में व्यावसायिक संगठनों के प्रभावी व्यक्ति का अपराध में दोषी होना। धारा-14 में लोक सेवक के द्वारा आपराधिक कदाचार आदि अपराध अधिनियम के तहत लाया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, जो विधेयक इस सदन में लाया गया है, यह बड़े संकल्प और बड़ी दूरदर्शिता के साथ लाया गया है। फिर से देश की उसी विश्व गुरू के रूप में स्थापना हो, उस विजन और उस मिशन के साथ यह लाया गया है। यह एक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लाया गया है और यह उसी व्यक्ति के द्वारा इच्छाशक्ति के साथ लाया जा सकता है, ला सकता है, वही सरकार ला सकती है, जिसमें इसको क्रियान्वित करने का दम होगा और इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि हम इसको क्रियान्वित करके रहेंगे। चाहे वह नोटबंदी का कानून हो, चाहे बेनामी सम्पत्ति का कानून हो, चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला कानून हो। यदि देखा जाए तो पिछले चार वर्षों में देश के इतिहास में जो नया बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता बदली है और निश्चित रुप में यह विधेयक भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करेगा। मैं अपने प्रधान मंत्री जी और इस सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति जी, सबसे पहले मुझे आदरणीय सदस्यों का आभार प्रकट करना है, जिन्होंने अपने बड़े प्रभावी और सकारात्मक सुझाव देकर इस महत्वपूर्ण विषय की मर्यादा को कायम रखते हुए इसे मूल्यवान बनाया। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी, श्री तथागत सत्पथी जी, प्रेम कुमार जी, अरविंद जी, निनामा जी, जनार्दन रेड्डी जी, मौ. फजलुर हसन जी, डा.गीता जी, श्री राजीव रंजन उर्फ पप्पू जी …(व्यवधान) लेकिन हम पुकार रहे हैं, कहीं भी हों, अगर देख रहे होंगे तो कम से कम हमने चूक नहीं की। श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी, श्री भगवंत मान जी, मौ.बशीर साहब, श्रीमती पूनम महाजन जी, श्री के.वी.थॉमस जी, श्री राम कुमार शर्मा, श्री कौशलेन्द्र जी और पोखरियाल साहब ने चर्चा में भाग लिया। मुझे लगता है कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि कुल मिलाकर बीच में जो राजनीतिक झलक आ जाती है, स्वाभाविक है कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक जीवन और राजनीति से संबंध रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जहां तक विषय का संबंध है, उसको लेकर सबका रवैया बड़ा पॉजिटिव रहा। The discussion began with Shri Adhir Ranjan ji, who was trying to sound critical, but I am very glad that he was very constructive. कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी सुझावों में सबकी तरफ से यह इच्छाशक्ति रही कि भ्रष्टाचार पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। इसमें एक्रॉस दि पार्टी लाइन सबकी संवेदनशीलता और चिंता भी झलकती है। निश्चय ही बहुत से आदरणीय सदस्यों ने कहा कि यह सिलसिला बड़ा पुराना चल रहा है और फिर स्वतंत्रता के बाद से सारा घटनाक्रम भी गिनवाया गया। लेकिन इस विषय में हमें इतनी स्वतंत्रता थी कि अगर हम पीछे भी चले जाते तो अनंतकाल से हमें भ्रष्टाचार के उदाहरण और कहानियां मिल जातीं।

लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, एक चुनी हुई सरकार होने के नाते समय-समय पर जो बिंदु या जो नए आयाम हमारे ध्यान में आए हैं, उनको लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जब भी इतिहास लिखा जाएगा चर्चा उस बात की होगी। यह सच है, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि सन् 1988 में यह कानून बनाया गया था, अब तीस वर्ष बीत जाने के बाद बहुत से और

भी अनुभव हुए। बहुत सी और भी परिस्थितियां बनीं, बहुत सी नई बातें भी समझ में आईं, भ्रष्टाचार के आयाम भी बदल गए, भ्रष्टाचार की शैली भी बदल गई। और उस शैली में भ्रष्टाचार करने वालों ने भी सुधार किया होगा और निश्चय ही उसमें भी आधुनिकीकरण आया होगा, उसमें भी तकनीक आई होगी। इसलिए हमने भी अपने आयाम बदलने का एक तकाज़ा बनाया। निश्चय ही जैसे सबका यह कहना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह मुहिम और संघर्ष कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि The ideal situation is when the nation and the society become incorruptible. Maybe, we are still to evolve to that level of evolution. To be fair, I think, 70 years is a very small life-span in the history of a democracy or a nation. For a mortal being, when you are seventy, you get all sceptic thoughts, but for a nation, if you write history, 70 years will not occupy even a footnote in a chapter. So, we are still evolving. When we evolve to that level of incorruptibility, then we will not require a legislation like this. फिर अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक हमारा मयार वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, भविष्य में भी आएंगे। आज की जितनी हमारी समझ है, जितना अनुभव है, उसके आधार पर यह लाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात हम सबकी समझ में है, चाहे हम माने या न माने कि इन चार वर्षों में जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि एक संकल्प के साथ हम चले थे ‘minimum government, maximum governance’ and zero tolerance towards corruption.

17 58 hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

महोदय, इन चार वर्षों में हमारी ईमानदारी का इतना तो प्रमाण अवश्य है कि पहली बार देश को अपने नेताओं और अपने शासकों पर इस कदर विश्वास जागा है कि कठोर से कठोर निर्णय होने पर भी आरंभिक मुश्किलें झेल कर भी वे इन निर्णयों के साथ खड़े रहे, भले ही वह नोटबंदी का निर्णय था, भले ही वह जीएसटी का निर्णय था। कोई भी प्रशासन हो, किसी भी राजनैतिक दल का

हो, हमारा हो या किसी और दल का हो, किसी सफल प्रशासन के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें कनविक्शन के साथ-साथ करेज ऑफ कनविक्शन रहे। करेज ऑफ कनविक्शन और कनविक्शन दोनों तब पैदा होते हैं, जब उसमें ये कॉन्फिडेंस हो कि उनकी विश्वसनियता के कारण लोग साथ देंगे। उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नोटबंदी का एलान किया गया, यह कोई साधारण बात नहीं थी। I do not think that it fits into the realm of a good electoral or political thinking. किसी भी राजनैतिक दल के लिए या सत्ताधारी दल के लिए इतना बड़ निर्णय लेना सरल नहीं होता है। लेकिन इसलिए कि लोगों की विश्वसनियता जागी कि यहां एक ऐसी सरकार है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध या जो सुशासन देने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध है, अब हम उस दिशा में किस हद तक सफल रहते हैं, वह तो एक निरंतर प्रयास और प्रक्रिया है। यही कारण है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कुछेक बातें उठाई हैं। He was right in saying that corruption in India is perpetual. I would rather add, to what he has said, that corruption all over the world is perpetual. But that does not mean that we should give up our fight against corruption. Just as any evil in the world is perpetual, theft is perpetual, dacoity is perpetual and crime is perpetual. But the true test or yardstick of any responsible political party or political Government is that we are awakened to this and we are ready to address this, and we will continue to do so.

<u>18 00 hrs</u>

इसमें एक-दो महत्वपूर्ण बिन्दु अधीर रंजन जी के थे। मैं बाकी महत्वपूर्ण बातों को भी थोड़ा-थोड़ा लूँगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है तो मैं आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊँगा।

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): My humble request to the hon. Deputy-Speaker and to the entire House is to extend the time of the House till the reply and passing of the Bill is over.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I hope the House would accept the suggestion of the hon. Parliamentary Affairs Minister and extend the time of the House till the Minister's reply and passing of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House is extended.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : एक बिन्दु अक्सर चर्चा में आता है और यदि इसका बार-बार उत्तर न दिया जाये तो यह बिन्दु बार-बार अधूरा रह जाता है। कई बार मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लग जाती है कि लोकपाल नहीं लाया गया और लोकपाल नहीं लाना भी भ्रष्टाचार के प्रति जो आपका युद्ध है या संघर्ष है, उसमें ईमानदारी के अभाव का प्रतीक है। ऐसा अधीर रंजन जी का भी कहना था कि if you are really sincere towards your crusade against corruption, then what happened to Lokpal? वैसे तो लोकपाल की प्रक्रिया जारी है, अभी 19 तारीख को भी सर्च कमेटी को गठित करने के लिए एक बैठक हुई है। यह प्रक्रिया सिल-सिलेवार ढंग से चल रही है। हाँ, इसमें विलम्ब जरूर हुआ और इस विलम्ब के कारण ही ये विचार उत्पन्न होते हैं।

I always avoid to be political in my replies because that comes in the way of one-to-one relation when we meet outside. I am sure the hon. Member will give me this permission to say that the cause of the delay is not the ruling party, but the cause of delay is the Congress Party. I will just explain to you very politely. It is because the Congress Party failed to manage the minimum

possible seats required to be recognised as the Opposition Party. अब बताइए इसमें हमारा क्या दोष है, यदि इस देश की जनता ने आपको 44 सीटों पर रोक दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : इतने बड़े-बड़े निर्णय ले सकते हैं, यह छोटा सा निर्णय नहीं ले सकते?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यही बात कह रहा था। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि इसमें विलम्ब इसलिए हुआ। हमने इसमें अमेंडमेंट लाने का एक प्रयास किया ताकि प्रक्रिया न रुके। We tried to walk the extra mile. That can happen to any party. I am not talking in that term. So, we suggested that we should have the leader of the largest Opposition party to be qualified as a member of this Committee. इस सारी प्रक्रिया में समय लगा और चूँकि हाउस कैसे चला, कैसे नहीं चला, वह अलग बात है। The Whistleblower Bill is in the pipeline. It is listed in the Rajya Sabha. बाकी आपने अन्ड्यू प्रैक्टिस और कोअर्सिव ब्राइबरी की बात की। यह बात अन्य माननीय सदस्यों ने भी की है। It has already been included. So, I will not be repetitive and take your time.

When we say good governance, when we say transparency, when we say accountability, when we say zero tolerance towards corruption, when we say more of citizen participation, I think broadly speaking there are two aspects to it. One is the citizen participation, which of course, makes it mandatory that there should be minimum corruption or no corruption ideally. फिर सिटिजन की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? The other tool is the civil servant, the public servant, the officer who has to carry out the process of governance because he is the essential tool of governance. You cannot achieve good results with bad tools. इसलिए इस बिल में पहली बार, जब 30 वर्ष के बाद ये संशोधन लाये गये तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार के प्रति कोई नरमी, कोई रियायत न हो, वहीं दूसरी तरफ

यह भी चिंता की जाए कि जो अधिकारी, कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसका किसी प्रकार से शोषण न हो, so that an honest performing officer or a public servant does not feel intimidated or his initiative does not get killed, जैसे एक आदरणीय सदस्य ने बहुत अच्छी तरह से इस बारे में कहा था कि बहुत सारे अधिकारियों ने इस भय के कारण काम करना छोड़ दिया कि न मालूम इससे क्या होगा। इन्हीं दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत समय नहीं लेता हूँ, 43 अमेंडमेंट्स के साथ यह बिल राज्य सभा से पारित हुआ है। इसमें प्रमुख तौर पर, जैसे कि बार-बार कहा गया, bribe giver clause is a kind of new introduction or an improved introduction of the earlier concept.

जो रिश्वत देता है, उसे भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जाए, जो रिश्वत लेता है। इससे केवल रिश्वत देने की प्रक्रिया को ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ-साथ कभी-कभी जो फ्रीवोलस कम्प्लेंट्स होती है, उनसे भी निपटा जा सकेगा। We, the Members of Parliament, are also included in this. कोई भी आकर यह शिकायत कर देगा कि फलाँ ने मेरे से पैसे लिए। Then, the onus is on you to prove that you did not do so. In this case, one who claims that 'I gave' will also have to explain why he 'gave' or why he has become a 'giver'. This is a kind of new improvisation.

At the same time, as was rightly being expressed by Shri Adhir और बीच-बीच में कुछ और सदस्यों ने भी कोअर्सिव ब्राइबरी के बारे में कहा। इसकी चिंता वाज़िब है, जैसे आपने कहा कि जब कोई अस्पताल जाता है तो मजबूरी में उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। उसका ध्यान रखा गया है। उसमें हमने सात दिनों का पीरियड दिया था। कुछ माननीय सदस्यों की बात को मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि सात दिनों का समय कम हो। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया। शायद इसी तरफ से आया कि कोई अस्पताल पहुंचता है, वहां अपने बच्चे का इलाज़ कराता है तो उसके लिए सात दिनों का समय कम है। जब हम रूल्स फ्रेम

करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि उसकी अवधि बढ़ जाए। May be, the timeline of seven days begins later. But, overall, इसको 'सात दिन' रखा गया है। उसका कट-ऑफ पीरियड कहां से शुरू करना है और खत्म करना है, उसमें the real duration will get increased.

इसी तरह से टाइमलाइन की बात है। जैसा मैंने कहा कि अधिकारियों को सुरक्षा देनी है। This is another very important point that for any corruption case we will be laying down guidelines for the decision to be given within two years, वरना आम समाज में यह धारणा है कि भ्रष्टाचार का केस दर्ज़ हो जाता है, अधिकारी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद कई बार किसी का स्वर्गवास भी हो जाता है। उसके परिवारजन भी उस समय रहते हैं या नहीं रहते हैं। उसका निर्णय 30 सालों के बाद होता है। It does not serve the purpose for which it was meant. Now, we are going to lay down a timeline of two years 'ordinarily'. The word 'ordinarily' has been very cautiously used in this Clause because there may be a case, which might require extension and then the court will justify it, but there would be a justification. Otherwise, there will be a timeline fixed of two years for deciding any corruption case.

इसके साथ ही साथ टाइमलाइन की परमिशन की बात है। यह 'तीन महीने के भीतर' है। हमने परमिशन का क्लॉज लाया है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, पहले से यह है कि Joint Secretary and above enjoyed this impunity. Now, it is available at all levels. इसके लिए भी कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि ऐसा न करने से भ्रष्टाचार अधिक हो सकता है।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि मैं एक अधिकारी हूं और मेरा एक सब-ऑर्डिनेट है। मैं चलते-फिरते, एट-रैन्डम उसे पकड़ता हूं और कहता हूं कि तुम मेरे कमरे में आओ, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कम्प्लेंट आई है। May be, I have the consideration of extracting some benefit from him, but if I have a competent

authority from whom I have to seek permission to proceed against him, then I will be -- at least, in my mind -- having this cautiousness that I have to justify my act. इस प्रावधान को अब हमने सभी स्तर पर उपलब्ध रखा है। इसमें एक नई बात आई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दू है, जिसे हम बाहर भी चर्चा में ला सकते हैं। The commercial organizations offering bribe will also be included. उसमें केवल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को उसमें से बाहर रखा गया है।

सर, अनड्यू बेनीफिट और अनड्यू एडवांटेज की बात आई। बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्ति की कि किसी को बेवज़ह पकड़ लिया जाए या उस पर कार्रवाई हो। इसलिए यह प्रावधान रखा गया कि यदि कोई कुछ ले लेता है, जैसे यदि किसी भाई साहब से मैंने घड़ी ले ली तो मात्र घड़ी लेने के अपराध में आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। You have to establish that there was a motive, and you have to establish that this was an undue advantage. इसलिए उस प्रकार के प्रावधानों को इसमें लाने का प्रयास किया गया है, ताकि जैसा मैंने कहा, on the one hand, we have strict measures against corruption, and on the other hand, we also ensure that we provide a work-friendly environment to a Government officer / public servant so that he can perform to the best of his ability.

महोदय, मोटे तौर पर, इसमें और अधिक न जाते हुए मैं यह कहूंगा कि इसके साथ ही साथ रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए यह जो परमिशन लेने का हमने प्रावधान रखा है, this will be available even after superannuation. जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी '17(ए) - प्रायर परमिशन' और '13(ए)' का जिक्र किया। इसमें मोटे तौर पर ये प्रावधान हैं।

महोदय, इसमें मैं अब बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने बिल पढ़ लिया है और इस पर चर्चा भी हो गयी है। लेकिन कुल मिलाकर, this is certainly a very historic

legislation. Unfortunately यह राज्य सभा में पास होने के बाद मीडिया में नही आया, क्योंकि मीडिया में ज्यादातर वही रहता है कि किसने किसको **गाली** दी।

When the history of parliamentary proceedings is recorded, this will go down as a great piece of legislation because after Independence there was only one occasion when this Bill was brought in 1988. Thirty years after that, this Bill has been improved upon and laid the foundation of future improvement, if possible. यह सच है कि भ्रष्टाचार के लिए इसलिए बार-बार कानून लाया जाता है कि अभी उसकी जरुरत रहती है। हमारे पास कैट, सीवीसी तथा आरटीआई है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ-जहाँ हमारा अनुभव आएगा, भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, इस प्रकार का कानून या अमेंडमेंट लाने की जरुरत रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब बाकी खबरें मीडिया से हट जाएंगी तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और बड़े समय के लिए स्थायी रहेगी। धन्यवाद।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, eradicating corruption is very difficult. Even in 320 B.C. in the Chanakya's Arthashastra, there was a mention of corruption. Hon. Minister has tried to bring in reforms to stop and reduce corruption. He is trying his level best. I would like to ask the hon. Parliamentary Affairs Minister this. The only way out is electoral reforms. Elections are conducted; every party has a manifesto. You have got the majority in the House. Before the end of this Lok Sabha, if you bring a Bill to effect electoral reforms, there would be a way out to end corruption. When a person who is contesting an election from Panchayat to Parliament is not required to spend any money, then the dream of Mahatma Gandhi would be fulfilled. Only then, real development would take place. Then a candidate need not worry about the money to be spent in the next elections. When there is no question of spending, then there is no question of corruption. To stop corruption, electoral reforms is badly required. I hope the Government would bring such a legislation.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 19 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 19 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

DR. JITENDRA SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed".

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 25th July, 2018 at 11.00 a.m.

18 14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 25, 2018/ Shravana 3, 1940 (Saka).

____